

अनुपालन के विविध आयाम



यूनिऑन बैंक
ऑफ इंडिया

भारत सरकार का उपक्रम



Union Bank
of India

A Government of India Undertaking



अनुपालन के विविध आयाम

संपादक
रामजीत सिंह

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया



Union Bank
of India

भारत सरकार का उपक्रम

A Government of India Undertaking

केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021

राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, मानव संसाधन विभाग
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 021

अनुपालन के विविध आयाम

(आंतरिक परिचालन हेतु)

संरक्षक

- **ए. मणिमेखलै**
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संपादकीय सलाहकार

- **अरुण कुमार**
मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
- **श्रीनिवासन बालचंद्र**
मुख्य अनुपालन अधिकारी

मार्गदर्शन

- **नितेश रंजन**
कार्यपालक निदेशक
- **निधु सक्सेना**
कार्यपालक निदेशक
- **रामसुब्रमणियन एस**
कार्यपालक निदेशक
- **संजय रुद्र**
कार्यपालक निदेशक

संपादक

- **रामजीत सिंह**
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)

संपादन सहयोग

- **गायत्री रवि किरण**
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
- **मयंक शर्मा**
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
- **रोहित पंजियार**
प्रबंधक, अनुपालन विभाग

मुद्रक :

प्रथम संस्करण : मार्च, 2024

उच्चिथ ग्राफिक प्रिंटर्स प्रा. लि.
फोन 022-40336400

इस पुस्तक में प्रकाशित आलेखों में व्यक्त विचार संबंधित लेखकों के हैं। यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया प्रबंधन की उनसे सहमति आवश्यक नहीं है। स्रोत का उल्लेख करने पर, इस पुस्तक में प्रकाशित आलेखों को पूर्णतया या आंशिक तौर पर उद्धृत किए जाने पर, बैंक को कोई आपत्ति नहीं होगी।



ए. मणिमेखलै

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

प्रिय यूनियनाइट्स,

बैंकिंग विषयों पर हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों की शृंखला की अगली कड़ी परिचालन का मूलाधार यानी अनुपालन को समर्पित है. इस महत्वपूर्ण पहलू पर हमारे द्वारा ध्यान दिया जाना, हमारे दैनिक कार्य में अनुपालन के महत्व का प्रमाण है.

अनुपालन केवल नियमों का संचय या विनियामक बाध्यता नहीं है; यह एक बैंक और उसके ग्राहकों के बीच विश्वास की नींव है. आज के क्लिष्ट वित्तीय परिप्रेक्ष्य में, अनुपालन के महत्व पर जितना भी जोर दिया जाए वह कम है. यह जोखिमों से हमारी संस्था का संरक्षण करता है, ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है और हमारी परिचालनगत प्रमाणिकता को मज़बूत बनाता है.

बैंकिंग में डिजिटल रूपांतरण से नए अवसर के साथ-साथ नई चुनौतियां भी उभर कर आई हैं. साइबर सुरक्षा के खतरे, डेटा संरक्षण के मुद्दे, और ऑनलाइन धोखाधड़ी बढ़ रही हैं, जिससे सुदृढ़ अनुपालन ढांचा अनिवार्य बन गया है. कड़े अनुपालन प्रोटोकॉल अपनाकर हम अपने ग्राहकों के आस्तियों और व्यक्तिगत सूचना का संरक्षण करते हैं, जिससे हमारी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर उनके विश्वास की पुष्टि होती है.

साथ ही, अनुपालन मुद्दों पर विनियामकों का बढ़ता ध्यान इस मामले के महत्व को उजागर करता है. यह हमें याद दिलाता है कि अनुपालन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता केवल अपेक्षाओं को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है; इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही, और नैतिक आचरण की संस्कृति अपनाना है. अनुपालन के उच्चतम मानकों को अपनाकर, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि यूनियन बैंक स्थिरता, पारदर्शिता और नैतिक आचरण का प्रतीक बनकर खड़ा है.

मैं आप सभी को अनुपालन की इस प्रतिबद्धता में मेरा साथ देने और साथ मिलकर काम करते हुए बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता और नेतृत्व के अपने साझा दृष्टिकोण को सार्थक बनाने हेतु आमंत्रित करती हूँ.

आइए हम साथ मिलकर अनुपालन को मात्र एक कर्तव्य नहीं बल्कि यूनियन बैंक की पारिभाषिक विशेषता बनाएं.

शुभकामनाओं सहित,

(ए. मणिमेखलै)



नितेश रंजन
कार्यपालक निदेशक

प्रिय यूनियनाइट्स,

बैंकिंग के गतिशील और जटिल दुनिया में, जोखिमों के मार्ग में अवरोध के रूप में कार्य करते हुए और संवहनीय वृद्धि तथा स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अनुपालन वित्तीय संस्थानों के लिए आधार शिला का कार्य करता है। प्रत्येक स्तर पर हर एक कार्मिक द्वारा अनुपालन संस्कृति को अपनाया जाना चाहिए। इसका मतलब हमारे ग्राहकों और हितधारकों को उत्तम परिणाम देने हेतु हमारे कार्यों के लिए जिम्मेदारी भी लेना है।

हमारी सफलता के कारण हमें आत्मतुष्ट नहीं होना चाहिए। संभाव्य जोखिमों की पहचान और न्यूनीकरण के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वित्तीय स्थिरता के अभिरक्षकों के रूप में हमें परिचित और अप्रत्याशित दोनों स्रोतों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए।

हमें उत्पादों, प्रक्रियाओं और परिणामों में कानून या विनियमों का अक्षरशः तथा सच्चे मायने में अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से न केवल विनियामक अनुपालन सुनिश्चित होता है बल्कि नैतिक आचरण तथा सुदृढ़ व्यावसायिक प्रथाओं को प्राथमिकता देने की संस्कृति का भी विकास होता है।

बैंकिंग अनुपालन केवल विनियामक आवश्यकता नहीं है; यह रणनीतिक रूप से अनिवार्य है जो सतत परिवर्तनशील परिप्रेक्ष्य में वित्तीय संस्थानों की आघातसहनीयता और संवहनीयता सुनिश्चित करती है। अनुपालन को परिचालन के एक मूल पहलू के रूप में स्वीकार करते हुए हम विश्वासनीयता उत्पन्न कर सकते हैं, ग्राहकों और स्वयं का संरक्षण कर सकते हैं और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता के प्रति योगदान कर सकते हैं।

शुभकामनाओं सहित,

(नितेश रंजन)



निधु सक्सेना
कार्यपालक निदेशक

प्रिय यूनियनाइट्स,

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि बैंक द्वारा हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन के क्रम में अगली कड़ी के रूप में 'अनुपालन के विविध आयाम' पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है. इस पुस्तक में बैंक के प्रतिभाशाली स्टाफ सदस्यों के लेखों के माध्यम से वैविध्यपूर्ण जानकारी शामिल की गई है.

विनियामक दिशा-निर्देशों और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने का एक प्रमुख उद्देश्य किसी भी प्रकार के वित्तीय संकट से बैंक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इस प्रकार अनुपालन का क्षेत्र, अनुपालन जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और इसके निपटान हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है. दिशा-निर्देशों, नियमों और सांविधिक अपेक्षाओं के गैर-अनुपालन के संबंध में बैंकों पर, भारतीय रिज़र्व बैंक सहित, विनियामकों / पर्यवेक्षकों द्वारा लगाए गए दंड और इस प्रकार के दंड के परिणामस्वरूप उत्पन्न अप्रिय स्थिति, अनुपालन जोखिम की अभिव्यक्ति है. एक प्रभावशाली अनुपालन संस्कृति के लिए पूरे बैंक में अनुपालन जोखिम प्रबंधन की अपेक्षाओं के संबंध में निरंतर संप्रेषण की आवश्यकता होती है. वास्तव में, सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि अनुपालन विफलताओं और इसके परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले जोखिमों से बचने के लिए विनियामक और आंतरिक दिशा-निर्देशों के संबंध में अच्छी जानकारी रखें.

मैं सभी स्टाफ सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि बैंक का कारोबार करते हुए हर समय अनुपालन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित रखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में बैंक और ऊँचाइयों को प्राप्त कर सके.

शुभकामनाओं सहित,



(निधु सक्सेना)



रामसुब्रमणियन एस

कार्यपालक निदेशक

प्रिय यूनियनाइट्स,

राजभाषा प्रभाग के इस शानदार पहल के माध्यम से आप सभी से अपने विचार साझा करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। हर वर्ष बैंक द्वारा स्टाफ सदस्यों के लाभ और उन्नति के लिए व्यापक और सुसंगत सामग्री का प्रकाशन किया जा रहा है। पूर्व में, खुदरा बैंकिंग से लेकर वित्तीय समावेशन, कृषि, अनर्जक आस्ति प्रबंधन, ग्राहक सेवा, एम.एस.एम.ई. से लेकर डिजिटलाइजेशन के संबंध में सुदीर्घ चर्चा की गई है जिससे हमें बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। इस वर्ष बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत अनुपालन के विभिन्न आयामों को उजागर करते हुए इस पुस्तक को तैयार किया गया है।

बैंकों के अनेक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है ऋण प्रबंधन, चूंकि इसमें जोखिमों का मूल्यांकन करना और उधारकर्ताओं को ऋण देना शामिल है। तथापि, इस कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ईमानदारी और विनियामक अनुपालन के संरक्षक के रूप में अनुपालन केंद्रीय भूमिका निभाती है। सुदृढ़ ऋण अनुपालन प्रणाली के माध्यम से बैंकों को एक स्वस्थ ऋण संवर्ग बनाए रखने और विनियामक कार्रवाई, प्रतिष्ठा की क्षति, तथा कानूनी प्रभावों से बचने में सहायता मिलती है, इससे बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य और साख सुरक्षित रहता है।

यही नहीं, अनुपालन ऋण के क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन का भी महत्वपूर्ण अंश है। ऋण गतिविधियों में जोखिम स्वतः विद्यमान हैं जिसमें ऋण चूक और प्रतिपक्ष जोखिम आदि शामिल हैं। सुदृढ़ जोखिम मूल्यांकन ढांचे और अनुपालन नियंत्रण से बैंक संभावित जोखिमों का पहले से ही पता लगाकर निपटान कर सकते हैं, जिससे उनके क्रेडिट संवर्ग की स्थिरता और आघात-सहनीयता सुनिश्चित की जा सकती है। जोखिम जागरूक संस्कृति स्थापित करने से और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन प्रथाएं लागू करने से अनुपालन के माध्यम से न केवल बैंक की बल्कि उसके कर्मचारियों और हितधारकों के हितों का संरक्षण होता है। अनुपालन तंत्र, यथा नियमित लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण, और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुरूप ऋण प्रक्रियाओं और ऋण निर्णयों के संबंध में हितधारकों को सूचना प्रदान करते हुए पारदर्शिता को बल मिलता है। ईमानदारी और जवाबदेही के संरक्षण से अनुपालन, ग्राहकों, निवेशकों, और विनियामकों के विश्वास को अधिक सुदृढ़ बनाता है और एक विश्वसनीय एवं जिम्मेदार वित्तीय संस्था के रूप में बैंक की प्रतिष्ठा को निखारता है।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक अनुपालन के सही अर्थ को उजागर करने के साथ-साथ संगठन में संवहनीय अनुपालन संस्कृति के सृजन में भी सहायक होगी। यह विदित है कि अनुपालन का दायरा ऋण से कहीं अधिक है। हमें यथालागू सांविधिक प्रावधान, नियम और विनियम, विभिन्न आचरण संहिताओं और अपने स्वयं के आंतरिक नियमों, नीतियों और

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया

भारत सरकार का उपक्रम



Union Bank
of India

A Government of India Undertaking

प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा. अनुपालन एक साझा जिम्मेदारी है और हम में से हर एक व्यक्ति का दायित्व है.

इस विचार को आगे बढ़ाते हुए, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि ज्ञान और सूचना के सुगम स्रोत के रूप में इस प्रकाशन का लाभ उठाएं और हमारे संगठन में प्रक्रिया आधारित अनुपालन आचार के सृजन हेतु स्वयं को सक्षम बनाएं.

शुभकामनाओं सहित

रस राम

(रामसुब्रमणियन एस)



संजय रुद्र
कार्यपालक निदेशक

प्रिय साथियो,

हर वर्ष, बैंकिंग जगत से जुड़े महत्वपूर्ण, सामयिक और समुचित विषयों पर समग्र एवं उपयोगी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा विभिन्न विषयों पर हिंदी में पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। इसी क्रम को जारी रखते हुए, 'अनुपालन के विविध आयाम' विषय पर इस पुस्तक का प्रकाशन मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है।

बैंक के कार्पोरेट गवर्नेंस ढांचे में अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण तत्व है। बैंक की संवहनीय संवृद्धि के लिए बैंक के सभी कार्मिकों द्वारा 'सर्वप्रथम अनुपालन, तदुपरांत कारोबार' की संकल्पना अपनाई जाए। अनुपालन मात्र किसी एक कार्मिक या वर्टिकल की जिम्मेदारी न होकर संपूर्ण बैंक की संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए। एक सुदृढ़ जोखिम और अनुपालन संस्कृति से एक मज़बूत, आघात-सहनीय एवं अनुशासित बैंक के निर्माण में सहयोग मिलेगा, जो अपने समकक्षों तथा विनियामकों के सम्मान के साथ-साथ संवहनीय संवृद्धि एवं ग्राहकों के विश्वास के रूप में परिणत होता है। इसके विपरीत, एक अक्षम अनुपालन संस्कृति के कारण बैंक को भारी लागत लगानी पड़ सकती है। अतः, बैंक के वांछित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अनुपालन को एक दैनिक गतिविधि के रूप में बड़े पैमाने पर शामिल करने पर हमारा ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

अपने बैंक को एक सक्षम अनुपालन बैंक के रूप में तैयार करने के प्रयासों में सफलता हेतु सभी कार्मिकों को शुभकामनाएं देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

संजय रुद्र

(संजय रुद्र)



अरुण कुमार

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं)

प्रिय साथियो,

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकिंग के ज्वलंत विषयों पर हिन्दी में लेख संकलित कर पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है. हमारे बैंक द्वारा वर्ष 2008 से शुरू की गई “विविध आयाम पुस्तक प्रकाशन की इस शृंखला” में अब तक विभिन्न विषयों पर जैसे मानव संसाधन, संव्यवहार बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, ग्राहक सेवा, डिजिटल बैंकिंग, सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, कृषि विकास, साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर उत्कृष्ट पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है तथा इसी क्रम में इस वर्ष ‘अनुपालन के विविध आयाम’ पुस्तक का प्रकाशन एक सराहनीय पहल है.

वित्त एवं प्रौद्योगिकी के समामेलन से बैंकिंग के कई पहलुओं में परिवर्तन आए हैं जिससे भविष्य में वित्तीय क्षेत्र, कारोबार मॉडल एवं बैंकिंग संरचनाओं को एक नया आकार मिलने की संभावना है. इन परिवर्तनों से बैंकों एवं नियामकों के समक्ष भी नए अवसर तथा चुनौतियां आईं. इनमें से एक है ‘अनुपालन’, जो किसी भी संस्था की सतत सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है.

पारिभाषिक रूप से कहा जाए तो विभिन्न कानूनों, नियमों, विनियमों और आचार संहिताओं, जिनमें कुछ स्वैच्छिक भी होती हैं, इनका पालन करना ही अनुपालन है. एक सशक्त अनुपालन संस्कृति वह होती है, जिसमें समुचित आचार संहिताओं का पालन करना सुनिश्चित होता हो, हितों के टकराव का प्रबंधन किया जा सके और कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राहकों के साथ पारस्परिक तालमेल बना रहे. संगठन के भीतर एक स्वस्थ, सकारात्मक एवं सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति से हम विनियामक विफलता, कारोबार की हानि और संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान के जोखिम को कम करते हैं. यह सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्यनिष्पादन में कुशल हो और अपना हर कार्य समय पर करने में सक्षम हो. बैंक के द्वारा ग्राहकों, निवेशकों और विनियामकों का विश्वास जीतने के लिए एक अच्छी अनुपालन संस्कृति का पालन किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है. बैंकों को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने, खराब आचरण और कारोबार की हानि से बचने के लिए अनुपालन संस्कृति महत्वपूर्ण है.

किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था को अपनी अनुपालन कार्यप्रणाली की संरचना स्वयं तैयार करनी चाहिए और अपने अनुपालन जोखिम का प्रबंधन करने के लिए प्राथमिकताएं इस प्रकार

तय करनी चाहिए जो उस संस्था की अपनी जोखिम प्रबंधन कार्यनीति और संरचना से मेल खाती हो. यदि बैंक अनुपालन और परिचालन जोखिम वाले कार्यों को अलग-अलग रखते हैं तो अनुपालन से संबंधित एक ऐसा तंत्र स्थापित किया जाए जिसमें इन दोनों कार्यों के बीच समन्वय स्थापित हो सके.

बैंक अनुपालन बैंकिंग घटक का एक महत्वपूर्ण घटक है जो नियमों और कानूनों का पालन सुनिश्चित करता है, इस प्रकार वित्तीय प्रणाली की अखंडता और स्थिरता को बनाए रखता है. अनुपालन के लिए, बैंकों को सुदृढ़ नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाना और लागू करना होगा, अवशिष्ट जोखिमों की रोकथाम के लिए समुचित उपाय करने होंगे और लागत कम करने और दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और स्वचालन का लाभ उठाना होगा. पारदर्शिता, निरंतर अनुश्रवण और नीतियों एवं प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा के साथ, बैंक विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं और प्रतिष्ठित एवं वित्तीय जोखिमों से बचाव कर सकते हैं.

शुभकामनाओं सहित



(अरुण कुमार)



श्रीनिवासन बालचंद्र
मुख्य अनुपालन अधिकारी

प्रिय यूनियनाइट्स,

बैंक के वार्षिक प्रकाशन 'विविध आयाम' की शृंखला में इस वर्ष हेतु अनुपालन विषय का चयन मेरे लिए हर्ष का विषय है. 'अनुपालन के विविध आयाम' का प्रकाशन वांछनीय ही नहीं बल्कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत आवश्यक भी है, चूंकि हाल के समय में अर्थव्यवस्था एक गतिशील दौर से गुजर रही है, हमें अनुपालन के विभिन्न आयामों को एक बैंकर के रूप में ही नहीं एक सतर्क नागरिक के रूप में समझने की भी आवश्यकता है.

संवहनीय वृद्धि के लिए सक्षम बने रहने हेतु हमें कार्पोरेट संस्कृति अपनाने की आवश्यकता है, इसमें अनुपालन संस्कृति भी शामिल है, जो और बेहतरी के लिए निरंतर परिवर्तन करने के दृढ़ निश्चय और उत्साह के साथ हमेशा 'सही काम' करने के लिए हमें प्रेरित करती है. एक सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति हितधारकों को आश्वस्त करती है कि संस्था के कार्य उनके हित में है.

विनियामक मानकों के अनुपालन को प्राथमिकता देना अब पहले से और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है. प्रक्रिया स्वचालन, व्यापक डिजिटाइजेशन, और वैश्वीकरण के उद्भव से अनुपालन साक्षरता अवश्य ही समय की माँग बन गई है. एक सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति युक्त संगठन में अनुपालन की उत्तम प्रथाओं और गैर-अनुपालन से संबद्ध जोखिमों के संबंध में सामान्य तौर पर जागरूकता होनी चाहिए.

प्रत्येक स्टाफ सदस्य का यह लक्ष्य होना चाहिए कि अत्यधिक अनुपालन के साथ गुणवत्तापूर्ण कारोबार जुटाएं और हमारे बैंक को देश में सबसे सम्मानित बैंक बनने में सहयोग दें.

शुभकामनाओं सहित,

(श्रीनिवासन बालचंद्र)



रामजीत सिंह
संपादक

संपादक की कलम से

प्रिय साथियो,

बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। वे अर्थव्यवस्था को चलाने और बाजारों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कानून और अधिनियम बैंकिंग उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बैंकों को कानूनी और नियामक सीमाओं के भीतर काम करने, ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इन कानूनों और अधिनियमों के बिना, बैंक न केवल संभावित कानूनी परिणामों के अधीन होंगे, बल्कि वे ग्राहकों और हितधारकों के विश्वास को खोने का जोखिम भी उठाएंगे। बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे न केवल मौजूदा नियमों का पालन करें, बल्कि नए कानूनों और अधिनियमों से भी अपडेट रहें जो उनके संचालन को प्रभावित कर सकते हैं।

अनुपालन की भूमिका आज दुनिया भर में व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित कर रही है तथा नियामकों द्वारा अनुपालन के महत्व को समान रूप से स्वीकार किया जा रहा है तथा पर्यवेक्षकों और अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारकों द्वारा इस तथ्य को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है उनके द्वारा यह स्वीकार किया जा रहा है कि केवल नियमों और विनियमों को लागू करना निरर्थक है, जब तक कि इनका अनुपालन, विनियमित संस्थाओं द्वारा शब्दशः और भावनात्मक दोनों रूपों में नहीं किया जाता है।

बैंकों में अनुपालन संस्कृति में बहुत सुधार की आवश्यकता है। बैंकों के पर्यवेक्षकों के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक को सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन संस्कृति में गहन रुचि है। क्योंकि यह बैंक के सुरक्षित और सुदृढ़ कामकाज के लिए एक आवश्यक तत्व है और यदि इसका प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया गया तो बैंक की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अनुपालन में बैंकों की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना भी शामिल है। धोखाधड़ी के अधिकांश मामलों में, एक सामान्य बात यह होती है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया जिससे हाल के वर्षों में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं एवं धोखाधड़ी के लिए अपनाए गए तौर तरीकों की जटिलताओं ने बैंकों में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति के महत्व को उजागर किया है।

अनुपालन, संगठन की प्रतिष्ठा और प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। बैंक का कारोबार, दिन प्रतिदिन का संवाद एवं कामकाज स्थानीय व आम लोगों से ही है। अतः बैंकों को अपनी

विश्वसनीयता आम जनमानस, समाज व जनता के बीच बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस विश्वसनीयता के आधार पर ही लोग और व्यापारी बैंक से जुड़ते हैं, उसमें निवेश करते हैं और बैंक को अपने इक्विटी पर अच्छा प्रतिलाभ प्राप्त होता है। एक पुख्ता व ठोस अनुपालन प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि हम इस विश्वसनीयता को बरकरार रखने में हर वक्त सक्षम रह सकें। अनुपालन किसी बैंक की गतिविधियों के संचालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इस पहलू पर दृष्टिपात किए बिना ग्राहक संतुष्टि और इक्विटी पर प्रतिलाभ संभव नहीं हो पाता है। वित्तीय संस्था में यदि ग्राहक संतुष्टि चाहिए, तो हमें अनुपालन की संस्कृति को अपनाना होगा। इसलिए, हमें बैंकिंग जगत में सतत विकास और वृद्धि के लिए अनुपालन को अपनाने की आवश्यकता है।

पुस्तक में समाहित लेखों में उभरती प्रौद्योगिकी में बैंकिंग अनुपालन से लेकर पर्यावरण, समाज, शासन वहनीयता में अनुपालन जैसे गूढ़ विषयों पर इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया है। साथ ही अनुपालन के क्रमगत विकास जैसे विषयों पर भी व्यापक जानकारी प्रस्तुत की गयी है। बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण विधि और अधिनियमों की जानकारी भी लेखकों द्वारा सरल, सहज व सुग्राह्य शैली में प्रस्तुत की गयी है।

इस पुस्तक में अनुपालन संबंधित विभिन्न पहलुओं को बारीकी से समेटने का प्रयास किया गया है। किसी भी संकल्पना को साकार करने के लिए सर्वोच्च शिखर से निरंतर आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और हमारे इस प्रयास में सर्वोच्च स्तर से निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इस पुस्तक की परिकल्पना को साकार करने के लिए मैं उच्च प्रबंधन से प्राप्त उनके मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञतापूर्ण आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन रचनाकारों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक में अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान किया है। साथ ही इस पुस्तक के प्रकाशन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी साथियों को भी उनके अप्रतिम सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उनका सहयोग इसकी प्रकार प्राप्त होता रहेगा।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी।

आपका,



(रामजीत सिंह)

सहायक महाप्रबंधक (राभा)

क्र. सं.	विषय	लेखक का नाम	पृष्ठ सं.
1.	उभरती प्रौद्योगिकी में बैंकिंग अनुपालन	राघव शर्मा	01
2.	विनियामक रिपोर्टिंग का महत्व	अमित नारायण माथुर	06
3.	ऋण में अनुपालन की भूमिका	ओमप्रकाश बर्णवाल	15
4.	सीएमसीसी में अनुपालन	कौशल किशोर शुक्ला	20
5.	बैंकिंग में अनुपालन संस्कृति	नितिन गोसावी	25
6.	जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) - डेटा प्रबंधन प्रणाली	रोहित कुमार पंजियार	31
7.	अनुपालन निगरानी टूल	दीपक सिंह फारस्वान	35
8.	अभिशासन जोखिम अनुपालन (जीआरसी) फ्रेमवर्क	दीपाली किरीट	40
9.	अनुपालन जोखिम और अनुपालन कार्य का महत्व	अंकुर चतुर्वेदी	47
10.	एएमएल अनुपालन का महत्व	गीतांजलि साहू	52
11.	अनुपालन का क्रमगत विकास	सिम्ल कंवर	57
12.	क्षेत्र स्तर से अनुपालन अपेक्षा	संजीव कुमार	65
13.	अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जोखिम स्कोरिंग/आकलन मॉड्यूल विकसित करना	विवेक	70
14.	निगरानी योग्य कार्ययोजना	राजदेव कुमार	83
15.	बैंकों में पर्यावरण, सामाजिकता और अभिशासन	श्रवण कुमार रेड्डी	89
16.	साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी अनुपालन	तपन कीर्तिकुमार बिलखिया	110
17.	ग्राहक सेवा में अनुपालन	डॉ. विजय कुमार पाण्डेय	115
18.	राजकोष एवं विदेशी विनियमन में अनुपालन	प्रेमा पाल	121
19.	अनुपालन परीक्षण का महत्व	ज्योति रंजन निधि	127
20.	बैंकिंग के महत्वपूर्ण कानून एवं अधिनियम	ए के विनोद	133

उभरती प्रौद्योगिकी में बैंकिंग अनुपालन

- राघव शर्मा

उभरती प्रौद्योगिकियां जीवन के सभी पहलुओं में पदचिह्न बनाती हैं और बैंकिंग अनुपालन कोई अपवाद नहीं है। बैंकिंग उद्योग स्थानीय और वैश्विक विनियामक निकायों की संख्या के मामले में सबसे अधिक विनियमित उद्योगों में से एक है।

बैंक लगातार नए विनियमों से निपट रहे हैं जिनके लिए उन्हें अपने अनुपालन ढांचे, शासन, निरीक्षण, प्रक्रियाओं और प्लेटफार्मों को मजबूत करने की आवश्यकता है। वर्तमान गतिशील विनियामक वातावरण में एक औपचारिक विनियामक परिवर्तन प्रबंधन ढांचा होना समय की आवश्यकता है। जिस प्रकार अनुपालन की लागत बड़े संस्थानों पर एक बोझ है, वहीं छोटी संस्थाओं की स्थिरता के लिए एक खतरा है क्योंकि लागत को फैलाने के लिए उनके पास बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं नहीं हैं। अनुपालन में कार्यनिष्पादन दक्षता में सुधार करते हुए अनुपालन लागत को कम करना उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रस्तुत प्रमुख चुनौतियों में से एक है।

बैंकिंग अनुपालन में कुछ प्रमुख चुनौतियां शामिल हैं:

- **अनुपालन कार्यों और व्यवसायों की श्रेणियों में असंगत एमआईएस डेटा** - सुसंगत स्रोत के बिना, बैंकों के लिए अनुपालन और निरीक्षण के लिए आवश्यक डेटा को संसाधित करना और उसका विश्लेषण करना कठिन है। अपर्याप्त डेटा मानकों और प्रबंधन नियंत्रण के परिणामस्वरूप विनियमन और निरीक्षण में कमजोरियां होती हैं। खराब डेटा गुणवत्ता को सुधारने के लिए अधिक समय और बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होती है।
- **उद्यम-व्यापी एकल ग्राहक दृष्टिकोण का अभाव** - बैंक की कई प्रणालियों में स्थित रहने वाले एक ग्राहक की कई ग्राहक आईडी जोखिम प्रबंधन, समग्र निगरानी और ग्राहक व्यवहार के विश्लेषण में एक चुनौती का कारण बनती हैं।
- **एएमएल और धोखाधड़ी नियंत्रण में नकली सकारात्मक अलर्ट की उच्च मात्रा**- यह लीगेसी नियम-आधारित पहचान प्रणालियों के उपयोग के कारण होने वाले प्रमुख नकारात्मक बिंदुओं में से एक है। यह बैंकों द्वारा सही अलर्ट पर उचित कार्रवाई करने की दिशा में भी अवरोध बनता है, जो एक अनुपालन उल्लंघन है।

2 ■ अनुपालन के विविध आयाम

- **मैनुअल, प्रयास-गहन प्रक्रियाएं** - कतिपय गतिविधियाँ अधिक समय लेने वाली, त्रुटि-पूर्ण और महंगी हैं, और ये बैंकों में अनुपालन कार्य का एक बड़ा हिस्सा हैं।
- **लीगेसी प्रणाली संरचित और असंरचित डेटा के संयोजन में अक्षम हैं** - असंरचित डेटा में ग्राहक व्यवहार के बारे में बड़ी मात्रा में छिपी हुई जानकारी होती है। ग्राहकों के ईमेल, चैट, वेब और सोशल मीडिया क्लिप, यदि इन पर सही संदर्भ में विश्लेषण किया जाए, तो संदिग्ध व्यवहार के शुरुआती चेतावनी संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।

बढ़ी हुई डेटा मात्रा, विनियामक दायित्वों और प्रौद्योगिकी अपनाने को केवल पारंपरिक अयांत्रिक प्रक्रियाओं और लोगों पर आधारित दृष्टिकोणों से संबोधित नहीं किया जा सकता है। स्वचालित समाधान का उपयोग करने से लाभप्रदता बढ़ाने के लिए समय और लागत बचाने में मदद मिलेगी।

विनियामक रिपोर्टिंग और विश्लेषण:

विनियामक रिपोर्टिंग विनियामक अधिदेश के अनुसार कई स्रोतों से डेटा का उपयोग करने के बाद रिपोर्ट निकालने की प्रक्रिया है। विनियामक इसका उपयोग बैंक के परिचालन और उसके समग्र कल्याण का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं, जिससे लागू विनियामक प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का निर्धारण होता है।

एआई का उपयोग करते हुए विनियामक अनुपालन:

अपनाने और उपयोग करने में आसान: विनियामक अनुपालन प्रक्रियाएं मुख्य रूप से विभिन्न स्रोत प्रणालियों से डेटा एकत्र करने, डेटा को फिल्टर करने और अनिवार्य प्रारूप में विनियामक को प्रस्तुत करने से पहले सटीकता की जांच करने पर केंद्रित होती हैं। एक मंच-संचालित दृष्टिकोण इस प्रक्रिया को सरल बना सकता है और एआई-आधारित नियमों का उपयोग करने के बाद, तकनीकी टीमों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है।

बेहतर निर्णय लेना: एआई का सबसे बड़ा लाभ इसकी जोखिम प्रबंधन डेटा के स्वरूप को समझने और भविष्यवाणी करने और उनके डेटा पर सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की क्षमता है। एआई वित्तीय संस्थानों को डेटा प्रकारों, प्रारूपों और प्रत्येक डेटा सेट पर लागू नियमों या परिवर्तन की पहचान करने में सक्षम बनाता है, डेटा पर सूक्ष्म दृष्टि उत्पन्न करने के लिए आसान पहुंच प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण बचत: बिग डेटा, एआई और क्लाउड में प्रगति ने बैंकों को उन प्रक्रियाओं और समाधान कार्यप्रवाहों को स्वचालित करने में सक्षम बनाया है जिनके लिए पहले समर्पित मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होती थी। एआई का उपयोग करने के बाद इन अयांत्रिक और दोहराव वाली प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जा सकता है। स्वचालन और समेकन अयांत्रिक त्रुटियों को कम करते हुए अनुपालन के लिए आवश्यक समय और प्रयास को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकते हैं।

बैंकिंग अनुपालन में बाधा डालने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकियां:

डिजिटलाइजेशन सभी उद्योगों में चर्चा का विषय बन गया है - चाहे वह विनिर्माण, खुदरा, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, बैंकिंग या कोई अन्य हो. नई प्रौद्योगिकियां कारोबारों को अधिक कुशलता से काम करने में सक्षम बनाती हैं, ग्राहकों को उन्नत मूल्य प्रदान करते हुए समय और लागत कम करती हैं. इन तकनीकों को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अनुपालन जैसे आंतरिक कार्यों के लिए भी तैयार किया जा रहा है जिससे मौजूदा चुनौतियों का समाधान किया जा सके और साथ ही केवाईसी(अपने ग्राहक को जानिए),एएमएल (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) और धोखाधड़ी नियंत्रण की भविष्य में पूर्णता भी की जा सके.

बैंक प्रचुर मात्रा में अतिरिक्त मूल्य प्रदान करते हुए बढ़ी हुई प्रभावशीलता, दक्षता, सटीकता और लागत अनुकूलन के अनुपालन में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा रहे हैं. उनमें से कुछ तकनीकों में शामिल हैं:

- **एनालिटिक्स-आधारित एंटीटी समाधान** - ये ग्राहक डेटा रखने वाली बैंक की किसी भी लीगेसी प्रणाली में बदलाव किए बिना बैंक भर में कई पहचान और संबंध बनाए रखने वाले ग्राहक का एक आलोक उत्पन्न करने में सक्षम हैं. इस तरह के मिलान के लिए परिष्कृत विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, कभी-कभी सटीक मिलान पर पहुंचने के लिए बाहरी तीसरे पक्ष के डेटा के साथ बैंक के डेटा को संवर्धित किया जाता है.
- **एआई-आधारित नेटवर्क और लिंकेज विश्लेषण** - एआई और मशीन लर्निंग ने बड़ी मात्रा में विनियामक जानकारी को प्रबंधित और नियंत्रित करने में सहायता करने के लिए विनियामक प्रौद्योगिकी में अपनी जगह बना ली है. एआई और मशीन लर्निंग विनियामक ज्ञान को कार्रवाई योग्य जानकारी में बदलने में मदद करते हैं. विनियामक एआई अनुपालन नियमों को डिजिटलाइज़ करते समय दोहराए जाने वाले कार्यों के लिए सहायता प्रदान करेगा. विनियामक संदर्भों के कवरेज में सुधार करने और अनुपालन को अद्यतन रखने के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी होगा.

एआई भी बैंकों के लिए छिपे हुए संबंधों और नेटवर्क की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल बनता जा रहा है जिसके माध्यम से वित्तीय अपराध किए जा सकते हैं. संदिग्ध छिपे संबंधों और आपराधिक नेटवर्क पर सूक्ष्म दृष्टि उत्पन्न करने के लिए बैंक ऐसे टूल्स का उपयोग कर रहे हैं. संदिग्ध नेटवर्क का पता लगाने के लिए ये टूल बैंक में उपलब्ध डेटा, इसमें मेल और चैट के रूप में असंरचित ग्राहक डेटा शामिल है, को सोशल मीडिया के साथ बाहरी स्रोतों में उपलब्ध डेटा से लिंक करते हैं. ऐसे नेटवर्क को तब बैंक द्वारा रोक प्लैग किया जा सकता है और वित्तीय अपराधों का पता लगाने के लिए गहन जांच के अधीन किया जा सकता है.

4 ■ अनुपालन के विविध आयाम

- **मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित प्लेटफॉर्म अलर्ट को अनुकूलित करने और झूठी सकारात्मकता को कम करने हेतु** - इन प्लेटफॉर्म्स ने पहले ही वित्तीय अपराधों का पता लगाने और जांच में उत्तम परिणाम दिए हैं। एमएल-आधारित अलर्ट जनरेशन समाधान मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए संदिग्ध व्यवहार की खोज कर सकते हैं और किसी परिभाषित अलर्ट ट्रिगरिंग परिदृश्य का उल्लंघन नहीं होने पर भी आगंतुक का पता लगा सकते हैं, जिसमें कुछ नियम-आधारित प्लेटफॉर्म अक्षम हैं। एमएल एल्गोरिथ्म द्वारा बनाए गए गतिशील नियमों का उपयोग करने के बाद नियम-आधारित प्रणाली द्वारा उत्पन्न झूठे अलर्ट को स्वचालित रूप से अलग कर देने के लिए कुछ बैंक एमएल टूल का भी उपयोग कर रहे हैं।
- **स्वचालित आईडी और दस्तावेज सत्यापन** डीप-कनवल्शन बायोमेट्रिक फेस मैचिंग, स्वचालित आईडी और दस्तावेज सत्यापन टूल के साथ मोबाइल इमेज प्रोसेसिंग का उपयोग केवाईसी की सीधी-अपरोक्ष प्रक्रमण को सक्षम कर रहा है। इन अनुप्रयोगों को अपने फोन में स्थापित करने के बाद, ग्राहक ज्ञानप्राप्ति के दौरान, साथ ही समय-समय पर और तदर्थ समीक्षा के दौरान केवाईसी के अंग के रूप में आईडी दस्तावेज और सेल्फी वीडियो अपलोड करने के लिए उन्हें सीधे संचालित कर सकते हैं।
- **धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु बायोमेट्रिक्स और कंप्यूटर दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी**- ये समाधान गति पकड़ रहे हैं, भले ही ऑनलाइन और कार्ड धोखाधड़ी में वृद्धि जारी है। मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ग्राहक के फिंगरप्रिंट, चेहरे या आईरिस स्कैन, वॉयस या कीबोर्ड डायनामिक्स का उपयोग करके विभिन्न भुगतान चैनलों में सक्षम किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे निहित ग्राहक बायोमेट्रिक्स की चोरी करना या दोहराना बहुत मुश्किल हो सकता है और भुगतान धोखाधड़ी को रोकने में मदद कर सकता है। मशीनों की वाक और दृश्य पहचानने की क्षमता में लगातार सुधार हो रहा है, और अगले कुछ वर्षों में इसके मानवों से अधिक होने की उम्मीद है।
- **केवाईसी और एमएल कार्यों में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए)** - बैंक में ज्ञानप्राप्ति, अलर्ट और केस प्रबंधन तेजी से बैंकों में मानक बनते जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर रोबोट को मानवीय कार्यों की नकल करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जो दोहराए जाने वाले और नियम-आधारित होते हैं, और कई प्रणालियों तक पहुँचने, डेटा प्रविष्टि और मिलान, रिपोर्ट बनाने और इसी तरह के कार्यों को मनुष्यों की तरह पूरा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम समय और लागत पर।

अपराधी वित्तीय अपराध करने के लिए तेजी से परिष्कृत साधन खोज रहे हैं, और बैंक अपराध की रोकथाम और पहचान हेतु अधिक सख्त नियमों को अपना रहे हैं। दोनों एक-दूसरे को मात देने की दौड़ में हैं। वह दिन दूर नहीं जब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म संपूर्ण

अनुपालन कार्यों को अंजाम देगा, क्योंकि मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स आरपीए और चैटबॉट्स, एनएलपी (प्राकृतिक भाषा प्रोग्रामिंग)-आधारित टेक्स्ट माइनिंग और डीप-लर्निंग आधारित छवि पहचान प्रणाली के साथ एकीकृत स्वचालन परिदृश्य को पूरा करती है।

तथापि, एक परिवर्तनवादी नवाचार मशीन इंटेलिजेंस विकसित करना होगा जो वित्तीय अपराधों को होने से रोकने के लिए बैंकों की रोकथाम और पहचान तंत्र को बायपास करने हेतु अपराधी क्या कर सकते हैं और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एल्गोरिथम-आधारित नियम बना सकें।

आगे बढ़ने का रास्ता:

भारी नियमों और दंडात्मक जुर्माने ने बैंकों को अनुपालन कार्य की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए अनुपालन मॉडल पर फिर से विचार करने के लिए बाध्य किया है। आगे बढ़ते हुए, ध्यान निम्नलिखित चरणों पर होना चाहिए:

अनुपालन स्वास्थ्य जांच करें: इस चरण में मौजूदा अनुपालन मॉडल की स्थिति का आकलन करना शामिल है, जिसमें उद्योग के सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के साथ मौजूदा कार्यप्रणालियों की तुलना करना शामिल है। एक उपयोगी उपकरण एक ऐसी प्रश्नावली है, जिसमें अनुपालन रणनीति, शासन और संगठन और अनुपालन जोखिम प्रबंधन जैसे आयामों को शामिल किया गया है, तथा प्रत्येक विषय को उसके महत्व के आधार पर भारित किया गया है।

लक्ष्य परिचालन मॉडल को परिभाषित करें: इसमें अनुपालन के लिए एक विस्तृत लक्ष्य परिचालन मॉडल का डिज़ाइन शामिल होना चाहिए जो व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। विनियामक आवश्यकताओं के व्यापक डेटाबेस का विकास एक प्रमुख उत्तोलक होगा।

कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप बनाएं: संरचना को स्थापित करने सहित मॉडल को लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहिए। अनुपालन कार्य के दैनिक संचालन को जारी रखते हुए नए मॉडल को संप्रयोजित करने की तैयारी करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

विश्व स्तर पर बैंकों ने विनियामक अनुपालन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करना शुरू ही किया है, और रेगटेक नवाचार बैंकों और वित्तीय संस्थानों में अनुपालन के प्रबंधन के तरीके को पूरी तरह से बदलकर, उद्योग पर आधिपत्य करने के लिए बाध्य है। यह सुदूर स्वप्न नहीं है, क्योंकि यात्रा शुरू हो चुकी है।



विनियामक रिपोर्टिंग का महत्व

- अमित नारायण माथुर

विश्व में कई उद्योग/संगठन/सेवा प्रदाता अपने देश और इसकी जनता की उन्नति और विकास को सीधे प्रभावित करते हैं. देश और उसके नागरिकों के सतत विकास के लिए वहाँ के संगठनों द्वारा निम्नलिखित तीन मुख्य आवश्यकताओं को पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है. पहला, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण की सतत क्षमता सुनिश्चित करने के लिए संगठनों का आर्थिक एवं वित्तीय रूप से टिकाऊ होना आवश्यक है. दूसरा, व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि के अतिरिक्त सामान्य जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार सुनिश्चित करने हेतु संगठनों का पर्यावरणीय और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ होना चाहिए. तीसरा, समाज के सभी वर्गों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को समान रूप से साझा करने हेतु संगठनों का सामाजिक रूप से टिकाऊ होना चाहिए. राष्ट्र की प्रगति के लिए ऐसे संगठनों का विफल होना या गलत कार्यशैली अपनाना जैसी घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. अतः, ऐसे क्षेत्रों को नियमित करने हेतु एवं उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा विनियामकों की नियुक्ति की जाती है. विनियामक ऐसे व्यक्ति या संगठन होते हैं जो उद्योगों / संगठनों अथवा अन्य इकाईयों यथा बैंक, इन्श्युरेंस, शेयर मार्केट इत्यादि को विनियमित करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं.

1. विनियामकों की विनियामक शक्ति/अधिकार का आधार/स्रोत

विनियामकों को संबन्धित कानूनी साधनों, सांविधिक नियमों रियायत अथवा अनुबन्धित समझौतों या अन्य लागू दस्तावेजों के द्वारा संगठनों को विनियमित करने हेतु प्रत्यायोजित अधिकार दिए जाते हैं.

संगठनों की सेवाएं, कीमतें, लागत और अन्य मापदंड जो सीधे तौर पर निवेश या पूंजी की लागत को और सार्वजनिक हित को प्रभावित करते हैं और सीमित प्राकृतिक संसाधनों (जैसे भूमि, पानी या रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम) के उपयोग में तकनीकी और आर्थिक दक्षता सुनिश्चित करते हैं, उनके प्रबंधन के लिए विनियामकों को कानूनों, नियम, और अनुबन्धों के अधिकार दिए जा सकते हैं.

एक सामान्य पैरामीटर टैरिफ सेटिंग और टैरिफ पुनः समायोजन का प्रबंधन है, फिर

भी ऐसा प्रबंधन सरकार के नीतिगत ढांचे, सेक्टर कानूनों या रियायत अनुबंधों द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए. तकनीकी मानकों और गुणवत्ता मानदंडों का प्रबंधन भी प्रत्यायोजित किया जा सकता है क्योंकि वे आम तौर पर परिचालन लागत और उपभोक्ता हित को प्रभावित करते हैं.

अन्य मामले भी विनियामकों को प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं, जैसे कि सेवा और अन्य दायित्वों का अनुपालन, नए ऑपरेटरों का बाजार में प्रवेश, सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार व्यवहार पर नियंत्रण, सूचना का प्रकटीकरण, और अन्य सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ताओं और तृतीय पक्षों के साथ कुछ प्रकार के विवादों का निपटान (उदाहरण के लिए, अन्य नेटवर्क तक पहुंच/ऐसी पहुंच के लिए शुल्क)

2. विनियामक कार्रवाई के प्रभाव:

विनियामक कार्रवाईयों का विनियमित उद्योगों /परियोजनाओं पर निम्नानुसार प्रभाव पड़ता है:

- आधारभूत सेवाओं की लागत
- सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता (सेवा की भौतिक विशेषताएं, बचाव और सुरक्षा, पर्यावरण मानक)
- बाहरी निवेश का स्तर, प्रौद्योगिकी का चुनाव और इनोवेशन
- सार्वजनिक सेवा दायित्व
- बाजार में प्रवेश और निकास

3. भारत में विनियामक

भारतीय क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए विनियामकों की एक बड़ी सूची मौजूद है, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- भारतीय रिजर्व बैंक,
- सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ़ इंडिया)
- आईआरडीए (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण)
- पीएफआरडीए (पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण)
- सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक)
- ट्राई (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण)

8 ■ अनुपालन के विविध आयाम

- एफएसडीसी (वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद)
- बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो)
- एम्फी (भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन)
- फियो (फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन)
- आईएनएसए (इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन)
- नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)
- नैसकॉम (नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज)

उद्योग और प्रणाली को विनियमित करने के लिए, विनियामक निरीक्षण, लेखा परीक्षा आदि करते हैं और विभिन्न रिपोर्ट भी मांगते हैं, कानून से जुड़े संस्थाओं को विनियामकों को रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर, भारतीय रिजर्व बैंक 250 से अधिक विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें साप्ताहिक, त्रैमासिक, मासिक, वार्षिक आधार पर एकत्रित करता है। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आरबीआई के कई पोर्टल हैं।

4. विनियामक रिपोर्टिंग कैसे काम करती है?

विनियामक रिपोर्टिंग आवश्यक विनियामक प्रावधानों के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को डेटा प्रस्तुत करना है। सरल शब्दों में, यह प्रक्रिया व्यवसाय और व्यक्तियों को लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए- की जानी चाहिए कि वे सभी नियमों का पालन कर रहे हैं।

यह संभव है कि हम शायद पहले से ही बहुत सारी विनियामक रिपोर्टिंग कर रहे हैं - शायद यह जाने बिना भी कि यह क्या है। वास्तविकता यह है कि, विनियामक रिपोर्टिंग - आंतरिक और बाहरी दोनों तरीकों से की जा सकती है।

कार्यप्रणाली को ठीक से करने वाली संस्था में, प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर बाहरी ऑडिट होते हैं, साथ ही नियमित आंतरिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन भी किया जाता है। विनियामक रिपोर्टिंग करने के चार बुनियादी पहलू यहां दिए गए हैं:

● रिकॉर्ड रखना

प्रत्येक लेन-देन और प्रत्येक प्रक्रिया के सटीक विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल है। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि आपके पास स्पष्ट सबूत हैं कि आप आदेश के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं।

- **प्रणाली और प्रक्रियाएं**

व्यवसाय के दैनिक संचालन हेतु विभिन्न दिशा-निर्देश और कानूनी आवश्यकताएं एकीकृत रूप से कार्य करते हैं, इसलिए कई मानक प्रथाएं, जिनमें नियमों और शर्तों की व्याख्या करने से लेकर कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने तक, जिनके बारे में आप दुबारा भी नहीं सोचते हैं, वास्तव में ये विनियामक रिपोर्टिंग के रूप में कार्य करते हैं।

- **शिकायतों पर कार्रवाई**

किसी औपचारिक प्रक्रिया का पालन करते समय, आप एक विनियम का पालन कर रहे होते हैं और इसलिए उस पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। जब आप किसी शिकायत पर कार्रवाई या किसी कर्मचारी को अनुशासित करने के लिए जब कागजी कार्रवाई करते हैं, तो आप एक विनियामक रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं।

5. विनियामक रिपोर्टिंग का महत्व

विनियामक रिपोर्टिंग के महत्व को वास्तव में अतिरंजित नहीं किया जा सकता है: कुछ व्यवसाय इसके बिना भी सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं। इसके चार कारण हैं:

- **ग्राहक का विश्वास**

विशेषतः आज के समय में, पारदर्शिता के लिए बढ़ती सार्वजनिक मांगों के साथ आदेश के विनियमन का पालन करना जनता का विश्वास बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निष्पक्ष व्यवहार, स्थिरता और अंतर-व्यक्तिगत नैतिकता के कानूनों का पालन करके, संगठन सकारात्मक सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं।

- **आंतरिक आत्मविश्वास**

एक संगठन के भीतर विश्वास बनाए रखने और कर्मचारियों की संतुष्टि हेतु विनियमन महत्वपूर्ण है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि स्पष्ट प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। जब हर कोई नियमों को समझता है, तो कहीं अधिक कुशलता से काम हो सकता है। ऐसे भी मामले हैं, जहां कर्मचारी कल्याण के हित में व्यवसायों को कई विषयों के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए आवश्यकता है - यथा लिंग वेतन असमानताएं।

- **दोष/ गलतियों का पता लगाना**

एक मजबूत विनियामक रिपोर्टिंग का हमेशा डेटाबेस के रूप में उपलब्ध होना भी बेहद उपयोगी है। अगर कुछ गलत होता है, तो विनियामक रिपोर्टिंग यह समझने

के लिए उपयोगी सुराग प्रदान कर सकती है कि वास्तव में क्या और क्यों हुआ।

यह समुचित सावधानी के दौरान निवेशकों या खरीदारों को आश्वस्त करने के लिए उपयोगी जानकारी हो सकती है, साथ ही उच्च प्रबंधन को अपनी फर्म की प्रगति को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है।

● कानूनी मुद्दों से बचना

मुख्य रूप से, विनियामक रिपोर्टिंग एक प्रमुख कानूनी आवश्यकता है और इसे ठीक से करने में विफल रहने पर किसी संगठन या व्यक्ति के लिए गंभीर वित्तीय और कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। अनुपालन के उचित सबूत के बिना, मुकदमेबाजी और सरकारी जुर्मानों की संभावना बढ़ जाती है।

गंभीर कानूनी समस्याओं से जुड़े प्रतिष्ठित मुद्दों के कारण, बोर्ड में अत्यंत परिश्रमी रिपोर्टिंग को लागू करना किसी भी संगठन के सर्वोत्तम हित में है।

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां विनियमन एक संगठन के हित के साथ मेल खाता है और एक आवश्यक पहलू बन जाता है, इस कारण विनियामक रिपोर्टिंग के लिए वह महत्व और ध्यान दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका वह हकदार है।

6. बैंकों में विनियामक रिपोर्टिंग और कठिनाई

“विनियामक रिपोर्टिंग” एक बैंक के संचालन और उसके समग्र स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए विनियामकों द्वारा आवश्यक मौलिक या सारांश डेटा को प्रस्तुत करना है, जिससे विनियामक प्रावधानों के लागू होने की अनुपालन की स्थिति का निर्धारण होता है। दुनिया भर की सरकारें अपनी बैंकिंग प्रणाली को अद्यतन रखने के लिए इसे विशेष रूप से महत्व देती हैं। 2008-09 के वित्तीय संकट के बाद या जिसे हम “महान मंदी” के रूप में जानते हैं, यह एक महत्वपूर्ण कार्य साबित हुआ है।

उक्त वित्तीय संकट के बाद, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में कई शासी निकायों ने एक प्रकार का विनियामक वातावरण विकसित करना शुरू कर दिया। कई नए सुधारों को विशेष रूप से डोड-फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट [1] संयुक्त राज्य कांग्रेस और बेसल I, II और III अर्थात् बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल कमेटी (बीसीबीएस) द्वारा पेश किया गया था। इसने अमेरिकी वित्तीय विनियामक वातावरण में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा जिसने सभी संघीय वित्तीय विनियामक एजेंसियों और देश के वित्तीय सेवा उद्योग के लगभग हर हिस्से को प्रभावित किया। आजकल, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इन सुधारों के अनुसार खुद को विनियमित रखने के लिए गतिशील प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

7. वित्तीय संस्थानों को विनियामक रिपोर्टिंग को पूरा करना मुश्किल क्यों लगता है?

आजकल, बैंकों को वित्तीय रिपोर्टिंग, विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA), सामान्य रिपोर्टिंग मानक (CRS) और बेसल (BASEL) जैसी विभिन्न रिपोर्टों के लिए डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है। मौजूदा पुराने बैंकिंग सिस्टम पर बहुत अधिक भार के साथ, वे अपनी सीमा तक काम कर रहे हैं और आसानी से उत्पन्न सभी अतिरिक्त जानकारी को संभाल नहीं सकते हैं। ऐसे परिदृश्य में बैंकों के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं:

● सूचना के अनेक स्रोत:

बैंकों के पास सूचना के अनेक स्रोत होते हैं। आवश्यक जानकारी की गहराई के आधार पर, बैंकों को रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को व्यापक रूप से पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। कभी-कभी, इसके लिए आईटी अनुप्रयोगों के विकास की आवश्यकता भी होती है जिसका रिपोर्टिंग प्रक्रिया में लगने वाले समय और लागत पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है।

● एकाधिक रिपोर्ट प्रारूप:

व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, बैंकिंग सिस्टम को विभिन्न प्रारूपों में रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता होती है जैसा कि शासी विनियामक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। अधिकांश मामलों में संगठनात्मक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ इतनी लचीली नहीं होती हैं कि बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए या मौजूदा, डेटा माँ डल को संशोधित कर सकें।

● कुशल संसाधनों की कमी:

रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को बदलने का मतलब है कि बैंकों को न केवल वित्त विशेषज्ञों की आवश्यकता है, बल्कि मौजूदा आईटी प्रणालियों के लिए कारोबारिक आवश्यकताओं को मैप करने में कुशल पेशेवरों की भी आवश्यकता है, जहां आवश्यक हो, नए अनुप्रयोगों को विकसित करना आदि।

● डेटा की अशुद्धियाँ:

बैंक वित्तीय विवरणों, जोखिम रिपोर्ट, पूंजी पर्याप्तता के लिए प्रस्तुतियाँ और विनियामक रिपोर्ट के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। ये सभी रिपोर्टें विभिन्न प्रणालियों से तैयार की जाती हैं और बैंकों को सभी प्रणालियों में डेटा की सटीकता की जांच करने के लिए प्रभावी समाधान प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।

● **समय-सीमा:**

विनियामकों को उम्मीद है कि वित्तीय संस्थान निर्धारित समय सीमा के भीतर संशोधित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में तेजी से बदलाव करेंगे। यद्यपि इन कार्यान्वयन तिथियों की पूर्व सूचना बैंकों के साथ साझा की जाती है, लेकिन अक्सर आवश्यक परिवर्तनों को क्रियान्वित करने के लिए समय पर्याप्त नहीं होता है।

आखिरकार, यह सवाल उठता है कि विकसित हो रहे नियमों का सामना कैसे किया जाए? इस संबंध में, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार बदलते विनियामक सेटअप में प्रौद्योगिकी की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आज बाजार में कई उपकरण और सॉफ्टवेयर मौजूद हैं लेकिन हर नए नियम के लागू होने के साथ नई तकनीक की मांग बढ़ जाती है। ये विनियामक रिपोर्टिंग उपकरण बैंकों को विरासत प्रणाली के मुद्दों, माइक्रो स्तर पर उपलब्ध डेटा की कमी, अत्यधिक सिस्टम फीड और डेटा मैपिंग में जटिलता, डेटा फीड के लिए संगतता जैसी अंतर्निहित समस्याओं से बचने में मदद करते हैं।

8. विनियामक रिपोर्टिंग किसकी जिम्मेदारी है?

सीधे शब्दों में कहें तो प्रत्येक व्यक्ति के कम से कम कुछ विनियामक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होने की संभावना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्राधिकरण के प्रति जवाबदेह है। चाहे वह टैक्स के लिए हो; उपकरण प्रोटोकॉल के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा बोर्ड; या व्यवहार संबंधी अपेक्षाओं के लिए प्रबंधन टीम, विनियामक रिपोर्टिंग एक कार्यशील समाज का एक अभिन्न अंग है।

हम कह सकते हैं कि विनियामक रिपोर्टिंग वह माध्यम है जिसके द्वारा हम नैतिक, स्वास्थ्य और दक्षता मानकों को बनाए रखते हैं। लेकिन अधिक यथार्थवादी होने के कारण, विनियामक रिपोर्टिंग प्रतिस्पर्धी पार्टियों और परस्पर विरोधी हितों के बीच पारस्परिक विश्वास और पारदर्शिता बनाने का एक आवश्यक तत्व है।

इस तथ्य पर जोर देना भी महत्वपूर्ण है कि किसी संगठन के भीतर व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि रिपोर्टिंग प्रत्येक स्तर पर अंतिम छोर तक हो। अक्सर, संगठनों के भीतर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विनियमन मौजूद होता है, इतना ही जिससे कि संसाधनों के गैर-जिम्मेदार उपयोग या अप्रतिस्पर्धी प्रथाओं से बचा जाए।

9. विनियामक रिपोर्टिंग की चुनौतियां

● विनियामक डेटा तैयार करने और समायोजन में अंतराल

विनियामक अनुसूचियों और टेम्पलेट्स की डेटा सूचना आवश्यकताओं का विश्लेषण करना एक समय लेने वाली और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। इनमें से अधिकांश बैंकिंग रिलेशनल डेटा स्टोर में उपलब्ध होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें डेटा लेक या अपस्ट्रीम सिस्टम पर अन्वेषण की आवश्यकता हो सकती है। बैंक वर्तमान में ऐसा करने के लिए अपने व्यावसायिक डेटा विश्लेषकों को संलग्न करते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही कठिन कार्य हो सकता है।

● लेनदेन के बाहर कैप्चर किए गए डेटा का प्रमाणीकरण

विनियामक रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों की व्याख्या एक बहुत ही विशेष अध्ययन हेतु कार्यक्षेत्र और बौद्धिक रूप से आकर्षक कार्य है जिसमें वित्तीय संस्थान बहुत समय, प्रयास और संसाधन खर्च करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें उनके विनियामक प्रस्तुतीकरण के बाद गैर-अनुपालन के लिए परेशान नहीं किया जा रहा है।

यहां तक कि अधिकांश वित्तीय संस्थानों में आईटी और अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, हमारे पास अभी भी कुछ डेटा व्यावसायिक प्रक्रियाओं की सीमाओं के कारण मैनुअल हस्तक्षेप के माध्यम से अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं। अधिकांश गैर-स्वचालित फ्रीड समायोजन के आंकड़े, जो स्प्रेडशीट्स के माध्यम से विनियामक टीमों को भेजे जाते हैं और क्षेत्र-स्तरीय जानकारी शामिल करते हैं जो उपलब्ध लेनदेन संबंधी डेटा में मौजूद नहीं होते हैं। समाशोधन के लिए कई तृतीय-पक्ष प्रणालियों को संदर्भित करने की आवश्यकता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इन प्रक्रियाओं पर स्थापित नियंत्रण परिपक्व हो गए हैं, ये गैर-स्वचालित फ्रीड अभी भी प्रचलित हैं और इन्हें संसाधित करने में अत्यधिक समय लगता है।

लेन-देन के अद्यतन होने के क्षण से लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत, संशोधित और स्वीकार किए जाने तक संपूर्ण रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर नियंत्रण होना चाहिए। डेटा को कई स्रोतों से जोड़ा जाना चाहिए, कई अलग-अलग नियमों का पालन करते हुए नियामक-तैयार रिपोर्ट को प्रारूपित करना चाहिए, नियामक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना और स्वीकार करना, क्षेत्र-दर-क्षेत्र के आधार पर सरल संपादन करना, ऑडिट ट्रेल्स को बनाए रखना और बहुत कुछ करना चाहिए। यह कम जोखिम, उच्च सटीकता, सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग प्रदान करता है। ऑडिट ट्रेल्स - सभी चेकों को संगृहीत किया जाना चाहिए और रिपोर्टिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय पहुंच योग्य होना चाहिए।

● **कम से कम मैनुअल हस्तक्षेप आधारित प्रक्रिया**

ऐसे आई टी एप्लीकेशन को प्रयोग में लाना चाहिए जो बैंक की नीतियों, कोर और संबद्ध प्रणालियों के अनुसार अनुकूलित विभिन्न डेटा निष्कर्षण विधियों के अनुसार अपस्ट्रीम सिस्टम में डेटा विशेषताओं को पढ़ और विश्लेषण कर सकती है और संबंधित विनियामक रिपोर्ट के लिए डेटा मॉडल के लक्षित क्षेत्रों में स्रोत तत्व की संभावित मैपिंग की सिफारिश कर सकती है।

यद्यपि इस प्रक्रिया को शुरू में पूरी तरह से स्वचालित नहीं किया जा सकता है, तथापि कुछ समय के लिए एल्गोरिथम, विनियामक प्रक्रियाओं से प्रतिक्रिया और सत्यापन के साथ, सटीकता हासिल करने और कुछ समय में इस प्रक्रिया में अधिक तेजी लायी जा सकती है। यह डेटा तैयार करने और समायोजन की प्रक्रिया को काफी तेज करेगा और रिपोर्ट के विश्लेषण के लिए विनियामक टीम को अधिक समय प्रदान करेगा।

● **पुनः प्रस्तुत करने के लिए डेटा का सुरक्षित स्टोरेज (यदि आवश्यक हो)**

एक प्रस्तुतीकरण से दूसरे प्रस्तुतीकरण में रिपोर्टिंग में कोई बड़ा अंतर न होना सुनिश्चित करने के लिए विचलन विश्लेषण विनियामक रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यद्यपि विश्लेषण की प्रक्रिया अपने आप में बहुत अधिक समय लेने वाली नहीं है, तथापि त्रुटियों के लिए नगण्य या कोई गुंजाइश नहीं होने के साथ बहुत ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यकता है कि डेटा स्टोरेज करना और उसे फिर से प्राप्त करके प्रयोग में लेना।

विनियामक रिपोर्टिंग टीमों में व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को आंतरिक प्रबंधन टीम द्वारा समीक्षा और विनियामकों द्वारा समीक्षा दोनों के लिए प्रबंधन सारांश रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता होती है और डेटा की संवेदनशीलता के आधार पर, विनियामक रिपोर्टिंग अवसंरचना की स्टोरज के लिए एक सार्वजनिक, निजी या हाइब्रिड क्लाउड का उपयोग किया जा सकता है।

इसका उद्देश्य न केवल अनुपालन की लागत को कम करना है, बल्कि यह भी आश्वस्त करना है कि विनियामक परिवर्तन उद्यम व्यापार रणनीति के साथ जुड़ा हुआ है और किसी भी अतिरिक्त विनियामक पूछताछ का जवाब देने के लिए विनियामक बुनियादी ढांचे को पर्याप्त बनाना है।

विनियामक रिपोर्टिंग किसी भी संस्था के लिए खुद के लाभ हेतु आवश्यक वस्तुओं में से एक होनी चाहिए और संस्था को इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए।



ऋण में अनुपालन की भूमिका

- ओमप्रकाश बर्णवाल

प्रस्तावना

ऋण प्रदान करने के महती उद्देश्य से बैंकिंग की उत्पत्ति हुई है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 5(ख) में वर्णित बैंकिंग की परिभाषा से स्पष्ट है कि ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जमा प्राप्त करना ही बैंकिंग का मूलाधार है। बैंक एक वित्तीय संस्था है जिसे कई प्रकार के व्ययों यथा जमा पर ब्याज, परिचालन लागत, कर्मचारियों का वेतन, शेयरधारकों को लाभांश इत्यादि को पूरा करने के लिए आय की आवश्यकता होती है जो ऋण से ही सम्भव है। ऋण के बदले उस पर प्राप्त ब्याज और उससे जुड़े अन्य शुल्क यथा प्रसंस्करण शुल्क, प्रलेखीकरण शुल्क, निरीक्षण शुल्क इत्यादि किसी भी बैंक के आय का स्रोत- होता है। स्पष्ट है कि किसी भी बैंक के आय एवं लाभप्रदता में वृद्धि के लिए ऋण में वृद्धि आवश्यक है। यद्यपि आज बैंकिंग का दायरा अत्यंत व्यापक हो गया है और अपनी आय एवं लाभप्रदता- में वृद्धि के लिए बैंकों द्वारा बीमा, म्युचुअल फ़ण्ड, बैंक गारंटी, तीसरे पक्ष के उत्पादों की बिक्री को भी शामिल कर लिया गया है, तथापि ऋण पर प्राप्त ब्याज और विभिन्न शुल्क आज भी आय का प्रमुख स्रोत बना हुआ है।

ऋण में अनुपालन की आवश्यकता

ऋण देना आसान कार्य नहीं है। ऋण पूरी तरह जोखिम से भरा हुआ है। अगर ऋण की किस्तों का समय पर एवं नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जाता है तो वह ऋण अशोध्य हो जाता है, उससे प्राप्त होने वाला ब्याज अवरुद्ध हो जाता है, उसके लिए अलग से प्रावधान करना पड़ता है और उसकी वसूली एक विकट समस्या बन जाती है। इसी कारण ऋण हेतु कई प्रकार के मानदंड निर्धारित किए गए हैं और तदनुसार दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिसका अनुपालन करना अनिवार्य होता है। अगर ऋण में अनुपालन का ध्यान नहीं रखा जाए तो उस ऋण के अशोध्य अर्थात् एनपीए होने की पूरी आशंका होती है।

जैसा कि हम जानते हैं ऋण के एनपीए होने पर ना केवल उससे मिलने वाला ब्याज अपितु मूलधन की वसूली भी जटिल हो जाती है। उसके लिए प्रावधान करना पड़ता है तथा उस ऋण की वसूली के क्रम में कई कानूनी अड़चनों एवं विधिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।

ऋण में अनुपालन न केवल ऋण के अशोध्य होने से बचाव का पूर्वोपाय है अपितु ऋण के अशोध्य या एनपीए की स्थिति में यह विधिक प्रक्रिया को भी सरल, सहज और सुलभ बनाता है। इसके विपरीत अगर ऋण में विशेषतः प्रलेखीकरण के समय अनुपालन का ध्यान न रखा जाए तो बैंक को कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी विधिक अपेक्षाओं एवं कार्रवाई के भंवर जाल में ऋण से भी हाथ धोना पड़ता है।

ऋण में अनुपालन हेतु सूत्र

ऋण प्रदान करते समय बरती जाने वाली सावधानियों तथा ऋण प्रदान करने के बाद आवश्यक निगरानियों को ध्यान में रखते हुए 6सी की परिकल्पना की गई है जो निम्नानुसार है:

- i) चरित्र (कैरक्टर) अर्थात् उधारकर्ता जिस कार्य/ कारोबार के लिए ऋण ले रहा है, उस कार्य को निपटाने/ उस कारोबार को चलाने के प्रति निष्ठावान है तथा उस ऋण के पुनर्भुगतान के प्रति ईमानदार है।
- ii) पूंजी (कैपिटल) अर्थात् उधारकर्ता के पास विपरीत परिस्थिति में भी ऋण चुकाने हेतु पर्याप्त साधन है और आवश्यक मार्जिन राशि हेतु सक्षम है।
- iii) सम्पार्श्विक (कोल्लेटरल) प्रतिभूति अर्थात् ऋण लेने के बदले उधारकर्ता जो भूमि, भवन, सावधि जमा रसीद, एलआईसी पोलिसी का बंध पत्र इत्यादि प्रतिभूति के रूप में दे रहा है, उसे ऋण अशोध्य होने की स्थिति में बैंक द्वारा सुगमतापूर्वक बेचकर उस ऋण की वसूली की जा सके।
- iv) क्षमता (केपैसिटी) अर्थात् जिस कार्य या कारोबार के लिए उधारकर्ता ऋण ले रहा है, उस कार्य को सम्पन्न करने या उस कारोबार को चलाने में समर्थ है और इसके लिए आवश्यक अनुभव, तकनीकी कुशलता और शैक्षणिक योग्यता उसके पास है।
- v) शर्त (कंडीशन) अर्थात् जिस कार्य या कारोबार के लिए उधारकर्ता ऋण ले रहा है, वहाँ का कानून, जलवायु और आधारभूत संरचना इसके अनुकूल है। यथा बिहार में शराब के व्यापार के लिए ऋण नहीं दिया जा सकता है।
- vi) नियंत्रण (कंट्रोल) अर्थात् उधारकर्ता अपने ऋण का समुचित उपयोग कर रहा है और ऋण की वसूली में कोई समस्या नहीं है, यह सुनिश्चित करना ही नियंत्रण या निगरानी है।

ऋण में अनुपालन के चरण

ऋण में अनुपालन हेतु उपरोक्त 6 सूत्रों को ध्यान में रखते हुए अनुपालन को तीन भागों

या चरणों में बांटा जा सकता है- ऋण स्वीकृति के पूर्व अनुपालन, ऋण स्वीकृति के समय अनुपालन और ऋण स्वीकृति के बाद अनुपालन.

ऋण स्वीकृति के पूर्व अनुपालन

सच पूछा जाए तो ऋण में अनुपालन का सबसे अधिक महत्व ऋण स्वीकृति के पूर्व ही है जिसे पूर्वोपाय अथवा रुग्णतापूर्व उपचार से भी अभिहित किया जा सकता है. ऋण स्वीकृति के पूर्व प्रमुख अनुपालन निम्नांकित हैं:

- i) ऋण आवेदन प्रपत्र में सभी खाली जगहों को सही ढंग से भरकर उस पर उधारकर्ता का हस्ताक्षर प्राप्त करना
- ii) संबंधित प्रलेखों यथा केवाईसी, वचन पत्र, मांग वचन पत्र, ब्याज संबंधी करार, ऋण से संबंधित शर्तों पर करार, दृष्टिबंधन संबंधी करार, निरंतरता करार, गारंटी संबंधी करार इत्यादि में सभी खाली जगहों को सही ढंग से भरकर उन पर उधारकर्ता का हस्ताक्षर प्राप्त करना
- iii) जिस व्यवसाय/ कार्य/ कारोबार के लिए उधारकर्ता ऋण ले रहा है, उससे संबंधित अनुभव, आवश्यक शर्तों तथा योग्यता संबंधी साक्ष्य प्राप्त करना
- iv) उधारकर्ता की आयकर विवरणी, खाता विवरण, तुलन पत्र, सिबिल इत्यादि प्राप्त करना तथा व्यापार/ कारोबार हेतु ऋण लेने पर फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा जीएसटी संख्या संबंधी साक्ष्य लेना
- v) स्वीकृति पूर्व उधारकर्ता के कार्य स्थल यथा व्यापार/ कारोबार के मामले में दुकान/ फर्म, कृषि के मामले में खेत, आवास के मामले में भूमि और खाद्य प्रसंस्करण के मामले में फैक्ट्री का निरीक्षण

ऋण स्वीकृति के समय अनुपालन

ऋण में अनुपालन की असली परीक्षा ऋण की स्वीकृति के समय ही होती है. अनुपालन के प्रमुख बिंदु निम्नांकित हैं:

- i) ऋण की प्रकृति और शाखा को प्रत्यायोजित उधारकारी शक्तियों के आधार पर तथा उस ऋण से जुड़ी समस्त शर्तों के पूरा करने पर ऋण देने का निर्णय लेना
- ii) तदनुसार प्रोसेसिंग नोट, क्रेडिट रिपोर्ट तथा ऋण स्वीकृति संबंधी सूचना पत्र तैयार करना
- iii) आवश्यक प्राथमिक एवं संपार्श्विक प्रतिभूति से संबंधित प्रलेखों को प्राप्त करना तथा उक्त प्रतिभूति के संबंध में कानूनी राय एवं मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करना, आवश्यकतानुसार उन प्रतिभूति/यों का पंजीकरण करवाना

- iv) जहाँ तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता हो, वहाँ गारंटीकर्ता का हस्ताक्षर तथा उसका केवाईसी एवं गारंटी से संबंधित आवश्यक प्रलेख प्राप्त करना
- v) करार संबंधी समस्त प्रलेखों में जहाँ शाखा स्थित है, वहाँ के राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक स्टाम्प पेपर प्राप्त करना

ऋण स्वीकृति के बाद अनुपालन

ऋण अशोध्य न हो और उसका पुनर्भुगतान समय पर एवं नियमित रूप से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ऋण स्वीकृति के बाद अनुपालन आवश्यक है. उक्त अनुपालन संबंधी प्रमुख बिंदु निम्नांकित है:

- i) ऋण सुरक्षा से संबंधित सभी शर्तों का पालन करना यथा वाहन ऋण के मामले में आर सी पेपर एवं बीमा कवर में बैंक का नाम दर्ज करवाना तथा प्रतिभूति के रूप में जिस भूमि को प्राप्त किया गया है, उसका रजिस्ट्रार के कार्यालय में बंधक करवाना
- ii) ऋण निधि के विपथन को रोकने के लिए खरीदे गए माल/सामग्री का बिल प्राप्त करना और निधि का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करना
- iii) अगर ऋण व्यापार/कारोबार के लिए दिया गया हो तो नियमित रूप से आवधिक स्टॉक विवरण प्राप्त करना
- iv) ऋण राशि से प्राप्त सामग्री, खरीदी गई मशीनरी, भूमि, भवन इत्यादि का बीमा करवाना
- v) जिस कार्य/कारोबार के लिए ऋण प्रदान किया गया है, वह कार्य/कारोबार सुचारु रूप से चल रहा है, यह सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृति के बाद निरीक्षण एवं आवधिक निरीक्षण करना

दिशानिर्देशों का अनुपालन

भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर ऋण में अनुपालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं. भारत में कार्यरत हर व्यावसायिक बैंक एवं 20 से अधिक शाखा वाले हर विदेशी बैंक को अपने कुल समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही इसके अंतर्गत कई उपविभाजन भी किया गया है और तदनुसार लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा किस-किस क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. अगर ऋण में अनुपालन के समय इन दिशानिर्देशों को ध्यान में नहीं रखा जाए तो बैंक को उक्त लक्ष्य के कमी के बराबर राशि नाबार्ड के आईआरडीएफ और सिडबी को अंतरित करना पड़ता है जिससे बैंक को उक्त निधि पर प्राप्य ब्याज नहीं

मिलता है। अस्तु, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने और उस पर ब्याज की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए ऋण में अनुपालन आवश्यक हो जाता है।

निष्कर्ष

आज बैंकिंग जगत जटिल प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है और हर बैंक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। प्रबंधन आय एवं लाभप्रदता में अधिकाधिक एवं उत्तरोत्तर वृद्धि चाहता है, शेयरधारक अधिकाधिक लाभांश चाहता है और कर्मचारी अधिक आकर्षक सुविधा और भत्ता चाहता है। यह तभी सम्भव है जब ऋण का दायरा और ऋण की मात्रा में वृद्धि हो तथा ऋण के किस्तों का पुनर्भुगतान समय पर एवं नियमित रूप से होते रहें अर्थात् ऋण एनपीए में न बदले जो ऋण में अनुपालन से ही सम्भव है। अस्तु, ऋण में अनुपालन न केवल किसी बैंक के कारोबार, आय और लाभप्रदता की दिशा तय करता है अपितु यह किसी बैंक के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ऋण के समय पर एवं नियमित रूप से भुगतान में व्यवधान और विलम्ब की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे चार भागों- मानक, अवमानक, संदिग्ध और क्षतिग्रस्त में बांटा जाता है तथा तदनुसार प्रावधान किया जाता है जिससे अनुपालन का महत्व और भी बढ़ गया है। बेसल मानदंडों के लागू होने के बाद ऋण में अनुपालन की प्रासंगिकता बैंकिंग का सबसे बड़ा सच बन गया है। अस्तु, ऋण में अनुपालन आज किसी भी बैंक के लिए प्राणवायु की तरह है और इसके बिना बैंकिंग की कल्पना नहीं की जा सकती है।



सीएमसीसी में अनुपालन

- कौशल किशोर शुक्ला

ऋण अनुश्रवण का बैंकिंग सिस्टम में वही महत्व है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में खुद के स्वास्थ्य का है। जिस तरह से हमें अपने स्वास्थ्य की निगरानी समय-समय पर करते रहना चाहिए उसी तरह से हमारे ऋण खाते की निगरानी हमें समय-समय पर करते रहना चाहिए। ऋण खातों की निगरानी करने के लिए हमारे बैंकिंग सिस्टम में कई टूल्स हैं। अनुश्रवण की जिम्मेदारी सभी स्तरों की है। कुछ जोखिम तत्वों को बैंक द्वारा मंजूरी के समय स्वीकार किया जाता है और तदनुसार मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसलिए खातों को एक ही जोखिम स्तर के भीतर रखने के लिए शाखा / आरओ स्तर पर उपलब्ध निगरानी टूल्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण खातों की ठीक से निगरानी की जा रही है, क्षेत्र के सभी स्टाफ सदस्यों को विभिन्न निगरानी टूल्स की पूरी तरह से समझ होना आवश्यक है।

1. **स्टॉक विवरणी** - यह विवरणी कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठा रहे उधारकर्ताओं द्वारा प्रत्येक माह अगले महीने की 10 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना है और 15 तारीख से पहले फिनैकल में दर्ज किया जाना है। विवरणी में स्टॉक और बुक ऋण के कुल मूल्य, उत्पत्ति की तारीख के साथ देनदारों का विवरण जैसे विवरण प्रदान किए गए हैं। इन विवरणियों की जांच करते समय, निम्नलिखित बिंदुओं का पता लगाने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए:

- क्या इन्वेंट्री का मूल्यांकन यथार्थवादी आधार (मूल्यांकन के आधार पर) पर किया जाता है ?
- क्या खाते में बकाया पर्याप्त स्टॉक के साथ समर्थित है ?
- क्या बीमा कवर उपयुक्त और पर्याप्त है ?
- क्या बीमा बैंक क्लॉज़ के साथ लिया जाता है ?
- क्या बीमा कवर लागू है और मूल पॉलिसी बैंक के कब्जे में है ?
- क्या कोई धीमी गति से चलने वाले / जड़ स्टॉक हैं ?

2. **व्यू4 विवरणी** - यह स्टॉक एंड बुक डेट स्टेटमेंट पर आधारित एक त्रैमासिक निरीक्षण रिपोर्ट है. अब स्टॉक का निरीक्षण तिमाही रूप से किया जाना है. गतिविधि के स्तर, स्टॉक और देनदारों की स्थिति, इकाई के समग्र स्वास्थ्य, मुख्य और संपार्श्विक प्रतिभूतियों की स्थिति आदि का पता लगाने में यह विवरणी मदद करती है.
3. **समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट** - समवर्ती लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लेन-देनों की दैनिक आधार पर लेखा परीक्षा की जाए और सामने आई कमियों को तत्काल दूर किया जाए. समवर्ती लेखा परीक्षा के मामले में, परीक्षण जांच के बजाय प्रमुख क्षेत्रों में ठोस जांच पर जोर दिया जाता है और लेनदेन की जांच उसके सम्पन्न होने के साथ-साथ की जाती है. समवर्ती लेखा परीक्षा की मुख्य भूमिका एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा लेन-देन की एक साथ आंतरिक जांच करने और अन्य सत्यापनों में बैंक के प्रयासों को पूरा करना और आरबीआई और एमओएफ के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार एएमएल/केवाईसी, टीडीएस की जांच/सत्यापन सहित निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करना है. समवर्ती लेखा परीक्षकों को समय-समय पर आरबीआई और एमओएफ द्वारा जारी विभिन्न नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच करनी चाहिए.
4. **खाता संक्रिया जांच:** अधिकांश अनियमितताओं की पहचान सावधानीपूर्वक लेजर जांच द्वारा की जा सकती है और बैंक समय पर समस्याग्रस्त खातों की पहचान कर सकते हैं. बही-खातों के संचालन की जांच यह जानने के लिए सर्वोपरि है कि क्या खाता उचित तरीके से चालू है, खाते में असंबंधित डेबिट हैं (धन के विपथन की जांच), खाते में जमा चेक अक्सर वापस किए जाते हैं आदि.
5. **खातों की समीक्षा/नवीकरण:-** उधार/ऋण खाते की समय पर समीक्षा/नवीकरण से शाखा को यह पता लगाने में सहायता मिलती है कि क्या मूल स्वीकृति के समय की गई मान्यताएं/अनुमान सही हैं और क्या उधार/ऋण खाता परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है. समीक्षा/नवीकरण इकाई की परिचालन दक्षता पर पुनर्विचार करने में भी मदद करती है और उधार/ऋण खाते को दबाव मुक्त स्थिति में बनाए रखने के लिए दिशा परिवर्तन की अनुमति देता है. समीक्षा/नवीकरण की कवायद निश्चित रूप से उधार/ऋण खाते का 360 डिग्री दृश्य प्रदान करती है. प्रक्रिया नोट में उधार खाते के बारे में सभी जानकारी होती है जैसे कि इसका गठन, खाते की स्थिति, इकाई/खाते में कारोबार संचालन, वित्तीय, प्रतिभूतियों का विवरण, चूक, यदि कोई हो, आदि.
6. **क्रेडिट रेटिंग-** क्रेडिट रेटिंग जोखिम के आकलन के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है. क्रेडिट रेटिंग की निगरानी खातों के स्वास्थ्य को इंगित करती है. आंतरिक रेटिंग के आधार पर, खाते की समीक्षा, मूल्य निर्धारण और प्रत्यायोजित प्राधिकरण की आवश्यकता तय की जाती है.

7. **क्रेडिट प्रक्रिया लेखा परीक्षा** - वो सभी ऋण खाते हैं जिनकी ऋण सीमा रूपरूप 1,00,00,000 या उससे अधिक है उसमें सीपीए की प्रक्रिया पूरी की जाती है। ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए खुदरा 10 लाख रुपये और उससे अधिक और शहरी/मेट्रो शाखाओं के लिए 50 लाख रूपरूप और उससे अधिक के खाते में सीपीए की प्रक्रिया पूरी की जाती है। सीपीए के संचालन के लिए अधिकारी को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नामित किया जाता है। अधिकारी स्वतंत्र और अनुभवी हो और मंजूरी या संवितरण से जुड़ा नहीं हो।
8. **ई-1 कथन** - शाखा/आरएच/एफजीएम/क्रेडिट अनुमोदन समितियों द्वारा अनुमत सीमा/डीपी या टीओडी से अधिक की सूचना अनुसमर्थन के लिए अगले उच्च प्राधिकारी को पाक्षिक विवरण (एफ-1) में दी जानी चाहिए। अतिरिक्त सीमा एक अस्थायी प्रकृति की सुविधा है जो उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल को पूरा करने के लिए स्वीकृत है, जो सामान्य रूप से नियमित स्वीकृत सीमाओं के 10% तक होती है। अतिरिक्त ओवर लिमिट की अनुमति देने का कारण बहुत विशिष्ट होना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट उद्देश्य जैसे पहलू शामिल हों तथा जिसके लिए ईओएल / टीओडी की अनुमति हो।
9. **एम -27** - एम -27 उच्च अधिकारियों को उपलब्ध एक निगरानी टूल है। यह एक और महत्वपूर्ण टूल है। जेडएलसीसी तक प्रत्यायोजित प्राधिकरण जो अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत ऋण स्वीकृत करता है, उसे 10.00 लाख रूपरूप से अधिक की सीमा के लिए मंजूरी पत्रों की प्रतियों के साथ ऐसे प्रतिबंधों के बारे में अपने अगले उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। अगले उच्च प्राधिकारी इसकी जांच करेंगे और किसी भी अनियमितता के लिए तत्काल सुधार हेतु मंजूरी देने वाले प्राधिकरण के समक्ष रखेंगे। स्वीकृति, ब्याज की दर, प्रत्यायोजित प्राधिकारी, सुरक्षा शर्तों, मार्जिन आदि में किसी भी विचलन को अनुपालन के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकारी के साथ समीक्षा प्राधिकारी द्वारा तुरंत संज्ञान लिया जाएगा।
10. **अधिवक्ता की जांच रिपोर्ट**- 10 लाख रूपरूप से अधिक और 1 करोड़ रूपरूप तक के अग्रिमों के संबंध में दस्तावेजों की आरओ/एफजीएमओ/पैनल अधिवक्ता से संबद्ध विधि अधिकारी द्वारा जांच की जानी है और 1 करोड़ रूपरूप से अधिक के अग्रिमों के संबंध में दस्तावेजों की सीमा जारी होने से पहले अनुमोदित अधिवक्ताओं द्वारा जांच की जानी है। 10 लाख रूपरूप तक की अग्रिम राशि के दस्तावेजों की शाखा प्रबंधक/अग्रिम अधिकारी द्वारा स्वयं जांच/प्रमाणन किया जाना होता है। इस रिपोर्ट से प्रेरणा लेते हुए, शाखा के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं, निर्धारित शुल्क कानूनी रूप से लागू करने योग्य है और सभी दस्तावेजों पर पर्याप्त रूप से सीमा और स्टाम्प अधिनियम के कानून के अनुरूप मुहर लगाई गई है।

11. **नियंत्रण कार्यालय से प्रमुख अधिकारियों की विजिट रिपोर्ट:** विजिट रिपोर्ट शाखा के ऋण पोर्टफोलियो के समग्र कामकाज की स्पष्ट तस्वीर देती है। रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जैसे कि क्या स्वीकृत ऋणों की राशि, निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन, प्रसंस्करण, स्वीकृति और प्रलेखन में पाई गई कमियों और अनियमितताओं को पूरा किया गया है।
12. **परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन समिति (एक्यूएमसी) कार्यवृत्त** - एक्यूएमसी प्रशासनिक कार्यालयों के स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण समिति है। समिति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि शाखाओं/क्षेत्रों/एफजीएमओ की दबावग्रस्त आस्तियों को नियंत्रण में रखा जाए और महीने-दर-महीने के आधार पर कम किया जाए। जिन मापदंडों पर एक्यूएमसी की बैठकों के दौरान प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और कार्यवृत्त प्रत्येक महीने की 20 तारीख तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
13. **कानूनी लेखा परीक्षा अनुपालन-** यह नियंत्रण तंत्र की समीक्षा करते समय बड़े मूल्य के ऋणों के संदर्भ में दस्तावेजों के टाइटल की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई द्वारा एक पहल है। इसलिए, 5.00 करोड़ रुपए और इससे अधिक के सभी क्रेडिट एक्सपोजर के संबंध में टाइटल विलेख और अन्य दस्तावेजों को आवधिक कानूनी लेखा परीक्षा और संबंधित अधिकारियों के साथ आवधिक पुनः सत्यापन के तहत कवर किया जाना है जब तक कि ऋण पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता है।
14. **सीएमसीसी पोर्टल:** इसमें तीन (3) डैशबोर्ड होते हैं जो शाखा / कार्यालय की स्पष्ट तस्वीर / स्नैपशॉट देते हैं। दूसरे शब्दों में, डैशबोर्ड में सभी मापदंडों का सारांश होता है और उपयोगकर्ता एक नज़र में शुरुआत की स्थिति के साथ-साथ दैनिक आधार पर प्रत्येक अनुभाग के तहत की गई प्रगति और शेष स्थिति भी देख सकते हैं जिस पर अभी भी कार्रवाई की जानी है। एक नई सुविधा एसएस डैशबोर्ड भी जोड़ा गया है जो 7 मापदंडों पर डेटा की ग्राफिकल प्रस्तुति प्रदान करता है यथा कॉल सेंटर ऑपरेशन, केंद्रीकृत प्रेषण।
15. **क्षेत्रीय संग्रह केंद्र:** - क्षेत्रीय संग्रह केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है:
 - ऋण ग्राहकों के बीच पुनर्भुगतान संस्कृति को विकसित करना।
 - उधार खाते को निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में और तनाव मुक्त मानक श्रेणी में जारी रखना।
 - मानक श्रेणी के भीतर, खातों को एसएमए -2 से एसएमए -1 और एसएमए 0 में अपग्रेड किया जाना है और अंततः बिना किसी अधिक देय राशि के तनाव मुक्त मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जाना है।
 - गैर-निष्पादन श्रेणी में गिरावट को कम से कम करना।

सभी अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय संग्रह केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रत्येक आरओ/जेडओ के लिए स्थापित व्यवस्था को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इसने नवंबर, 2021 से कार्य करना शुरू कर दिया है। दबावग्रस्त खातों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ शाखा को मल्टीएक्टिविटी से मुक्त करने के लिए आरसीओसी की स्थापना का विचार किया गया है। आरओ आरसी अधिकारी को जियो इनेबल ऐप भी प्रदान किया गया है जो उन्हें रिकवरी एक्शन/ आउट को अपडेट करने में सक्षम बनाता है। आरसीओसी और जेडसीओसी में पर्यवेक्षक को दैनिक परिचालन समय और आवंटित खातों के परिणाम और किए गए दौरों का ध्यान रखना पड़ता है। आरएच और जेडएच को आवधिक अंतराल पर क्षेत्रीय संग्रह केंद्र के कार्यनिष्पादन और कार्यनीति की समीक्षा करनी होगी।

16. **ऑफसाइट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से अलर्ट:** ऑफसाइट मॉनिटरिंग सिस्टम आंतरिक नियंत्रण के लिए एक अतिरिक्त टूल है। दैनिक आधार पर लेनदेन की निगरानी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में ऑफसाइट निगरानी प्रकोष्ठों का गठन किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालयों के ये प्रकोष्ठ रिपोर्ट तैयार करते हैं और संदिग्ध/असामान्य लेन-देनों के संबंध में शाखाओं को अलर्ट भेजते हैं। शाखाओं से सूचना प्राप्त होने पर, आरओ ओएमसी अधिकारी या तो जारी अलर्ट के लिए कार्रवाई करेंगे या उचित निर्णय के लिए इसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे।



बैंकिंग में अनुपालन संस्कृति

- नितिन गोसावी

भारत में बैंकिंग परिदृश्य काफी तेजी से बदल रहा है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, इस पूरे उद्योग में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है जिससे वित्तीय प्रक्रियाओं और वित्तीय संस्थानों के संचालन प्रक्रियाओं में भी बदलाव आया है। वित्त और प्रौद्योगिकी के परस्पर संयोजन से बैंकिंग के कई पहलुओं में आमूल-चूल परिवर्तन आए हैं। वित्तीय प्रौद्योगिकी को एक विघटनकारी शक्ति कहा जाता है, जिससे भविष्य में वित्तीय क्षेत्र, व्यापार मॉडल और बैंकिंग संरचनाओं को एक नया आकार देने की संभावना है। इस परिवर्तन से बैंकों के साथ-साथ नियामकों के समक्ष भी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत हुई हैं। इन महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है “अनुपालन”; जो किसी भी बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के सतत सफलता की कहानी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है।

अनुपालन को विभिन्न कानूनों, नियमों, विनियमों और संस्था के विभिन्न आचार संहिताओं, स्वैच्छिक सहित, के कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया गया है। यद्यपि इनमें से अधिकांश बाहरी आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं, तथापि अनुवर्ती ढंग से संगठन के अपने आंतरिक नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, नैतिकता के अनुसार कार्य करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक मजबूत अनुपालन संस्कृति को कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने के व्यापक उद्देश्य के साथ, समुचित आचार संहिताओं का पालन, हितों के संघर्ष का प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहिए। इस प्रकार अनुपालन केवल कानूनी बाध्यकारिता से परे होकर अखंडता और नैतिक आचरण के व्यापक मानकों को अपनाएगा।



अनुपालन क्यों?

अनुपालन की आवश्यकता बैंक के केंद्रीय मूल्यों में, विशेष रूप से सत्यनिष्ठा से संबंधित मूल्यों से शुरू होनी चाहिए. एक मजबूत अनुपालन संस्कृति में सदैव उन्नत सत्यनिष्ठा अंतर्निहित होती है. ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करने, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने, शेयरधारकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने और बड़े पैमाने पर समाज का विश्वास पाने के लिए बैंक को एक मजबूत अनुपालन संस्कृति की आवश्यकता होती है. अनुपालन का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों का विश्वास जीतना है. इसका आधार ग्राहकों के साथ हमारे उचित व्यवहार में निहित होता है.

अनुपालन संस्कृति:

अनुपालन की संस्कृति एक ऐसे संगठन के साथ शुरू होती है जहां अपने मिशन और कोर मूल्यों को वरीयता दी जाती है, और वरिष्ठ अधिकारीगण अनुपालन की नीतियों को प्रतिबद्धता के साथ, उन्मुक्त सम्प्रेषण और ईमानदार प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करते हुए संगठन का नेतृत्व करते हैं. इसके मूल में, अनुपालन संस्कृति वह प्रक्रिया है जिसे अनेक कार्मिकों द्वारा निर्देशित और समर्थित किया जाता है ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके जिसमें हर कोई सही बात कह सके और सही काम कर सके. इसलिए अनुपालन सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का एक आंतरिक हिस्सा होना चाहिए, न कि एक समय अंतराल के अंत में जाकर पुनरावृत्ति करने और दस्तावेजों को चिह्नित करने मात्र की प्रक्रिया.

एक सफल अनुपालन संस्कृति संगठन के कार्मिकों की मानसिकता और व्यवहार संबंधी मानदंडों के समझ में अंतर्निहित होती है जो संगठन के जोखिम की पहचान और प्रबंधन करने की क्षमता को निर्धारित करती है. मानव व्यवहार और अनुपालन पर इसके प्रभाव की समझ, किसी भी कार्य संस्कृति के निर्माण का एक अभिन्न हिस्सा होता है. अक्सर, गलती को रोकने के लिए केवल दंड ही पर्याप्त नहीं होते हैं.

अच्छी अनुपालन संस्कृति के लाभ:

बैंकों के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने और ग्राहकों, निवेशकों और नियामकों का विश्वास जीतने के लिए एक अच्छी अनुपालन संस्कृति को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है. इस प्रकार की संस्कृति बैंकों को खराब आचरण और विश्वास की हानि से बचाने में सहायता करती है.

एक अच्छी अनुपालन संस्कृति बैंकों को कई तरह से लाभ पहुंचा सकती है; जिसे हम निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकते हैं:

- संगठनात्मक और व्यक्तिगत जोखिम में कमी;

- प्रतिष्ठा जोखिम में कमी;
- अपने कार्यनिष्पादन के दौरान कर्मचारियों में झिझक को कम करना और अधिक आत्मविश्वास बढ़ाना;
- प्रतिभा को उभारने और बनाए रखने में मदद करना जिससे कर्मचारी संगठन से जुड़ाव महसूस कर सके;
- उत्कृष्ट पारदर्शिता, जो कार्मिकों को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है;
- नियामकों और अन्य हितधारकों के साथ बेहतर संबंध
- निवेशकों के बीच मूल्यांकन में बढ़ोत्तरी.

इसलिए, ग्राहकों की संतुष्टि की आवश्यकता को समझते हुए हमें अनुपालन को पूर्णतः अपनाना होगा क्योंकि यह अंततः इक्विटी पर बेहतर रिटर्न की ओर ले जाती है.

खराब अनुपालन संस्कृति से हानि:

अनुपालन को मात्र मौद्रिक लागत के रूप में मानने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए और यह मानना चाहिए कि उचित आचरण बैंक को संभावित प्रतिष्ठा हानि और दंड से बचाता है - अधिकांश बैंक इसे आय के रूप में माप नहीं पाते हैं, और इसलिए इसका एहसास नहीं होता है. खराब अनुपालन संस्कृति के कारण बैंकों को भारी हानि का सामना करना पड़ता है.

तथापि, मात्र जुर्माने और दंड का डर विनियमों के पालन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता. एक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अंतर्निहित नियंत्रण के साथ अनुपालन को एक दैनिक अभ्यास बनाती है जो संगठन को अधिक दक्षता से संचालित करने में सक्षम बनाती है. इसके साथ ही, एक सुदृढ़ शासन अनुपालन के मूल्यों, अखंडता, विश्वास और नियमों के सम्मान के लिए संगठन की संस्कृति तैयार करने हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है. परिणामस्वरूप, एक बैंक लगातार विकसित होने वाले नियमों और व्यावसायिक चुनौतियों से आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी से काम करते हुए आवश्यक लचीलेपन के साथ सशक्त संगठन बन सकता है.

अनुपालन संस्कृति भारतीय परिदृश्य:

भारतीय रिजर्व बैंक ने घोष समिति की सिफारिशों के आधार पर अगस्त 1992 से बैंकों में “अनुपालन अधिकारी” की नियुक्ति की प्रणाली की शुरुआत की थी. अनुपालन अधिकारियों की भूमिका 1995 के बाद से अधिक ध्यान में आई जब महाप्रबंधक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण को अनुपालन कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाया गया और उन्हें अनुपालन कार्यों पर आवधिक रिपोर्टिंग या प्रमाणन सीधे सीएमडी को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी दी गयी.

तथापि, यह धीरे-धीरे स्वीकार किया गया कि बैंकों में अनुपालन कार्यों की परिधि को न केवल बढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया जाना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे परिदृश्य में जहां बैंकिंग पर्यवेक्षक द्वारा तैयार की गई वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट में कई अनुपालन कमियों को उजागर किया गया है। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बैसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा अप्रैल 2005 में बैंकों में अनुपालन जोखिम और अनुपालन कार्य पर उच्च स्तरीय पेपर जारी करने के बाद अनुपालन कार्यों की आवश्यकता और महत्व के लिए आरबीआई की मान्यता को और अधिक प्रोत्साहन मिला। वर्ष 2007 में इन सिद्धांतों के आधार पर ही बैंकों में अनुपालन कार्यों को कठोरता से लागू किया गया। वित्तीय संकट के पश्चात, अनुपालन पर काफी ध्यान दिया जाने लगा, विशेष रूप से आचार संहिता, केवाईसी/एएमएल, ग्राहकों को पेश किए जा रहे विशिष्ट बैंकिंग उत्पादों के औचित्य और उपयुक्तता के क्षेत्र में। तदनुसार, एक अच्छी अनुपालन संस्कृति से मिलने वाले लाभों और खराब आचरण की लागत को स्वीकार करते हुए, भारतीय बैंकों में अनुपालन संस्कृति को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बैंकों में एक अच्छी अनुपालन संस्कृति निहित होने पर धोखाधड़ी के कारण होने वाले बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। जैसा कि पहले परिभाषित किया गया है, अनुपालन में बैंकों की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन भी शामिल है। धोखाधड़ी के ज्यादातर मामलों में, संबंधित कर्मचारियों द्वारा आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के पालन में चूक करना एक आम बात है। हाल के वर्षों में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाएं, इसमें शामिल राशियों की मात्रा और अपनाई गई तौर-तरीकों की जटिलताएं बैंकों में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति के महत्व को उजागर करती हैं।

साइबर सुरक्षा से संबंधित अनुपालन जोखिम:

प्राद्योगिकी संचालित बैंकिंग में, साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आम तौर पर, साइबर लचीलापन ढांचे का उद्देश्य तीन व्यापक मुद्दों को संबोधित करना है- गोपनीयता भंग (गोपनीय डेटा चोरी होना), उपलब्धता भंग (सिस्टम बरकरार हैं, लेकिन सेवाएं अनुपलब्ध हैं), और अखंडता भंग (डेटा या सिस्टम का खराब होना, सूचना और प्रसंस्करण के तरीके की अखंडता को प्रभावित करता है)। इन उल्लंघनों से संबंधित अनुपालन जोखिम काफी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे प्राथमिकता के आधार पर सुधारने की आवश्यकता है।

अनुपालन संस्कृति पर न्यूनतम पर्यवेक्षी अपेक्षाएं:

अनुपालन की शुरुआत प्रारम्भ से ही होती है। अनुपालन संगठन की संस्कृति का एक अभिन्न अंग होना चाहिए; यह केवल अनुपालन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। यह बैंक के प्रत्येक स्टाफ सदस्य की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए और

बैंक की व्यावसायिक इकाई किसी भी गैर-अनुपालन के लिए समान रूप से जिम्मेदार होनी चाहिए। एक बैंक को अपने व्यवसायिक गतिविधियों के दौरान खुद को उच्च मानकों पर रखना चाहिए, और हर समय नियमों व कानूनों का पूरी भावात्मकता के साथ-साथ शब्दशः पालन करने का प्रयास करना चाहिए। उक्त की विफलता के परिणामस्वरूप संस्था या बैंक को अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और बाजारों में प्रतिष्ठाभंग और प्रतिकूल प्रचार का नुकसान हो सकता है, भले ही कोई कानून तोड़ा न गया हो। एक प्रभावी अनुपालन के लिए मजबूत अनुपालन संस्कृति एक प्राथमिक आवश्यकता है।

यदि हम इस पर और गहराई से विचार करें, तो एक मजबूत अनुपालन संस्कृति में निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं-

प्रबंधन से अपेक्षाएँ - बोर्ड द्वारा अनुपालन-कार्य की निगरानी केवल नीतियों को बनाने और इसकी आवधिक समीक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बैंक की अनुपालन नीति तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि निदेशक मंडल पूरे संगठन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मूल्यों को बढ़ावा नहीं देता।

जवाबदेही - बैंक का उच्च प्रबंधन, बैंक के सभी कर्मचारियों और प्रबंधन द्वारा बैंक की अनुपालन नीति के प्रभावी पालन और अनुपालन जोखिम को न्यूनतम बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।

प्रोत्साहन संरचना - वांछित अनुपालन संस्कृति को प्राप्त करने के लिए बैंक की निर्णय लेने की प्रणाली और प्रक्रियाओं में पर्याप्त प्रोत्साहन संरचना अंतर्निहित की जानी चाहिए।

अनुपालन संगठन, प्राधिकरण और संसाधन: एक बैंक को अपने अनुपालन कार्य और अनुपालन जोखिम प्रबंधन की समुचित व्यवस्था के लिए अपनी प्राथमिकताओं को इस तरह से निर्धारित करना चाहिए वह इसके जोखिम प्रबंधन, रणनीति और संरचनाओं के अनुरूप हो। प्रबंधन को अनुपालन कार्य की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और उनकी पूर्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी, बैंक में अनुपालन इसके प्रत्येक कर्मचारी की साझा जिम्मेदारी होती है।

निष्कर्ष:

बैंकों में अनुपालन संस्कृति में अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। बैंक के सुरक्षित और सुदृढ़ कामकाज के लिए एक ठोस कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन संस्कृति अत्यावश्यक तत्व है और यदि इसका प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया जाता है, तो यह बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। एक अच्छी अनुपालन संस्कृति ग्राहकों का विश्वास जीतते हुए एक मजबूत, लचीले, अनुशासित और निरंतर विकास की ओर अग्रसर

संगठन के निर्माण में सहायक होती है। इसके साथ ही यह कई पर्यवेक्षी कार्रवाइयों, और नीतियों के उल्लंघन से पूर्व ही प्रत्याशित प्रतिष्ठा जोखिमों की रोकथाम करने में सहायक होगा।

अनुपालन की भूमिका आज दुनिया भर में व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित कर रही है तथा केंद्रीय बैंकों और बैंकों द्वारा अनुपालन के महत्व को समान रूप से स्वीकार किया जा रहा है। नियामकों, पर्यवेक्षकों और अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारकों द्वारा इस तथ्य को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है उनके द्वारा यह स्वीकार किया जा रहा है कि केवल नियमों और विनियमों को लागू करना निरर्थक है, जब तक कि इनका अनुपालन, विनियमित संस्थाओं द्वारा शब्दशः और भावनात्मक दोनों रूपों में नहीं किया जाता है।

अनुपालन एक बैंक की गतिविधियों के संचालन हेतु एक टिकट है और इस टिकट के बिना ग्राहक संतुष्टि और इक्विटी पर रिटर्न संभव नहीं हो पाता है। इसलिए, यदि हम बैंकिंग उद्योग में लंबी पारी खेलना चाहते हैं, तो हमें अनुपालन को अपनाने की जरूरत है और न केवल इसे करना चाहिए, बल्कि इसका अच्छी तरह से पालन करना चाहिए।



जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) - डेटा प्रबंधन प्रणाली

- रोहित कुमार पंजियार

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) क्या है

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण को एक संरचित प्रक्रिया के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो किसी बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण जोखिम और वित्तीय प्रणाली में प्रणालीगत जोखिम की पहचान करता है। आरबीआई बैंकों की निगरानी के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तत्वों सहित आरबीएस मॉडल का उपयोग करता है। आरबीआई उनकी वित्तीय सुदृढ़ता, शोधन क्षमता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, शासन ढांचा, तरलता और परिचालन व्यवहार्यता का आकलन करने के उद्देश्य से पर्यवेक्षण करता है ताकि जमाकर्ता के हित और वित्तीय स्थिरता की रक्षा की जा सके। आरबीएस दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से पर्यवेक्षी संसाधनों के आवंटन और प्रत्येक संस्थान की प्रोफाइल के अनुसार पर्यवेक्षण पर ध्यान देने पर जोर देता है।

आरबीआई को मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा प्रस्तुत करने के लिए, बैंक आरबीएस डेटा प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। मात्रात्मक डेटा में ट्रेंच 1, 1ए, 1बी, 1सी, 1डी, 1ई, 1एफ और 1जी शामिल हैं, जबकि गुणात्मक डेटा में ट्रेंच 2, ट्रेंच 3 और दस्तावेजों की मानक सूची शामिल है। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद अगले महीने की 28 तारीख तक मात्रात्मक डेटा आरबीआई को तिमाही आधार पर प्रस्तुत किया जाना है, जबकि गुणात्मक डेटा वार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है। मात्रात्मक डेटा में 787 डेटा बिंदु होते हैं। आरबीआई द्वारा आरबीएस पोर्टल के लिए लिंक 10.10.1.44/rbs उपलब्ध कराया गया है।

क्र. सं.	ट्रेंच	बिंदुओं की संख्या
1.	ट्रेंच 1	424
2.	ट्रेंच 1A	112
3.	ट्रेंच 1B	12
4.	ट्रेंच 1C	84

क्र. सं.	ट्रेंच	बिंदुओं की संख्या
5.	ट्रेंच 1D	28
6.	ट्रेंच 1E	88
7.	ट्रेंच 1F	36
8.	ट्रेंच 1G	3

ट्रेंच 2 में गुणात्मक डेटा के तहत विभिन्न नियंत्रण मापदंड शामिल हैं। ट्रेंच II में मापदंड युक्त बारह फार्म में जानकारी मांगी जाती है। बैंकों को संबंधित वर्ष की 31 मार्च की संदर्भ तिथि के साथ वर्ष में एक बार ट्रेंच II प्रस्तुत करना आवश्यक है। ट्रेंच II के तहत प्रपत्रों की सूची नीचे दी गई है:

बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन, क्रेडिट जोखिम, आंतरिक लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन, तरलता जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन (गैर-आईटी) जोखिम, स्तंभ II जोखिम, व्यापार कार्यनीति, पूंजी आयोजना, अनुपालन, अनुपालन संस्कृति और जोखिम संस्कृति।

क्र.सं.	नियंत्रण सूचना ट्रेंच 2	बिंदुओं की संख्या
1.	बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन	39
2.	ऋण जोखिम	92
3.	आंतरिक लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन	21
4.	तरलता जोखिम	26
5.	बाजार जोखिम	34
6.	परिचालन (गैर-आईटी जोखिम)	39
7.	स्तंभ II जोखिम	62
8.	व्यापार कार्यनीति	22
9.	पूंजी नियोजन	13
10.	अनुपालन	10
11.	अनुपालन संस्कृति	13
12.	जोखिम संस्कृति	13

ट्रेंच III के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नियामक दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन बैंकों द्वारा किया जाना आवश्यक है। बैंकों में मानक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार, अनुपालन विभाग द्वारा अनुपालन के लिए संबंधित विभागों को कार्य से संबंधित विनियमों का प्रसार किया जाना है। आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन कार्य संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है; जबकि इसकी निगरानी की जिम्मेदारी अनुपालन

विभाग की है, जो यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आरबीआई से संबंधित निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन अक्षरशः किया गया है।

क्र.सं.	ट्रेंच	बिंदुओं की संख्या
1.	ट्रेंच 3	386
2.	दस्तावेजों की मानक सूची	111

पहले, नमूना आधार पर एएफआई के दौरान बैंकों द्वारा विनियामक निर्देशों के अनुपालन की जाँच की जाती थी। स्पार्क के तहत, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुपालन से संबंधित कुछ विवरण ट्रेंच III के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। बैंक द्वारा प्रतिक्रिया की गुणवत्ता को वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) द्वारा जोखिम मूल्यांकन और पर्यवेक्षी कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी सभी विनियमों/परिपत्रों का अनुपालन करें। ट्रेंच III भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की एक सूची का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए बैंकों द्वारा जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

आरबीएस डेटा प्रबंधन सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है

उपयोगकर्ताओं को सक्रिय निर्देशिका के सापेक्ष प्रमाणित किया जाएगा और उपयोगकर्ता को मास्टर तालिका में परिभाषित उनकी भूमिका के आधार पर एप्लिकेशन तक पहुंच की अनुमति दी जाएगी। उपयोगकर्ता की भूमिका निम्न प्रकारों में से एक के रूप में होगी:

मेकर, चेकर, व्यूअर, ऑडिट मेकर, ऑडिट चेकर, अनुपालन मेकर, अनुपालन चेकर, आरबीएस एडमिन..

उपयोगकर्ताओं को केवल उनके आबंटित कार्यात्मक विभाग के लिए डेटा तक पहुंचने की अनुमति होगी। प्रत्येक विभाग में डेटा बिंदुओं के लिए 1 मेकर, 1 चेकर और व्यूअर होता है। आरबीएस व्यवस्थापक अपने कार्यात्मक विभाग से संबंधित प्रत्येक डेटा बिंदु को मैप करेगा। उसके बाद यह कार्यात्मक विभाग मेकर आईडी में दिखाएगा। पोर्टल में लॉग इन करने के बाद मेकर आईडी में एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें अलग-अलग डेटा होगा। जब मेकर संबंधित बिंदु पर डेटा दर्ज करना शुरू करता है तो डैशबोर्ड लाल रंग का होगा और मेकर द्वारा डेटा को सेव करते ही डैशबोर्ड का रंग पीले रंग में बदल जाएगा और सबमिट करने के बाद रंग हरे रंग में बदल जाएगा। फिर यह चेकर आईडी में दिखाई देगा, चेकर को वही प्रक्रिया करनी होगी और उसे डेटा को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। डेटा बिंदुओं को स्वीकार करने के बाद यह आरबीएस निर्माता आईडी में दिखाई देगा, यदि चेकर डेटा बिंदुओं को अस्वीकार करता है तो वही फिर से मेकर आईडी में टिप्पणी के साथ दिखाई देगा।

सिस्टम लंबित डेटा बिंदुओं पर डेटा प्रविष्टि करने के लिए मेकर, चेकर और एस्केलेशन टीम के सदस्य को ईमेल अनुस्मारक भेजेगा। अनुस्मारक दिन के एक निर्धारित समय पर सर्वर सिस्टम पर चलने वाली विंडो सेवा के माध्यम से भेजे जाएंगे।

आरबीएस व्यवस्थापक प्रत्येक श्रेणी अवधि के लिए ईमेल अलर्ट के लिए प्राप्तकर्ता श्रेणी, आवृत्ति, विषय और पाठ को परिभाषित करेगा। ईमेल केवल उन उपयोगकर्ताओं को भेजा जाएगा जिनके खाते में लंबित डेटा बिंदु हैं। मेकर के लिए लंबित स्थिति में मेकर लंबित, मेकर द्वारा सेव किया गया, चेकर अस्वीकृत और आरबीएस अस्वीकृत स्थिति शामिल होगी। जबकि चेकर के लिए लंबित स्थिति में मेकर लंबित, मेकर सेव, मेकर सबमिट, चेकर अस्वीकृत और आरबीएस अस्वीकृत स्टेटस शामिल होंगे।



अनुपालन निगरानी टूल

- दीपक सिंह फारस्वान

ईज़ 4.0 के हिस्से के रूप में बैंक पर लागू होने वाली कार्यमदों में से एक अनुपालन निगरानी टूल का कार्यान्वयन है, इसे शासन और परिणाम-केन्द्रित एचआर थीम के तहत रखा गया है।

ईएएसई दिशानिर्देश का अनुपालन करने के लिए बैंक ने एक आंतरिक विकसित एप्लिकेशन- अनुपालन निगरानी टूल विकसित की है। यूबीआई नेट के माध्यम से टूल तक निम्नलिखित पथ के तहत पहुँचा जा सकता है-

मुख्य विशेषताएं

- व्यक्तिगत स्तर के अनुपालन प्रस्तुतीकरण लागू करने के लिए - ईज़ 4.0 दिशानिर्देश।
- सभी वेतनमान-1 और उससे उच्चतर आधिकारी द्वारा अनुपालन को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
- टूल में मेकर चेकर भूमिका लागू की गई है।
- शाखाओं/ क्षेत्रीय कार्यालयों/ अंचल कार्यालयों/ केन्द्रीय कार्यालय कार्यक्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के लिए चेकलिस्ट आधारित अनुपालन।
- अनुपालन के लिए एपीएआर में 5 अंक।

ईज़ 4.0 के हिस्से के रूप में बैंक पर लागू होने वाली कार्यमदों में से एक अनुपालन निगरानी टूल का कार्यान्वयन है, इसे शासन और परिणाम-केन्द्रित एचआर थीम के तहत रखा गया है।

ईज़ दिशानिर्देश का अनुपालन करने के लिए बैंक ने एक आंतरिक विकसित एप्लिकेशन- अनुपालन निगरानी टूल विकसित की है। यूबीआई नेट के माध्यम से टूल तक निम्नलिखित पथ के तहत पहुँचा जा सकता है-

**UBINET-DEPARTMENT-COMPLIANCE-PRODUCTS-COMPLIANC
MONITORING SOFTWARE**

वैकल्पिक रूप से इसे निम्नलिखित यूआरएल के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है- http://10.0.229.222:8222/COMP_monitor.

परिचालन दिशानिर्देश

मेकर भूमिका- वेतनमान-1 और उससे उच्चतर स्तर के अधिकारी टूल में मेकर होते हैं और उन्हें अपने कार्य की भूमिका, स्थान के आधार पर अनुपालन प्रस्तुत करना होता है।

मेकर को अपने डोमेन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एप्लिकेशन को एक्सेस करना होगा। उन्हें एप्लिकेशन में सामान्य उपयोगकर्ता के रूप में लॉगिन करना होगा। उपयोगकर्ता के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन भी सक्षम किया गया है, जिसमें उपयोगकर्ता अपने पीएफ़ नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं (यूनियन प्रेरणा में उपलब्ध उनकी ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा)।

लॉगिन पर उपयोगकर्ता को संबंधित तिमाही का चयन करना होगा जिसके लिए अनुपालन प्रस्तुत किया जा रहा है।

मेकर को अपनी तैनाती स्थान के आधार पर यानी, शाखा/आरओ/ज़ेडओ/सीओ से संबंधित चेकलिस्ट का चयन करना होगा।

चेकलिस्ट में अनुपालन मापदंड शामिल हैं, जिस पर मेकर को अनुपालन प्रस्तुत करना होगा। मेकर द्वारा चेकलिस्ट का चयन किया जाना आवश्यक है, चाहे चेकलिस्ट उसके लिए लागू हो या ना हो, और अनुपालन किए गए बिन्दुओं के लिए अनुपालन किया गया/आंशिक अनुपालन किया गया/अनुपालन नहीं किया गया होगा। प्रस्तुति और उसके सत्यापन के आधार पर मेकर को अनुपालन अंक दिए जाएंगे।

चेकलिस्ट प्रस्तुत करने से पहले मेकर को घोषणा बॉक्स को चेक करना होगा और यदि आवश्यकता हो तो, कोई भी सहायक दस्तावेज़ अपलोड करना होगा।

मेकर होम पेज पर अनुपालन टैब के तहत प्रस्तुत किए गए अनुपालन की स्थिति की जांच कर सकता है।

चेकर की भूमिका

चेकर को अपने डोमेन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एप्लिकेशन एक्सेस करना होगा और सामान्य उपयोगकर्ता के रूप में लॉगिन करना होगा। चेकर को “अनुपालन-अनुपालन स्टेटस” के तहत सत्यापन के लिए उसे रिपोर्ट करने वाले मेकर्स द्वारा प्रस्तुत की गई चेकलिस्ट का एक्सेस मिलेगा। चेकर, मेकर द्वारा प्रस्तुत अनुपालन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

यदि चेकर, मेकर द्वारा प्रस्तुत अनुपालन को अस्वीकार करता है, तो उसे अपनी अस्वीकृति टिप्पणियाँ “एंटर यूअर कमेंट” फील्ड में देनी होंगी. मेकर द्वारा प्रस्तुत अनुपालन को चेकर द्वारा स्वीकार करने पर, मेकर का अनुपालन प्रस्तुतीकरण पूरा हो जाता है.

अस्वीकृति के मामले में, मेकर द्वारा आवश्यक परिवर्तन करने के बाद अनुपालन को फिर से प्रस्तुत करना होगा.

एडमिन भूमिका

अनुपालन निगरानी टूल में तीन प्रकार की एडमिन भूमिका बनाई गई.

1. सीओ एडमिन, 2. ज़ेडओ एडमिन, 3. आरओ एडमिन

सीओ एडमिन

अनुपालन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय में एक अधिकारी को सीओ एडमिन की भूमिका सौंपी गई है.

एडमिन की भूमिका और ज़िम्मेदारी निम्नलिखित हैं :

- ए) समय-समय पर (कम से कम मासिक) चेकलिस्ट बिन्दुओं को संशोधित/अद्यतन करना.
- बी) ज़ेडओ/आरओ एडमिन यूजर के लिए पासवर्ड रीसेट करना.
- सी) सीओ/ज़ेडओ/आरओ और शाखा के यूजर के विवरण को संशोधित/अद्यतन करना.
- डी) त्रैमासिक अनुपालन प्रस्तुतीकरण की निगरानी करना.
- ई) अनुपालन सबमिशन अवधि को इनेबल/डिसेबल करना.

ज़ेडओ एडमिन/आरओ एडमिन

प्रत्येक अंचल कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में एक ज़ेडओ/आरओ एडमिन आईडी प्रदान की गई है. आईडी का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के अनुपालन की निगरानी से संबन्धित निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए की जा सकती है.

लेखापरीक्षक की भूमिका

लेखापरीक्षक की भूमिका सीएमटी में परिभाषित की गयी है. एक वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किए गए कुल अनुपालन का 1% (न्यूनतम) लेखापरीक्षा के अधीन होगा.

अनुपालन परीक्षण जांच

किसी व्यक्ति द्वारा सीएमटी में प्रस्तुत अनुपालन को अनुपालन परीक्षण जांच के अधीन

माना जाएगा, जिसमें अनुपालन विभाग एक वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत अनुपालन के 1% की जांच करेगा।

एपीएआर और अनुपालन प्रस्तुतीकरण का लिंकेज

ईज 4.0 दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुपालन प्रस्तुतीकरण में विचलन को एपीएआर से जोड़ा जाना चाहिए और कम से कम एक केआरए की जिसके अंक ≥ 5 हो अनुपालन विचलन से मैप किया जाना चाहिए।

अनुपालन प्रस्तुतीकरण और सत्यापन के आधार पर मेकर को अनुपालन अंक प्रदान किए जाएंगे। मेकर द्वारा प्राप्त अंक, एपीआर मॉड्यूल में वार्षिक आधार पर, मानव संसाधन विभाग के साथ साझा किए जाएंगे।

एस्कलेशन तंत्र

शाखाओं/आरओ/ज़ेडओ/सीओ में मेकर/चेकर को नीचे दी गई समय सीमा के अनुसार तिमाही अनुपालन प्रस्तुत करना होगा:

क्र.सं.	उपयोगकर्ता	प्रस्तुत करने का समय (मेकर)	प्रस्तुत करने का समय (चेकर)
1.	शाखा उपयोगकर्ता	तिमाही की समाप्ति पर आगामी महीने की 15 तारीख तक	तिमाही की समाप्ति पर आगामी महीने की 25 तारीख तक
2.	क्षेत्रीय कार्यालय के उपयोगकर्ता	तिमाही की समाप्ति पर आगामी महीने की 15 तारीख तक	तिमाही की समाप्ति पर आगामी महीने की 25 तारीख तक
3.	अंचल कार्यालय के उपयोगकर्ता	तिमाही की समाप्ति पर आगामी महीने की 15 तारीख तक	तिमाही की समाप्ति पर आगामी महीने की 25 तारीख तक
4.	केन्द्रीय कार्यालय के उपयोगकर्ता	तिमाही की समाप्ति पर आगामी महीने की 15 तारीख तक	तिमाही की समाप्ति पर आगामी महीने की 25 तारीख तक

नियत तिथि तक अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए मेकर को अलर्ट ईमेल भेजा जाएगा।

यदि मेकर नियत तिथि तक अनुपालन प्रस्तुत नहीं करता है, तो आरओ/ज़ेडओ को एस्कलेशन ईमेल भेजा जाएगा।

अनुपालन प्रस्तुत करने/अस्वीकार करने/सत्यापन करने पर मेकर को ईमेल अलर्ट प्राप्त होगा.

रिपोर्ट

निम्नलिखित प्रकार की रिपोर्ट वर्तमान में सीओ/ज़ेडओ/आरओ एडमिन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं

- अनुपालन प्रस्तुतीकरण/लंबित स्थिति (ज़ेडओ वार/आरओ वार/शाखा वार).
- स्वीकृत/अस्वीकृत अनुपालनों की संख्या.
- उन उपयोगकर्ताओं की रिपोर्ट जिन्होंने आंशिक अनुपालन/गैर अनुपालन प्रस्तुत किया है.
- अनुपालन प्रस्तुति स्थिति रिपोर्ट.
- विचलन रिपोर्ट(केवल सीओ एडमिन के लिए उपलब्ध)
- अपवाद रिपोर्ट (केवल सीओ एडमिन के लिए उपलब्ध)



अभिशासन जोखिम अनुपालन (जीआरसी) फ्रेमवर्क

- दीपाली किरीट

1. पृष्ठभूमि:

बैंकिंग सभी व्यवसायों की जीवनधारा है। हालाँकि, बैंकों का परिचालन वातावरण तेजी से बदल रहा है। केंद्रीय बजट 2023-24, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, अमृत काल 2022-47 के दौरान इंडिया@100 में आकांक्षाएं गतिशील बैंकिंग क्षेत्र के लिए अवसरों के साथ-साथ चुनौतियों को भी दर्शाती हैं। बैंकों को व्यवसाय की बदलती प्राथमिकताओं, नियामक दिशानिर्देशों के साथ-साथ पूर्व दो में बदलाव के कारण जुड़े जोखिमों को अपनाने में मजबूत होने की आवश्यकता है। इस प्रकार, बैंकों में जीआरसी फ्रेमवर्क को अपनाने और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

2. जीआरसी क्या है?

जीआरसी अभिशासन, जोखिम और अनुपालन का संक्षिप्त रूप है। जीआरसी को क्षमताओं के एकीकृत संग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी संगठन के उद्देश्यों को विश्वसनीय रूप से प्राप्त करने, अनिश्चितता को संबोधित करने और अखंडता के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। जीआरसी एक फ्रेमवर्क है जो संगठनों को संभावित जोखिमों के प्रबंधन और समाधान के लिए एक संरचना प्रदान करता है और नियमों और उद्योग मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

जीआरसी फ्रेमवर्क एक रणनीतिक उपकरण के रूप में कार्य करता है जो संगठनों को अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण स्थापित करने में मदद करता है। यह संगठन का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे नेताओं को संभावित जोखिमों की पहचान करने, उनके प्रभाव का आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने में सक्षम बनाया जाता है। जीआरसी फ्रेमवर्क को लागू करने के पश्चात, बैंक प्रभावी ढंग से जोखिमों का प्रबंधन कर सकते हैं और अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं, जो अंततः उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखने, अपने हितधारकों की रक्षा करने और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने में मदद

करता है. जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, जीआरसी के तीन मुख्य घटक हैं अर्थात् अभिशासन, जोखिम और अनुपालन.

3. अभिशासन क्या है?

यह वह फ्रेमवर्क है जो यह सुनिश्चित करता है कि संगठन अपने शेयरधारकों के सर्वोत्तम दीर्घकालिक हितों के अनुरूप चलाए जाएं. अभिशासन उन प्रक्रियाओं और संरचनाओं को संदर्भित करता है जो प्रभावी निर्णय लेने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संगठनों के पास हैं. इसमें स्पष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ स्थापित करना, लक्ष्य और उद्देश्य परिभाषित करना और प्रभावी संचार चैनल लागू करना शामिल है.

प्रभावी अभिशासन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कोई संगठन जोखिम का उचित प्रबंधन करते हुए कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करे. यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों को उचित रूप से आवंटित किया गया है और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संगठन लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है.

4. जोखिम क्या है?

सरल शब्दों में, जोखिम का अर्थ है संकट या बुरे परिणाम या हानि होने की संभावना. जोखिम प्रबंधन इन जोखिमों और अनिश्चितताओं को मापने और प्रबंधित करने के लिए प्रक्रिया, विधियों और उपकरणों का उपयोग करने की क्रिया है. यह जीआरसी के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है. गतिशील बैंकिंग वातावरण के साथ, जोखिम प्रबंधन ने बैंकों में अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है. बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ उनकी आस्तियों की सुरक्षा, परिचालन निरंतरता बनाए रखने और किसी भी अनियोजित घटना या व्यवधान को रोकने के लिए मजबूत होंगी.

जीआरसी फ्रेमवर्क जोखिम प्रबंधन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो संगठनों को उनके जोखिम के बारे में समग्र दृष्टिकोण लेने में सक्षम बनाता है. यह संगठनों को जोखिमों की पहचान करने और प्राथमिकता देने, नियंत्रणों की प्रभावशीलता का आकलन करने और उन जोखिमों को कम करने के लिए रणनीति विकसित करने हेतु मदद करता है. जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करने के पश्चात्, संगठन संभावित खतरों को सक्रिय रूप से संबोधित कर सकते हैं, उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं और अवसरों का लाभ उठा सकते हैं.

5. अनुपालन क्या है?

अनुपालन जीआरसी फ्रेमवर्क का तीसरा घटक है. अनुपालन का अर्थ नियामक प्राधिकारियों द्वारा परिभाषित प्रावधानों, नियमों और विनियमों को मानना अथवा

पालन करना है। संगठनों के लिए कानूनी और नैतिक मानकों को बनाए रखने, अपने हितधारकों की रक्षा करने और दंड और जुर्माने से बचने के लिए अनुपालन आवश्यक है। अनुपालन गतिविधियों में नियमित लेखापरीक्षा, नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित करना और लागू करना और कर्मचारियों को प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करना शामिल है। किसी बैंक की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर उस बैंक में अनुपालन संस्कृति की गुणवत्ता से जुड़ी होती है। दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करने से ग्राहकों के साथ विश्वास के रिश्ते की निरंतरता सुनिश्चित होती है। अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात, संगठन अपने ग्राहकों और हितधारकों के साथ विश्वास बना सकते हैं और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

तथ्यात्मक रूप से अभिशासन जोखिम और अनुपालन संगठनों में स्वफ्रेमवर्क कार्यों के रूप में फल-फूल रहे हैं। जीआरसी संरचना इस मायने में अलग है कि ये कोषागार में कार्य करने के बजाय संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करते हैं।

6. जीआरसी का विकास

बदलते व्यावसायिक परिदृश्य और नियामक आवश्यकताओं के अनुकूल जीआरसी फ्रेमवर्क पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। यहां इसके विकास का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

- 6.1 **एकल कोषागार:** प्रारंभ में, अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन को अक्सर संगठनों के भीतर अलग-अलग कार्यों के रूप में संभाला जाता था। ये कार्य अलगाव में संचालित होते हैं, जिससे प्रयासों का दोहराव, खंडित रिपोर्टिंग और समग्र जोखिम में सीमित दृश्यता होती है।
- 6.2 **एकीकृत दृष्टिकोण:** जैसे-जैसे संगठनों को जोखिमों और अनुपालन के बारे में अधिक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता का एहसास हुआ, जीआरसी के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सामने आया। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन गतिविधियों को जोड़ना, एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण और जोखिमों और नियामक आवश्यकताओं के लिए समन्वित प्रतिक्रिया को सक्षम करना है।
- 6.3 **प्रौद्योगिकी सक्षमता:** प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, जीआरसी फ्रेमवर्क ने स्वचालित उपकरण और सॉफ्टवेयर समाधानों को एकीकृत करना शुरू कर दिया है। इन तकनीकों ने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, दक्षता में सुधार करने और वास्तविक समय की निगरानी और रिपोर्टिंग क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की है। प्रमुख प्रौद्योगिकियों में

जीआरसी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, जोखिम प्रबंधन प्रणाली, अनुपालन ट्रेकिंग उपकरण और डेटा एनालिटिक्स समाधान शामिल हैं।

- 6.4 **जोखिम संस्कृति और जागरूकता:** ध्यान केवल प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहने से हटकर जोखिम-जागरूक संस्कृति के निर्माण पर केंद्रित हो गया. संगठनों ने पूरे संगठन में जोखिम जागरूकता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के महत्व को पहचानना शुरू कर दिया है. इसमें जोखिमों को समझने, जोखिमों के प्रबंधन में उनकी भूमिका और रोजमर्रा के कार्यों में जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों को शामिल करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शामिल था.
- 6.5 **उद्यम-व्यापी परिप्रेक्ष्य:** जैसे-जैसे जोखिमों की जटिलता और परस्पर जुड़ाव बढ़ता गया, जीआरसी फ्रेमवर्क का नियामक अनुपालन पर पारंपरिक ध्यान केंद्रित करने से परे विस्तार हुआ. उन्होंने रणनीतिक, परिचालन, प्रतिष्ठित और साइबर जोखिमों सहित व्यापक जोखिमों पर विचार करना शुरू कर दिया. लक्ष्य जोखिम प्रबंधन पर एक उद्यम-व्यापी परिप्रेक्ष्य स्थापित करना और इसे रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में एकीकृत करना था.
- 6.6 **सतत निगरानी और अनुकूलनशीलता:** जीआरसी रूपरेखाएं आवधिक आकलन से निरंतर निगरानी और तत्काल जोखिम समक्ष की ओर बढ़ीं हैं. संगठनों ने उभरते जोखिमों और नियामक परिवर्तनों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए चुस्त और अनुकूली जीआरसी दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया है. इसमें सक्रिय रूप से जोखिमों का अनुमान लगाने और उनका समाधान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और परिदृश्य योजना/तनाव परीक्षण का लाभ उठाना शामिल था.
- 6.7 **हितधारक जुड़ाव:** जीआरसी फ्रेमवर्क ने निदेशक मंडल, कार्यपालक प्रबंधन, कर्मचारियों, निवेशकों और नियामकों सहित विभिन्न हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करना शुरू कर दिया है. इन हितधारकों के साथ सहयोग जीआरसी पहल की सफलता के लिए केंद्रीय बन गया. संगठनों ने जीआरसी फ्रेमवर्क को हितधारकों की अपेक्षाओं के साथ संरेखित करने, प्रतिक्रिया मांगने और जोखिम एवं अनुपालन प्रदर्शन पर पारदर्शी रिपोर्टिंग प्रदान करने की मांग की.
- 6.8 **स्थिरता और ईएसजी का एकीकरण:** जीआरसी फ्रेमवर्क में स्थिरता और पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) कारकों के महत्व को प्रमुखता मिली. संगठनों ने ईएसजी विचारों को अपने जोखिम मूल्यांकन, अनुपालन कार्यक्रमों और अभिशासन संरचनाओं में एकीकृत करना शुरू कर दिया. यह पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से जुड़े वित्तीय और प्रतिष्ठित जोखिमों की बढ़ती पहचान को दर्शाता है.

7. जीआरसी फ्रेमवर्क का महत्व

जीआरसी फ्रेमवर्क संगठनों को अनुपालन को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। यह नियामक दायित्वों की पहचान और मूल्यांकन, उचित नियंत्रण फ्रेमवर्क डिजाइन करने और अनुपालन गतिविधियों की निगरानी के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इससे संगठनों को भारी जुर्माने और कानूनी दंड से बचने और बाज़ार में एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

जीआरसी फ्रेमवर्क कई कारणों से बैंकों के लिए महत्वपूर्ण है:

- 7.1 **विनियामक अनुपालन:** बैंक अत्यधिक विनियमित वातावरण में कार्य करते हैं और विभिन्न कानूनों और विनियमों के अधीन होते हैं। जीआरसी फ्रेमवर्क बैंकों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल), अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), डेटा गोपनीयता और उपभोक्ता संरक्षण नियमों सहित सभी प्रासंगिक विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप अधिक जुर्माना हो सकता है और बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।
- 7.2 **जोखिम प्रबंधन:** बैंकों को कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और तरलता जोखिम शामिल हैं। जीआरसी फ्रेमवर्क बैंकों को इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से पहचानने, आकलन करने, निगरानी करने और कम करने में मदद करता है। यह जोखिम प्रबंधन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि जोखिमों की समय पर पहचान की जाए और उन्हें प्रबंधित करने के लिए उचित नियंत्रण लागू किया जाए।
- 7.3 **अभिशासन और जवाबदेही:** एक मजबूत जीआरसी फ्रेमवर्क बैंकों में अभिशासन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है। यह जोखिमों के प्रबंधन और अनुपालन के लिए स्पष्ट भूमिकाएँ, जिम्मेदारियाँ और जवाबदेही स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन प्रारंभ से सही मार्ग स्थापित करते हुए जोखिम और अनुपालन गतिविधियों की देखरेख में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
- 7.4 **व्यवसाय की निरंतरता:** बैंक अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनके अभिशासन में किसी भी व्यवधान के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जीआरसी फ्रेमवर्क बैंकों को प्राकृतिक आपदाओं, साइबर हमलों या महामारी जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के प्रभाव को कम करके व्यापार निरंतरता योजनाओं को विकसित करने और कार्यान्वित करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता

है कि बैंकों के पास परिचालन बनाए रखने, ग्राहक डेटा की सुरक्षा और शीघ्रता से पुनर्प्राप्ति के लिए पर्याप्त उपाय हैं।

7.5 प्रतिष्ठा प्रबंधन: किसी बैंक की प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण संपत्ति है जिसे बनने में वर्षों लग सकते हैं लेकिन एक पल में क्षतिग्रस्त हो सकती है। जीआरसी फ्रेमवर्क बैंकों को उन जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद करता है जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे धोखाधड़ी, अनैतिक व्यवहार या अपर्याप्त डेटा सुरक्षा। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए उचित उपाय मौजूद हैं और यदि ऐसा होता है तो उचित कार्रवाई की जाती है।

8. जीआरसी फ्रेमवर्क के प्रवर्तक:

चूँकि बैंकिंग व्यवसाय अत्यंत गतिशील और जटिल है, निम्नलिखित प्रवर्तक के रूप में कार्य करते हैं:

8.1 प्रौद्योगिकी और स्वचालन: प्रौद्योगिकी और स्वचालन प्रभावी जीआरसी प्रक्रियाओं को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जीआरसी तकनीक संगठनों को प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और उनके अभिशासन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करती है। यह संगठनों को जोखिमों की पहचान करने और उनका आकलन करने, अनुपालन आवश्यकताओं को प्रबंधित करने और प्रदर्शन मेट्रिक्स की निगरानी करने में मदद कर सकता है। यह रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने, त्रुटियों को कम करने और दक्षता में सुधार करने में भी मदद कर सकता है।

8.2 कार्यनिष्पादन प्रबंधन: प्रभावी कार्यनिष्पादन प्रबंधन किसी भी जीआरसी फ्रेमवर्क की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जीआरसी फ्रेमवर्क की प्रभावशीलता की निगरानी और माप करना, सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करना और उन क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए रणनीतियों को लागू करना शामिल है।

जीआरसी फ्रेमवर्क कार्यनिष्पादन प्रबंधन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह संगठनों को कार्यनिष्पादन मेट्रिक्स और लक्ष्य निर्धारित करने, उन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक समायोजन करने में मदद करता है।

9. जीआरसी फ्रेमवर्क के लाभ:

किसी संगठन के भीतर जीआरसी फ्रेमवर्क को लागू करने के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं:

- 9.1 **उन्नत जोखिम प्रबंधन:** जीआरसी फ्रेमवर्क जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे संगठनों को संभावित जोखिमों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाया जाता है।
- 9.2 **बेहतर अनुपालन:** जीआरसी फ्रेमवर्क संगठनों को नियामक दायित्वों की पहचान करने और उनका पालन करने में मदद करता है, जिससे कानूनी दंड और प्रतिष्ठा क्षति का जोखिम कम होता है।
- 9.3 **बढ़ी हुई दक्षता:** स्वचालन और प्रौद्योगिकी संगठनों को प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, त्रुटियों को कम करने और समग्र दक्षता में सुधार करने में मदद कर सकती है।
- 9.4 **बेहतर निर्णय लेना:** जीआरसी फ्रेमवर्क संगठनों को निर्णय लेने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे वे अधिक सूचित और प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।
- 9.5 **बढ़ी हुई प्रतिष्ठा:** प्रभावी जीआरसी प्रक्रियाएँ संगठनों को बाजार में एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाए रखने, ग्राहकों के विश्वास और निष्ठा में सुधार करने में मदद कर सकती हैं।

10. निष्कर्ष:

जीआरसी फ्रेमवर्क किसी भी संगठन के जोखिम प्रबंधन और अनुपालन योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह जोखिम प्रबंधन और अनुपालन दायित्वों के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे संगठनों को अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से कार्य करने में सक्षम बनाया जाता है। जीआरसी फ्रेमवर्क को लागू करने के पश्चात, संगठन बड़ी त्रुटियों और प्रतिष्ठा क्षति की संभावना को कम कर सकते हैं, और अपने अभिशासन में ग्राहक और हितधारक के विश्वास को बढ़ा सकते हैं।



अनुपालन जोखिम और अनुपालन कार्य का महत्व


- अंकुर चतुर्वेदी

अनुपालन क्या है?

- ❖ निर्धारित कानूनों, नियमों, विनियमों और स्वैच्छिक सहित विभिन्न आचार संहिताओं का पालन करने का कार्य. हालाँकि इनमें से अधिकांश बाहरी आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं, संगठन के अपने आंतरिक नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और नैतिक प्रथाओं के अनुरूप कार्य करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
- ❖ ग्राहक सेवा प्रदान करने के बड़े उद्देश्य के साथ निष्पक्ष व्यवहार संहिता का पालन सुनिश्चित करना और ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करना भी अनुपालन में शामिल है.
- ❖ इस प्रकार, अनुपालन को कानूनी रूप से बाध्यकारी से आगे जाना होगा और ईमानदारी और नैतिक आचरण के व्यापक मानकों को अपनाना होगा. **अनुपालन कार्य मुख्य गतिविधि है और इसे आउटसोर्स नहीं किया जाना चाहिए.**
- ❖ जबकि लागू सांविधिक प्रावधानों और विनियमों का पालन करना प्रत्येक स्टाफ सदस्य की जिम्मेदारी है, इसे सुनिश्चित करना अनुपालन कार्य का अधिदेश है.

अनुपालन जोखिम

बैंकों में अनुपालन कार्य और अनुपालन पर बीसीबीएस (बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति) पेपर अनुपालन जोखिम को कानूनी या विनियामक प्रतिबंधों, महत्वपूर्ण वित्तीय हानि, या प्रतिष्ठा की हानि के जोखिम के रूप में परिभाषित करता है, जिसका कानून, विनियम, नियम, संबंधित स्व-नियामक संगठन मानक और इसकी बैंकिंग गतिविधियों पर लागू आचार संहिता से संबन्धित अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप बैंक को नुकसान हो सकता है.



अनुपालन जोखिम, संगठन में अन्य जोखिमों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जैसे;

- ❖ **विनियामक जोखिम** : विनियामक जोखिम, विनियमन के गैर-अनुपालन के कारण आम जनता और बैंक के लिए संभावित परिणामों को संदर्भित करता है। इस जोखिम के अंतर्गत कारणों में उपभोक्ताओं को वित्तीय नुकसान, बैंक को कानूनी, प्रतिष्ठा और वित्तीय नुकसान आदि और संभावित नागरिक और वित्तीय दायित्व सहित सुधारात्मक कार्रवाई का बोझ शामिल है। अनुपालन विफलताओं के कारण विनियामक प्रवर्तन और अन्य कार्रवाइयां हो सकती हैं।
- ❖ **परिचालन जोखिम** : परिचालन जोखिम को अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है।
- ❖ **कानूनी जोखिम**: कानूनी जोखिम में “ऐसे मुकदमे, प्रतिकूल निर्णय या अप्रवर्तनीय संविदाएं, जो बैंक के संचालन या परिस्थितियों को बाधित या प्रतिकूल रूप से शामिल हैं। अनुपालन विफलताओं के कारण मुकदमेबाजी और संबंधित क्षति या जुर्माना हो सकता है।
- ❖ **प्रतिष्ठा जोखिम**: प्रतिष्ठा जोखिम वह जोखिम है जो बैंक की कारोबारिक प्रथाओं, स्वास्थ्य और संचालन की सुदृढ़ता के बारे में नकारात्मक प्रचार करता है, जिससे बैंकों और जनता के बीच विश्वास की कमी हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप कारोबार, राजस्व की हानि होगी या बैंक मुकदमेबाजी में शामिल हो जाएगा। अनुपालन विफलताएं तरलता जोखिम और संगठन के संचालन पर संबंधित प्रभाव के अलावा, प्रतिष्ठा, ब्रांड और बाजार मूल्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं।

अनुपालन जोखिम - जोखिम क्षेत्रों की पहचान

बैंक के लिए अनुपालन जोखिम क्षेत्र के कुछ उदाहरण:

- ❖ विनियामक/ सांविधिक रिटर्न जमा करना;
- ❖ कटौती, करों का भुगतान, रिटर्न दाखिल करना (अर्थात टीडीएस, जीएसटी आदि);
- ❖ एकत्रित कर/ पीपीएफ का प्रेषण (सीबीडीटी, एससीएसएस, पीपीएफ)
- ❖ कर्मचारियों के पीएफ योगदान का प्रेषण;
- ❖ आरबीआई/ आईबीए/ भारत सरकार आदि से संचार का अनुपालन;
- ❖ ग्राहकों की शिकायतें आंतरिक/बाह्य दिशानिर्देशों/विनियमों का पालन न करने और शिकायतों के समाधान से संबंधित हैं
- ❖ आरबीआईए, स्टॉक ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट आदि का संचालन और इन ऑडिट रिपोर्टों/टिप्पणियों को समय पर बंद करना.
- ❖ केवाईसी मानदंडों का पालन;
- ❖ केवल गैर-निधि सुविधा प्राप्त ग्राहक;
- ❖ अन्य सदस्य बैंकों के साथ क्रेडिट जानकारी का आदान-प्रदान न करने के उदाहरण;
- ❖ समय पर क्रेडिट एक्सपोज़र की 'रेड फ्लैगिंग';
- ❖ धोखाधड़ी की पहचान और भारिबैं को समय पर रिपोर्टिंग तथा पुलिस/ सीबीआई शिकायतें समय पर दायर करना.


अनुपालन जोखिम - मापन

- ❖ अनुपालन के स्तर की गंभीरता के आधार पर पहचाने गए जोखिम क्षेत्रों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता है.
- ❖ जोखिम की गंभीरता को नियंत्रित करने वाले कारक हो सकते हैं -
 - विनियामक कार्रवाई की गंभीरता की डिग्री;
 - प्रतिष्ठा हानि की डिग्री (इक्विटी मूल्य पर प्रभाव; कारोबार की हानि; फंडिंग जोखिम आदि)
 - मौद्रिक हानि;

50 ■ अनुपालन के विविध आयाम

- लगातार/दोहरावदार गैर-अनुपालन;
 - संगठन का लोकाचार
- ❖ 'सर्वाधिक महत्वपूर्ण', 'महत्वपूर्ण', 'अन्य' में वर्गीकरण और प्रत्येक श्रेणी को महत्व देना

सुरक्षा ढांचा



अनुपालन कार्य - विनियामक अपेक्षाएँ


- ❖ सांविधिक प्रावधानों, विनियामक दिशानिर्देशों/ निदेशों का कड़ाई से पालन;
- ❖ बीसीएसबीआई, आईबीए, फेडआई, एफआईएमएमडीए आदि द्वारा निर्धारित मानकों और संहिताओं का पालन;
- ❖ आंतरिक नीतियों और उचित व्यवहार संहिता का पालन;
- ❖ हितों के टकराव का प्रबंधन; स्टाफ सदस्यों के लिए आंतरिक आचार संहिता, नैतिक आचरण;
- ❖ ग्राहक सलाह की उपयुक्तता सुनिश्चित करना;
- ❖ बैंकिंग उत्पादों की संरचना करना;
- ❖ 'अनुपालन जोखिम' को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में शीर्ष प्रबंधन की सहायता करना
- ❖ जोखिम न्यूनीकरण योजना, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट आदि के तहत आरबीआई टिप्पणियों का अनुपालन ;

खराब अनुपालन कार्य की लागत

- ❖ अपर्याप्त अनुपालन संस्कृति से अनुपालन जोखिम बढ़ जाएगा, जिसमें कानूनी और नियामक प्रतिबंधों, भौतिक वित्तीय हानि या प्रतिष्ठा की हानि का जोखिम शामिल है।
- ❖ रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी और यूसीबी पर मौद्रिक जुर्माना लगा रहा है, जो वर्ष 2017 में प्रवर्तन विभाग की स्थापना के बाद से बढ़ गया है।


अवधि	राशि (करोड़ रुपये)
जुलाई 2020-मार्च 2021	19.41
जुलाई 2019-जून 2020	61.15
जुलाई 2018-जून 2019	123.86
जुलाई 2017-जून 2018	102.40

तथापि, जुर्माने और जुर्माने का डर नियमों की बदलती प्रकृति और पर्यवेक्षी अपेक्षाओं के स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अंतर्निर्मित नियंत्रण के साथ एक सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, अनुपालन को दैनिक अभ्यास बनाती है जो संगठन को अधिक दक्षता से काम करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन को संगठन संस्कृति में अनुपालन अखंडता, विश्वास और कानून/नियमों के प्रति सम्मान के मूल्यों/महत्त्व को प्रोत्साहित करना चाहिए।



एक मजबूत जोखिम और अनुपालन संस्कृति ऐसे संगठनों के निर्माण में मदद करेगी जो मजबूत, आघात सहनीय, अनुशासित हों और निरंतर विकास और ग्राहक विश्वास का लाभ उठा सकें।

देश में जोखिम के प्रति संवेदनशील, समावेशी और अनुपालन उन्मुख बैंकिंग (और क्रेडिट मध्यस्थता) के कार्यावली को बढ़ावा देना समय की मांग है।



एएमएल अनुपालन का महत्व

- गीतांजलि साहू

अनुपालन या तो स्थापित दिशानिर्देशों या विशिष्टताओं के अनुसार होने की स्थिति है, या ऐसा बनने की प्रक्रिया है। अनुपालन की परिभाषा में संगठन द्वारा उद्योग के नियमों और सरकारी कानून दोनों का पालन करने हेतु प्रयास भी शामिल हो सकते हैं।

संगठन के भीतर एक स्वस्थ, सकारात्मक अनुपालन संस्कृति, विनियामक विफलता और परिणामी प्रतिबंधों और इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान के जोखिम को कम करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है कि कर्मचारी अपने काम को एक आज्ञाकारी तरीके से करने में सक्षम हो। बैंकों के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने और ग्राहकों, निवेशकों और विनियामकों का विश्वास जीतने के लिए एक अच्छी अनुपालन संस्कृति का प्रदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है। बैंकों के लिए खराब आचरण और विश्वास की हानि से बचने के लिए ऐसी संस्कृति महत्वपूर्ण है।

धन शोधन (मनी लांड्रिंग) एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे काले धन को वैध दिखाया जाता है। अंततः यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपराधिक आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। इसमें शामिल धन को नशीली दवाओं की सौदेबाजी, भ्रष्टाचार, लेखांकन और अन्य प्रकार की धोखाधड़ी और कर चोरी सहित अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के जरिये प्राप्त किया जा सकता है। काले धन को वैध बनाने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं और इसका विस्तार सरल से लेकर जटिल आधुनिकतम तकनीकों के रूप में हो सकता है। कई विनियामक और सरकारी प्राधिकरण दुनिया भर में या अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भीतर वैध बनाए गए काले धन की मात्रा के लिए हर साल अनुमान जारी करते हैं। 1996 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया था कि दुनिया भर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो से पाँच प्रतिशत हिस्से में काले धन को वैध बनाने का मामला शामिल था। काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया का मुकाबला करने के लिए एक अंतःसरकारी निकाय, एफएटीएफ (FATF) का गठन किया गया था जिसने यह स्वीकार किया कि “कुल मिलाकर वैध बनाए गए काले धन की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान प्रस्तुत करना पूरी तरह से असंभव है और इसलिए एफएटीएफ द्वारा इस संदर्भ में कोई आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया जाता है”।

काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया अक्सर तीन चरणों में पूरी होती है: पहला, कुछ माध्यमों से वित्तीय प्रणाली में नक़दी को डाला जाता है (“प्लेसमेंट” / “स्मर्फिंग”), दूसरे चरण में अवैध स्रोत के छलावरण के क्रम में जटिल वित्तीय लेनदेनों को निष्पादित करना (“लेयरिंग”) शामिल है और अंतिम चरण अवैध राशियों के लेनदेनों से उत्पन्न धन को प्राप्त करना अपरिहार्य बना देता (“इंटीग्रेशन”) है। इनमें से कुछ चरणों को परिस्थितियों के आधार पर छोड़ा जा सकता है; उदाहरण के लिए, वित्तीय प्रणाली में पहले से मौजूद गैर-नक़दी आय के प्लेसमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया कई अलग-अलग रूपों में संपन्न होती है, तथापि अधिकांश तरीकों को इनमें से कुछ प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें “बैंक की विधियां, स्मर्फिंग जिसे स्ट्रक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है, मुद्रा विनिमय और दोहरा-चालान बनाना” शामिल हैं।

- **स्ट्रक्चरिंग:** इसे अक्सर “स्मर्फिंग” के रूप में जाना जाता है, यह प्लेसमेंट की एक विधि है जिसके द्वारा नक़दी को छोटी-छोटी जमा राशियों में बाँट दिया जाता है, इस विधि का प्रयोग काले धन को वैध बनाए जाने के संदेह को मात देने और काले धन को वैध बनाने के खिलाफ सूचना की आवश्यकताओं से बचने के लिए किया जाता है।
- **भारी मात्रा में नक़दी की तस्करी:** किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में नक़दी की प्रत्यक्ष रूप से तस्करी जहां इसे एक वित्तीय संस्थान में जमा कर दिया जाएगा, जैसे कि एक ऑफ़शोर बैंक जहां बैंक में काफी गोपनीयता बरती जाती है या काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया कम जटिल होती है।
- **नक़दी पर जोर देनेवाले व्यवसाय:** एक ऐसा व्यवसाय जो आम तौर पर नक़दी जमा प्राप्त करता है वह अपने खातों का इस्तेमाल वैध और अपराधिक दोनों तरह से उत्पन्न नक़दी के संपूर्ण हिस्से को अपनी वैध आय बताकर जमा करने में करेगा।
- **व्यापार आधारित लॉन्डरिंग:** धन के आवागमन को छिपाने के लिए चालानों को कम या अधिक करके तैयार करना।
- **मोहरा कंपनियां और न्यास:** न्यास और मोहरा कंपनियां धन के असली मालिक को छिपा देती हैं। न्यास और कॉरपोरेट साधनों को अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर अपने असली हितकारी, मालिक के बारे में खुलासा करने की जरूरत नहीं होती है।
- **बैंक पर कब्ज़ा:** काले धन को वैध बनाने वाले व्यक्ति या अपराधी ख़ास तौर पर एक ऐसे अधिकार क्षेत्र में, जहां काले धन को वैध बनाने वालों पर नियंत्रण की प्रणाली कमजोर होती है, किसी बैंक में एक नियंत्रक हित खरीद लेते हैं और उसके बाद बैंक के माध्यम से जांच के बिना धन का आदान-प्रदान करते हैं।

- **कसीनो:** कोई व्यक्ति नकदी के साथ एक कैसीनो या एक घुड़दौड़ ट्रैक में प्रवेश करेगा और चिप्स खरीदेगा, कुछ देर के लिए खेलेगा और उसके बाद अपने चिप्स को नकदी में बदल लेगा जिसके लिए उसे एक चेक जारी किया जाएगा। उसके बाद काले धन को वैध बनाने वाला व्यक्ति चेक को उसके बैंक में जमा करने में सक्षम होगा और इसके जुए में जीती गई राशि होने का दावा करेगा।
- **अचल संपत्ति:** रियल एस्टेट (अचल संपत्ति) को अवैध आय के जरिए खरीदा और बेचा जा सकता है। बिक्री से प्राप्त आय बाहरी लोगों के सामने वैध आय प्रतीत होता है।
- **आतंकवादी वित्तपोषण:** तकनीकी रूप से यह काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया बिलकुल भी नहीं है; जहाँ काले धन को वैध बनाने में आम तौर पर धन के स्रोत को छिपाना शामिल होता है जो अवैध है, वहीं आतंकवादी वित्तपोषण संबंधी मामलों में स्वयं धन के गंतव्य को छिपाया जाता है जो कि अवैध है।
- **काला वेतन:** कंपनियों के पास ऐसे अपंजीकृत कर्मचारी हो सकते हैं जिनके पास कोई लिखित अनुबंध नहीं होता है और जिन्हें नकद वेतन दिया जाता है। उन्हें भुगतान करने के लिए काली नकदी का इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रौद्योगिकी :

सूचना प्रौद्योगिकी कभी भी एक सुप्रशिक्षित जांचकर्ता की जगह नहीं ले सकता है लेकिन जिस तरह काले धन को वैध बनाने की तकनीकों अधिक से अधिक परिष्कृत हुई हैं, इसके साथ ही इससे लड़ने की तकनीकों में भी सुधार आया है। मनी लॉन्डरिंग विरोधी सॉफ्टवेयर ग्राहक के डेटा को फ़िल्टर करता है, संदेह के स्तर के अनुसार इसका वर्गीकरण करता है और विसंगतियों के लिए इसका निरीक्षण करता है। ऐसी विसंगतियों में फंड में कोई अचानक भारी वृद्धि या एक बड़ी वापसी शामिल है।

विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर पैकेज नाम विश्लेषण, नियम-आधारित सिस्टम, सांख्यिकीय और प्रोफाइलिंग इंजन, न्यूरल नेटवर्क, लिंक विश्लेषण, सहकर्मी समूह विश्लेषण और समय अनुक्रम मिलान करने में सक्षम हैं। एमएल प्रौद्योगिकी के अन्य तत्वों में प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए जानकारी का आदान-प्रदान करने वाले और ई-लर्निंग के पोर्टल शामिल हैं।

इंटरनेट पर वित्तीय सेवाओं का वितरण, संक्षेप में, बैंकिंग का एक विस्तार है, सेवा प्रदाता के लिए एक चुनौती है, और आमने-सामने संपर्क के अभाव में, लॉन्डरर के लिए एक आकर्षण है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में 'पहचान की चोरी' के अवसर अधिक हैं। उभरती हुई प्रौद्योगिकी एक कार्ड-आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स भी प्रदान करती है जो संरचित प्लेसमेंट के लिए एक अवसर है।

भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग :

- मनी-लॉन्ड्रिंग निरोध अधिनियम, 2002 जुलाई 2005 को प्रभाव में आया था.
- धारा 12 (1) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बिचौलियों पर निम्नांकित दायित्व निर्धारित करता है

(क) निर्देशित किए जाने वाले लेनदेनों की प्रकृति और मूल्य का विवरण देने वाले रिकॉर्डों को कायम रखना, चाहे इस तरह के लेनदेनों में एक एकल लेनदेन या एकीकृत रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए लेनदेनों की एक शृंखला शामिल हो और जहां लेनदेनों की ऐसी शृंखला एक महीने के भीतर देखी गयी हो;

(ख) खंड (क) में संदर्भित लेनदेनों की जानकारी और अपने सभी ग्राहकों की पहचान के रिकॉर्ड निर्धारित अवधि के भीतर निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करना.

धारा 12 (2) में यह प्रावधान है कि उपरोक्त उल्लिखित उप-खंड (1) में संदर्भित रिकॉर्डों को लेनदेन पूरा होने के बाद दस साल तक बनाए रखा जाना चाहिए.

- भारत में काले धन को वैध बनाने की हाल की गतिविधियां राजनीतिक दलों, कॉर्पोरेट कंपनियों और शेयर बाजार के माध्यम से हुई हैं.

वित्तीय आसूचना इकाई -भारत की रिपोर्टिंग :

नियमों के अनुसार बैंकों को निम्नलिखित आदेश के अनुसार निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई -भारत (FIU-IND) को रिपोर्ट करना होता है-

- a) प्रत्येक महीने के लिए नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) अगले महीने की 15 तारीख तक एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत की जानी चाहिए.
- b) संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि लेनदेन संदिग्ध प्रकृति का है.

इसके साथ बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसी भी स्तर पर ग्राहक को कोई सूचना न दी जाए कि उसका खाता संदेह के घेरे में है.

दिसंबर 1988 में स्विट्जरलैंड में बेसेल में एक बैठक में बैंकिंग नियमों और जी10 के पर्यवेक्षी प्रथाओं पर समिति ने धन शोधनकर्ताओं द्वारा उत्पन्न खतरों को दूर करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट विकसित किया. वे इस प्रकार हैं:-




एफएटीएफ: मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वित्तीय कार्रवाई कार्यबल :

जी 7 देशों द्वारा 1989 में गठित धन शोधन के खिलाफ वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य धन शोधन का मुकाबला करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया विकसित करना और इसे बढ़ावा देना है। अक्टूबर 2001 में एफएटीएफ ने अपने मिशन का विस्तार कर इसमें आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को शामिल किया। एफएटीएफ एक नीति-निर्धारक निकाय है जो राष्ट्रीय क़ानून और विनियामक एएमएल और सीएफटी सुधारों को हासिल करने के लिए कानूनी, वित्तीय और कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों को एक साथ लेकर आता है।

उपसंहार

धन शोधन के प्रभाव हम में से कई लोगों के लिए अतुलनीय और अज्ञात हैं। इसने हम सभी को एक चुनौती दी है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए, चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए उनके कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को फिर से डिजाइन किया जाए। प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण ने धन शोधनकर्ताओं को अपने अपराधों को करने और कवर करने के लिए नई तकनीकों का पता लगाने का अवसर दिया है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस अभिशाप को विफल करने और उस पर काबू पाने के लिए अधिक सतर्क, गतिशील और साधन संपन्न हों।



अनुपालन का क्रमगत विकास

- सिम्पल कंवर

भारत का बैंकिंग परिदृश्य तेजी से बदल रहा है. प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, पूरे उद्योग में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आया है जिसने वित्तीय प्रक्रियाओं को पूरा करने के तरीके और वित्तीय संस्थानों के संचालन के तरीके को बदल दिया है. वित्त और प्रौद्योगिकी के बीच सहयोग से बैंकिंग के कई पहलुओं में आमूल-चूल परिवर्तन आया है. वित्तीय प्रौद्योगिकी को एक विघटनकारी शक्ति कहा जाता है, जिससे भविष्य में वित्तीय क्षेत्र, व्यवसाय मॉडल और बैंकिंग संरचनाओं को नया आकार देने की उम्मीद है. इस आदर्श परिवर्तन ने बैंकों के साथ-साथ नियामकों के लिए भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं. महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है 'अनुपालन' - किसी भी बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की स्थायी सफलता की कहानी के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है.”

“अनुपालन को कानूनों, नियमों, विनियमों और स्वैच्छिक सहित विभिन्न आचार संहिताओं का पालन करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है.” हालाँकि इनमें से अधिकांश बाहरी आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं, संगठन के अपने आंतरिक नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना, नैतिक प्रथाओं के अनुसार कार्य करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. एक मजबूत अनुपालन संस्कृति को कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने के बड़े उद्देश्य के साथ, निष्पक्ष अभ्यास कोड का पालन सुनिश्चित करना चाहिए, हितों के टकराव का प्रबंधन करना चाहिए और ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए. इस प्रकार, अनुपालन कानूनी रूप से बाध्यकारी से आगे बढ़ेगा और अखंडता और नैतिक आचरण के व्यापक मानकों को अपनाएगा.

अच्छी अनुपालन संस्कृति के लाभ

बैंकों के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने और ग्राहकों, निवेशकों और नियामकों का विश्वास जीतने के लिए एक अच्छी अनुपालन संस्कृति का प्रदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है. खराब आचरण और विश्वास की हानि से बचने के लिए बैंकों के लिए ऐसी संस्कृति महत्वपूर्ण है.

एक अच्छी अनुपालन संस्कृति बैंकों को कई तरह से लाभ पहुंचा सकती है, जिसमें शामिल है:-

- i) संगठनात्मक और व्यक्तिगत जोखिम को कम करना;
- ii) प्रतिष्ठा जोखिम कम करना;
- iii) अपना काम करते समय कर्मचारियों के बीच कम झिझक और अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न करना;
- iv) प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद करना और कर्मचारी जुड़ाव सुनिश्चित करना;
- v) बेहतर पारदर्शिता जो बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है;
- vi) नियामकों और अन्य हितधारकों के साथ संबंध बढ़ाना
- vii) निवेशकों के बीच बढ़ा हुआ मूल्यांकन;

बैंकों द्वारा किए गए एक तनाव परीक्षण सर्वेक्षण में, यह देखा गया कि अनुपालन से कुछ व्यावसायिक लाभ हो सकते हैं। तनाव परीक्षण कार्यक्रम से गुजरने वाले एक तिहाई से अधिक बैंकों ने संकेत दिया कि तनाव परीक्षण सिद्धांतों के अनुपालन के शीर्ष लाभों में बेहतर सूचित पूंजी नियोजन निर्णय और संगठन के जोखिमों के बारे में दूरदर्शी दृष्टिकोण बनाए रखना शामिल है।

“इसलिए, यदि हम चाहते हैं कि ग्राहकों की संतुष्टि अंततः इक्विटी पर बेहतर रिटर्न की ओर ले जाए, तो हमें अनुपालन को अपनाने की आवश्यकता है।”

खराब अनुपालन संस्कृति की लागत

अनुपालन जोखिम कानूनी या विनियामक प्रतिबंधों, भौतिक वित्तीय हानि, या प्रतिष्ठा की हानि का जोखिम है जो किसी बैंक को कानूनों, विनियमों, नियमों, संबंधित स्व-नियामक संगठन मानकों और लागू आचार संहिता का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप हो सकता है। दूसरी ओर, एक प्रभावी प्रक्रिया प्रत्येक व्यवसाय क्षेत्र, उत्पाद और प्रक्रिया में अनुपालन जोखिमों की पहचान करेगी और ऐसे जोखिमों को कम करने के तरीके तैयार करेगी। प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को क्या करें और क्या न करें की सूची के साथ उचित रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए। उचित आचरण का पालन करने में विफलता के उदाहरणों को केस स्टडी में परिवर्तित किया जाना चाहिए और शिक्षा और वांछित दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए कर्मचारियों के बीच प्रसारित किया जाना चाहिए।

बैंकों को अनुपालन को केवल लागत के रूप में मानने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उचित आचरण बैंक को संभावित प्रतिष्ठा हानि और दंड से बचाता है, इस प्रकार छिपी हुई आय उत्पन्न होती है जिसे अधिकांश बैंक निर्धारित नहीं करते हैं, और इसलिए उन्हें अनुपालन के महत्व का एहसास नहीं होता है। खराब अनुपालन संस्कृति के कारण बैंकों को भारी लागत का सामना करना पड़ सकता है।

हांगकांग स्थित वित्तीय सेवा परामर्श कंपनी क्विनलान एंड एसोसिएट्स ने अनुमान लगाया है कि 2008 के वित्तीय संकट के बाद से खराब व्यवहार ने शीर्ष 50 वैश्विक बैंकों के मुनाफे में 850 बिलियन डॉलर को राइट-डाउन, व्यापारिक घाटे, जुर्माना और उच्च अनुपालन लागत के रूप में नष्ट कर दिया है। जून 2018 से जुलाई 2019 तक, रिज़र्व बैंक ने भारत में कार्यरत विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों पर 76 मौकों पर 122.9 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

हालाँकि, जुर्माने और जुर्माने का डर नियमों की बदलती प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन अंतर्निहित नियंत्रण के साथ एक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अनुपालन को रोजमर्रा की प्रथा बनाती है जो संगठन को अधिक दक्षता से काम करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, सुदृढ़ प्रशासन कानून के अनुपालन, अखंडता, विश्वास और सम्मान के मूल्यों के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। परिणामस्वरूप, एक बैंक लगातार विकसित हो रहे नियमों और व्यावसायिक चुनौतियों से आगे रहने के लिए आवश्यक लचीलेपन को बनाए रखते हुए अपने पूरे संगठन को जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए सशक्त बना सकता है।

अनुपालन संस्कृति - भारतीय परिदृश्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 1992 में बैंकों में धोखाधड़ी और कदाचार समिति (घोष समिति) की सिफारिशों के आधार पर बैंकों में “अनुपालन अधिकारी” की एक प्रणाली शुरू की थी। अनुपालन अधिकारियों की भूमिका 1995 से अधिक ध्यान में आई जब लेखापरीक्षा और निरीक्षण के प्रभारी महाप्रबंधक को अनुपालन कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाया गया था, जिसमें अनुपालन कार्यों पर आवधिक रिपोर्टिंग या सीधे सीएमडी को प्रमाणन की आवश्यकता थी। हालाँकि, धीरे-धीरे यह माना गया कि बैंकों में अनुपालन कार्यों की परिधि की आवश्यकता नहीं है केवल विस्तारित, लेकिन स्पष्ट रूप से परिभाषित भी, विशेष रूप से ऐसे परिदृश्य में जहाँ बैंकिंग पर्यवेक्षक द्वारा तैयार की गई क्रमिक वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टों ने कई अनुपालन कमियों को उजागर किया।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा अप्रैल 2005 में बैंकों में अनुपालन जोखिम और अनुपालन कार्य पर उच्च स्तरीय पेपर जारी करने के बाद अनुपालन कार्यों की

आवश्यकता और महत्व के लिए आरबीआई की मान्यता को और अधिक प्रोत्साहन मिला. इन सिद्धांतों ने, वर्ष 2007 में बैंकों में अनुपालन कार्यों के लिए कठोरता जारी करने पर हमारे काम का आधार बनाया. वित्तीय संकट के बाद, अनुपालन पर ध्यान काफी बढ़ गया है, विशेष रूप से आचरण, केवाईसी/एमएल, विशिष्ट ग्राहक को पेश किए जाने वाले बैंकिंग उत्पादों की उपयुक्तता के क्षेत्र में.

इस संदर्भ में, और एक अच्छी अनुपालन संस्कृति द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों और खराब आचरण की लागत को स्वीकार करते हुए, भारतीय बैंकों की अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने की आवश्यकता है. पर्यवेक्षी प्रक्रिया के दौरान, रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों की अनुपालन संस्कृति में विभिन्न कमियाँ देखीं. कुछ देखी गई कमज़ोरियाँ और अनियमितताएँ बैंक प्रबंधन द्वारा सुधार किए जाने के दावों के बावजूद बार-बार सामने आ रही हैं. इस प्रकार, बैंकों से अपेक्षा यह है कि वे अपने अनुपालन कार्य में समग्र सुधार की दिशा में गंभीर प्रयास करें.

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि, यदि संबंधित बैंकों में अच्छी अनुपालन संस्कृति विकसित होती तो धोखाधड़ी के कारण बैंकों को होने वाले कुछ बड़े नुकसान से बचा जा सकता था. जैसा कि पहले परिभाषित किया गया है, अनुपालन में बैंकों की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन भी शामिल है. धोखाधड़ी के अधिकांश मामलों में, एक सामान्य बात संबंधित कर्मचारियों द्वारा आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन न करना है. हाल के वर्षों में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाएँ, इसमें शामिल रकम की मात्रा और अपनाए गए तौर-तरीकों की जटिलताएँ बैंकों में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति के महत्व को उजागर करती हैं.

साइबर सुरक्षा से संबंधित अनुपालन जोखिम

एक विशिष्ट नोट पर, प्रौद्योगिकी संचालित बैंकिंग में, साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन महत्व प्राप्त कर रहा है. आम तौर पर, साइबर लचीलेपन ढांचे का लक्ष्य तीन व्यापक मुद्दों को संबोधित करना है-

- i) **गोपनीयता भंग** (गोपनीय डेटा चोरी होना),
- ii) **उपलब्धता उल्लंघन** (सिस्टम बरकरार हैं, लेकिन सेवाएं अनुपलब्ध हैं), और
- iii) **अखंडता उल्लंघन** (डेटा या सिस्टम का भ्रष्टाचार जो सूचना और प्रसंस्करण विधियों की अखंडता को प्रभावित करता है).

इन उल्लंघनों से संबंधित अनुपालन जोखिम महत्व प्राप्त कर रहा है और इसे प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने की आवश्यकता है.

अनुपालन संस्कृति पर न्यूनतम पर्यवेक्षी अपेक्षा:-

अनुपालन शीर्ष से शुरू होता है. अनुपालन संगठन की संस्कृति का एक अभिन्न अंग होना चाहिए; यह केवल अनुपालन कार्य में काम करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए. बैंक के प्रत्येक स्टाफ सदस्य की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए, और किसी भी गैर-अनुपालन के लिए बैंक की व्यावसायिक इकाई भी समान रूप से जिम्मेदार होनी चाहिए. एक बैंक को व्यवसाय करते समय स्वयं को उच्च मानकों पर रखना चाहिए, और हर समय कानून की भावना और अक्षरशः पालन करने का प्रयास करना चाहिए. अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और बाजारों पर इसके कार्यों के प्रभाव पर विचार करने में विफलता के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रचार और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, चाहे कोई कानून नहीं तोड़ा गया हो.

प्रभावी अनुपालन कार्य के लिए मजबूत अनुपालन संस्कृति एक पूर्व-आवश्यकता है.

एक मजबूत अनुपालन संस्कृति में निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं-

i) ऊपर से स्वर-

क्या बोर्ड के सदस्यों, वरिष्ठ प्रबंधन के मूल्य विवरण कार्यों में मूल्य प्रदर्शन के अनुरूप हैं? अनुपालन कार्य पर बोर्ड की निगरानी नीतियां बनाने और उसकी आवधिक समीक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए. किसी बैंक की अनुपालन नीति तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक निदेशक मंडल पूरे संगठन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मूल्यों को बढ़ावा नहीं देता. बोर्ड को एक गुणवत्ता आश्वासन और सुधार कार्यक्रम भी बनाना तथा बनाए रखना चाहिए जो अनुपालन कार्य के सभी पहलुओं को कवर करता हो.

ii) जवाबदेही-

बैंक का वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों द्वारा बैंक की अनुपालन नीति के प्रभावी पालन के लिए जिम्मेदार है; और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुपालन जोखिम कम से कम हो, बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेने की संस्कृति; वरिष्ठ प्रबंधन, कार्यात्मक प्रमुख और परिचालन प्रमुख की जवाबदेही का स्पष्ट सीमांकन; मजबूत अनुपालन संस्कृति को सुविधाजनक बनाने में रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में व्यावसायिक इकाई की भूमिका और रक्षा के तीसरे स्तर के रूप में आंतरिक लेखा परीक्षा की भूमिका सभी महत्वपूर्ण हैं.

iii) संचार:

सभी स्टाफ सदस्यों के लिए सामान्य मानकों और केवल स्टाफ के विशिष्ट समूहों पर लागू होने वाले नियमों के बीच अंतर करके स्पष्टता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया

जाना चाहिए. एक प्रभावी अनुपालन संस्कृति के लिए पूरे बैंक में जोखिम और अनुपालन प्रथाओं पर अपेक्षाओं के निरंतर संचार, मौजूदा और नए बोर्ड सदस्यों, वरिष्ठ प्रबंधन और कर्मचारियों के लिए अनुपालन जागरूकता चैनल; आचरण जोखिम को नियंत्रित करने की प्रक्रिया और व्हिसिल-ब्लोअर तंत्र की आवश्यकता होती है.

iv) प्रोत्साहन संरचना:

वांछित अनुपालन संस्कृति को प्राप्त करने के लिए बैंक की निर्णय लेने की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में एक पर्याप्त प्रोत्साहन संरचना अंतर्निहित होनी चाहिए.

v) प्रत्याशित और दूरदर्शी:

अनुपालन अन्य आश्वासन कार्यों जैसे जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखापरीक्षा से अलग है. अनुपालन कार्य का फोकस निवारक अनुपालन पर होना चाहिए. परिभाषा के अनुसार, निवारक अनुपालन पहले से ही बैंक की गतिविधियों का आकलन करेगा और गैर-अनुपालन गतिविधियों/लेनदेन को करने से रोकेगा. अनुपालन एक प्रत्याशित गतिविधि और दूरदर्शी होना चाहिए.

vi) अनुपालन संगठन, प्राधिकरण और संसाधन:

एक बैंक को अपने अनुपालन कार्य को व्यवस्थित करना चाहिए और अपने अनुपालन जोखिम के प्रबंधन के लिए प्राथमिकताएं इस तरह से निर्धारित करनी चाहिए जो उसकी अपनी जोखिम प्रबंधन रणनीति और संरचनाओं के अनुरूप हो. उदाहरण के लिए, कुछ बैंक अपने अनुपालन कार्य को अपने परिचालन जोखिम कार्य के भीतर व्यवस्थित करना चाह सकते हैं, क्योंकि अनुपालन जोखिम और परिचालन जोखिम के कुछ पहलुओं के बीच घनिष्ठ संबंध है. अन्य लोग अलग-अलग अनुपालन और परिचालन जोखिम कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन अनुपालन मामलों पर दो कार्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता वाले तंत्र स्थापित करते हैं. किसी बैंक के भीतर अनुपालन कार्यप्रणाली के निरपेक्ष उसके पास पर्याप्त अधिकार, कद, स्वतंत्रता, संसाधन और बोर्ड तक पहुंच होनी चाहिए. इसकी जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जानी चाहिए और इसकी गतिविधियाँ आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा आवधिक और स्वतंत्र समीक्षा के अधीन होनी चाहिए. प्रबंधन को अनुपालन कार्य की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और उनकी पूर्ति में हस्तक्षेप न करें.

इस प्रकार, अनुपालन बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की साझा जिम्मेदारी है.

कॉर्पोरेट प्रशासन का महत्त्व

बैंक में मजबूत अनुपालन संस्कृति को कायम रखने के लिए फीडबैक तंत्र महत्वपूर्ण हैं, बैंक में सक्षम वातावरण जो मजबूत आंतरिक नियंत्रण के साथ अंतर्निहित ऐसी संस्कृति को

बढ़ावा देता है, उसे बोर्ड के निर्देशों से उत्पन्न होना चाहिए. बैंक को लाभ देने वाले जो पहलू स्पष्ट नहीं हैं उन्हें ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए.

कॉर्पोरेट प्रशासन प्राधिकार और जिम्मेदारियों के आवंटन को निर्धारित करता है जिसके द्वारा बैंक के व्यवसाय और मामलों को उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा किया जाता है, जिसमें यह भी शामिल है कि कॉर्पोरेट संस्कृति, कॉर्पोरेट गतिविधियों और व्यवहार को इस उम्मीद के साथ संरेखित करें कि बैंक सुरक्षित और सुदृढ़ तरीके से, सत्यनिष्ठा के साथ काम करेगा. इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि बोर्ड को प्रत्येक बैंक के आकार, जटिलता, जोखिम की भूख, कारोबार मॉडल और दर्शन के अनुसार नीतियां अपनानी चाहिए. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों में इकाई विशिष्ट अनिश्चितताओं को शामिल किया जाना चाहिए. साथ ही, केवल नीतियां अपनाने से कुछ हल नहीं होता. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन पूरी फर्म में नीति में अंतर्निहित दर्शन को फैलाने के लिए आवश्यक है. इस संदर्भ में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका है.


निष्कर्ष

बैंकों में अनुपालन संस्कृति में बहुत सुधार की आवश्यकता है. बैंकों के पर्यवेक्षक के रूप में, रिजर्व बैंक को सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन संस्कृति में गहन रुचि है, क्योंकि यह बैंक के सुरक्षित और सुदृढ़ कामकाज के लिए एक आवश्यक तत्व है और यदि इसका प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया गया तो बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. अच्छी तरह से शासित बैंक एक कुशल और लागत प्रभावी पर्यवेक्षी प्रक्रिया में योगदान करते हैं, क्योंकि पर्यवेक्षी हस्तक्षेप की कम आवश्यकता होती है. ऐसी सुदृढ़ संस्कृति ऐसे संगठनों के निर्माण में मदद करेगी जो मजबूत, लचीले, अनुशासित हों और निरंतर विकास और ग्राहक विश्वास का लाभ उठा सकें. यह उल्लंघन करने पर कई पर्यवेक्षी कार्रवाइयों और संबंधित प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम से भी बचाएगा.

अनुपालन की भूमिका पर दुनिया भर में व्यापक ध्यान दिया जा रहा है और यह केंद्रीय बैंकों और बैंकों द्वारा समान रूप से स्वीकार किया गया है कि अनुपालन पर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है. नियामकों, पर्यवेक्षकों और अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारकों को इस तथ्य का अधिक से अधिक ज्ञान हो गया है कि केवल नियमों और विनियमों को लागू करना एक निरर्थक अभ्यास है जब तक कि विनियमित संस्थाओं द्वारा इनका अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जाता है.

सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन संस्कृति पर्यवेक्षक को बैंक की आंतरिक प्रक्रियाओं पर अधिक निर्भरता रखने की अनुमति देगी. इस संबंध में, पर्यवेक्षी अनुभव प्रत्येक बैंक के भीतर उचित स्तर के अधिकार, जिम्मेदारी, जवाबदेही और जांच और संतुलन के महत्व को रेखांकित करता है, जिसमें निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन और जोखिम, अनुपालन और आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से आस्थासन कार्य शामिल हैं.

बैंक अनुपालन बैंकिंग उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है जो नियमों और कानूनों का पालन सुनिश्चित करता है, इस प्रकार वित्तीय प्रणाली की अखंडता और स्थिरता को बनाए रखता है. अनुपालन के लिए, बैंकों को मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाना और लागू करना होगा, अवशिष्ट जोखिमों का प्रबंधन करना होगा और लागत कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी और स्वचालन का लाभ उठाना होगा. पारदर्शिता, निरंतर निगरानी और नीतियों और प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा के साथ, बैंक विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं और प्रतिष्ठित और वित्तीय जोखिमों को कम कर सकते हैं.



क्षेत्र स्तर से अनुपालन अपेक्षा

- संजीव कुमार

डिजिटलाइजेशन के इस दौर में बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उत्तरोत्तर विकास के साथ सम्पूर्ण बैंकिंग जगत में वृहद स्तर पर परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे वित्तीय परिचालन की प्रणाली तथा वित्तीय संस्थानों के कामकाज के तरीके भी बदल रहे हैं। वित्त और प्रौद्योगिकी से बैंकिंग के कई स्तरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बैंकिंग के साथ प्रौद्योगिकी को एक ऐसे प्रभावकारी रूप में देखा जा रहा है, जिससे भविष्य में वित्तीय क्षेत्र, कारोबारी मॉडल और बैंकिंग क्षेत्र की संरचना में पूर्णतः बदलाव के साथ - साथ विनियामकों के समक्ष भी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश हुई हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण चुनौती अनुपालन की है, जो किसी भी बैंकिंग या वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अनुपालन की भूमिका पर व्यापक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। केंद्रीय बैंकों तथा बैंकरों द्वारा एकमत से इसे स्वीकार किया गया है।

किसी भी वित्तीय संस्था को अपनी अनुपालन कार्यप्रणाली की संरचना स्वयं तैयार करनी चाहिए और अपने अनुपालन जोखिम का प्रबंधन करने के लिए प्राथमिकताएं इस प्रकार तय करनी चाहिए जो उसकी अपनी जोखिम प्रबंधन रणनीति और संरचना से मेल खाती हों। उदाहरण के लिए, कुछ बैंक अपने परिचालन जोखिम क्रियाकलाप के भीतर ही अपने अनुपालन कार्यों को रखते हैं क्योंकि अनुपालन जोखिम और परिचालन जोखिम के कुछ पहलुओं के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। यदि बैंक अनुपालन और परिचालन जोखिम वाले कार्यों को अलग-अलग रखते हैं तो अनुपालन मामलों से संबंधित एक ऐसा तंत्र बनाए जिसमें इन दोनों कार्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग स्थापित हो। बैंक के भीतर अनुपालन कार्य चाहे किसी भी प्रणाली से किया जा रहा हो, यह समुचित रूप से अधिकार सम्पन्न, उच्च स्तरीय, स्वतंत्र, साधन - संपन्न होना चाहिए और इसकी बोर्ड तक पहुंच होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होनी चाहिए और इनकी गतिविधियों की आवधिक और स्वतंत्र समीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से की जानी चाहिए। प्रबंधन को अनुपालन कार्यप्रणाली की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और उसकी पूर्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

पारिभाषिक रूप से कहा जाए तो विभिन्न कानूनों, नियमों, विनियमों और आचार संहिताओं, जिनमें कुछ स्वैच्छिक भी होती हैं, का पालन करना ही अनुपालन है। एक सशक्त

अनुपालन संस्कृति वह होती है, जिसमें समुचित आचार संहिताओं का पालन सुनिश्चित होता हो, हितों के टकराव का प्रबंधन किया जा सके और कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राहकों के साथ पारस्परिक तालमेल बना रहे।

बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों का अनुपालन में विशेष महत्व है। बैंक को आरबीआई और अन्य विनियामकों के नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। बैंकिंग अनुपालन का आज की बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में विशेष महत्व है।

ऋण प्रदान करना बैंकिंग क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 5 (बी) में वर्णित बैंकिंग की परिभाषा से स्पष्ट है कि ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जमा प्राप्त करना ही बैंकिंग का मूलाधार है। बैंक एक वित्तीय संस्था है जिसे कई प्रकार के व्यय यथा जमा पर ब्याज, परिचालन लागत, कर्मचारियों का वेतन, शेयरधारकों को लाभांश इत्यादि की पूर्ति के लिए आय की आवश्यकता होती है जो ऋण से ही सम्भव है। ऋण के बदले उस पर प्राप्त ब्याज और उससे जुड़े अन्य शुल्क यथा प्रसंस्करण शुल्क, प्रलेखीकरण शुल्क, निरीक्षण शुल्क इत्यादि किसी भी बैंक के आय का स्रोत होता है। अतः स्पष्ट है कि किसी भी बैंक के आय एवं लाभप्रदता में वृद्धि के लिए ऋण में वृद्धि आवश्यक है। यद्यपि आज बैंकिंग का दायरा अत्यंत व्यापक हो गया है और अपनी आय एवं लाभप्रदता में वृद्धि के लिए बैंकों द्वारा बीमा, म्युचुअल फण्ड, गारंटी, तृतीय पक्ष के उत्पादों की बिक्री को भी शामिल कर लिया गया है, तथापि ऋण पर प्राप्त ब्याज और विभिन्न शुल्क आज भी आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं।

तकनीकी विस्तार के युग में भी साइबर सुरक्षा का कॉफी महत्व है और इससे संबंधित विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना बैंकिंग व्यवस्था की नवीनतम चुनौती है। सूचना तकनीकी का विस्तार और इसका बैंकिंग व्यवस्था में अनुशासित प्रयोग हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था के लिए अत्यावश्यक है। आज बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी की घटनाओं का विस्तार हो रहा है जो कि मुख्यतः बैंकिंग अनुपालन को पूर्णतः लागू करने में विफलता को दर्शाता है। आरबीआई समय - समय पर बैंकों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये प्रेरित कर रही है और इस पर समय - समय पर जुर्माने की व्यवस्था भी की गयी है।

बैंकों को आज लाभप्रदता के साथ-साथ ग्राहक सुरक्षा और विभिन्न विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है। बैंकिंग क्षेत्र प्रतिदिन नवीन चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज के दौर में, ग्राहक सेवा के साथ-साथ अनुपालन का भी विशेष महत्व है। बैंकिंग अनुपालन के लिए नियमों का उचित रूप से पालन और प्रशासनिक अनुशासन अत्यावश्यक है। अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित नियमावली और दार्शनिक विचारधारा की आवश्यकता होती है। बैंकिंग अनुपालन में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

एक बात और है जिस पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए. प्रौद्योगिकी संचालित बैंकिंग में, साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुपालन का महत्त्व बढ़ता जा रहा है. आम तौर पर, साइबर रेजिलिएंस फ्रेमवर्क का उद्देश्य तीन व्यापक मुद्दों से जुड़े खतरों से निपटना होता है - गोपनीयता भंग होना (गोपनीय डेटा चोरी होना), उपलब्धता समाप्त हो जाना (सिस्टम मौजूद है, लेकिन सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं), और निष्ठा का भंग होना (डेटा या सिस्टम से जुड़ा भ्रष्टाचार जिससे सूचना और उसके संसाधन की प्रणाली में निष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है). इन उल्लंघनों से संबंधित अनुपालन जोखिम का महत्त्व बढ़ता जा रहा है और इनसे प्राथमिकता के आधार पर निपटना जरूरी है.

तथापि, विनियमन का क्षेत्र जिस प्रकार विकसित हो रहा है, ऐसे में अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए जुर्माने और दंड का भय पर्याप्त नहीं है. जिस वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में नियंत्रण के अंतर्निहित उपाय मौजूद होते हैं, उसमें अनुपालन दैनिक क्रियाकलाप का हिस्सा बन जाता है जिससे संगठन की दक्षता बढ़ जाती है. इसके अलावा, एक सक्षम अभिशासन में अनुपालन, निष्ठा, विश्वास और कानून के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है और यह उस संस्था की कार्य संस्कृति का अंग बन जाते हैं. इसका परिणाम यह होता है कि बैंक अपने पूरे संगठन को जिम्मेदारी के साथ काम करने हेतु सशक्त बना पाता है और निरंतर विकसित होते विनियमन और कारोबारी चुनौतियों से पार पाने के लिए आवश्यक लचीलापन भी संगठन में बना रहता है.

भारतीय परिदृश्य में यदि अनुपालन विनियामक की बात की जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 1992 में बैंकों में एक अनुपालन अधिकारी तैनात करने की प्रणाली प्रारंभ की थी जो 7 बैंकों में धोखाधड़ी और कुप्रथाओं पर गठित समिति (घोष समिति) द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित थी. अनुपालन अधिकारियों की भूमिका का महत्त्व वर्ष 1995 में तेजी से बढ़ा जब लेखापरीक्षा और निरीक्षण के प्रभारी महाप्रबंधक को अनुपालन संबंधी क्रियाकलाप की जिम्मेदारी सौंपी गयी और उनसे यह अपेक्षा की गयी कि वे आवधिक रूप से अनुपालन से जुड़े कार्यों की रिपोर्ट या प्रमाण सीधे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें. हालांकि, धीरे-धीरे यह महसूस किया गया कि बैंकों में अनुपालन से जुड़े कार्यों की परिधि को न केवल बढ़ाना होगा बल्कि स्पष्ट रूप से परिभाषित भी करना होगा, विशेषकर एक ऐसे परिदृश्य में जब बैंकिंग पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत एक के बाद एक वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टों में अनुपालन से जुड़ी अनेकानेक कमियाँ उजागर हो रही हों.

इसके बाद जब बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा अप्रैल 2005 में बैंकों में अनुपालन जोखिम और अनुपालन कार्यप्रणाली पर उच्च स्तरीय पेपर जारी किया गया तब अनुपालन कार्यप्रणाली की आवश्यकता और उसके महत्त्व को देखते हुए आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों को और गति मिली. इन सिद्धांतों ने वर्ष 2007 में बैंकों में अनुपालन

कार्यप्रणाली को और सख्त बनाने के लिए हमें एक आधार दिया. वित्तीय संकट के बाद, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) धन शोधन निवारण (एएमएल), और ग्राहकों के अलग-अलग वर्ग के लिए तैयार किए जाने वाले बैंकिंग उत्पादों की उपयुक्तता जैसे क्षेत्रों में अनुपालन पर ज़ोर काफी बढ़ गया है. अतः भारतीय बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे एक स्वस्थ अनुपालन संस्कृति विकसित करें.

सुदृढ़ अनुपालन से होने वाले लाभ

वित्तीय संस्थानों विशेषतः बैंकों को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने और ग्राहकों, निवेशकों और विनियामकों का विश्वास जीतने के लिए एक सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति का होना अत्यंत आवश्यक है. खराब आचरण और विश्वास खोने के परिणामस्वरूप होने वाली हानि से बचने के लिए बैंकों में ऐसी संस्कृति का होना अनिवार्य है. एक अच्छी अनुपालन संस्कृति बैंकों के लिए कई प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं. अनुपालन संगठन और व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम को घटाने में उपयोगी होता है. साथ ही संस्था की प्रतिष्ठा जोखिम कम कर नौकरी करते समय कर्मचारियों में झिझक को कम कर उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने, नवीन प्रतिभा को आकर्षित करने और उन्हें संगठन में बनाए रखने, कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहायक है जिससे बेहतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है. अनुपालन का एक महत्व विनियामकों और अन्य हितधारकों के साथ संबंध बेहतर बनाने में एवं निवेशकों के बीच हैसियत बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

वित्तीय संगठनों में यदि ग्राहक की संतुष्टि चाहिए, तो हमें अनुपालन की संस्कृति को अपनाना होगा चूंकि ग्राहक संतुष्टि ही इक्विटी पर प्रतिफल का मार्ग प्रशस्त करती है. इसके विपरीत क्षेत्रों द्वारा उचित अनुपालन न करने पर कानूनी या विनियामकीय प्रतिबंधों, बड़े वित्तीय नुकसानों, या किसी बैंक की प्रतिष्ठा में गिरावट से जुड़ा अनुपालन जोखिम का सामना करना पड़ता है जब कोई बैंक कानून, विनियम, नियम, संगठन द्वारा तैयार किए गए व इनसे जुड़े स्व-विनियमन मानको और आचार संहिताओं का अनुपालन नहीं करता है. दूसरी ओर, एक प्रभावी अनुपालन व्यवस्था कारोबार के प्रत्येक क्षेत्र, उत्पाद और प्रक्रिया में निहित अनुपालन संबंधी जोखिमों की पहचान कर सकेगी और ऐसे जोखिमों को कम करने के तरीके विकसित करेगी. प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को विधिवत रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और उसके साथ एक क्या करें और क्या न करें सूची भी तैयार की जानी चाहिए. उचित आचरण का पालन करने में विफलता के उदाहरणों को केस स्टडी के रूप में लेते हुए उनसे सभी स्टाफ को अवगत कराया जाना चाहिए ताकि वे इनसे सबक ले सकें और अपने दृष्टिकोण में अपेक्षित बदलाव ला सकें. बैंकों को इस प्रवृत्ति से बचने की आवश्यकता है कि अनुपालन खर्चीला होता है बल्कि उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि उचित आचरण से हमारी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आती है और साथ ही हम दण्ड से भी बचते हैं. कमजोर अनुपालन संस्कृति से बैंकों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है.

अतः हम कह सकते हैं कि यदि बैंकिंग क्षेत्र में एक अच्छी अनुपालन संस्कृति विकसित कर ली जाए तो धोखाधड़ी के कारण बैंकों को होने वाले कुछ बड़े नुकसानों से बचा जा सकता है. अनुपालन में बैंकों की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन भी शामिल होता है. धोखाधड़ी के अधिकांश मामलों में, एक सामान्य बात यह होती है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया जिससे हाल के वर्षों में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं एवं धोखाधड़ी के लिए अपनाए गए तौर तरीकों की जटिलताओं ने बैंकों में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति के महत्व को उजागर किया है.



अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जोखिम स्कोरिंग/आकलन मॉड्यूल विकसित करना

- विवेक

बैंकों में अनुपालन कार्य और अनुपालन पर बीसीबीएस (बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति) पेपर अनुपालन जोखिम को कानूनी या विनियामक प्रतिबंधों, महत्वपूर्ण वित्तीय हानि, या प्रतिष्ठा की हानि के जोखिम के रूप में परिभाषित करता है, जिसका कानून, विनियम, नियम, संबंधित स्व-नियामक संगठन मानक, और इसकी बैंकिंग गतिविधियों पर लागू आचार संहिता से संबन्धित अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप बैंक को नुकसान हो सकता है.

अनुपालन की सबसे आम धारणा विनियामकों (सरकार, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए आदि) द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों और विनियमों का अनुपालन करना है, जो परिभाषित करते हैं कि किसी संगठन को अपना संचालन कैसे करना चाहिए. इनमें से अधिकतर बाहरी आवश्यकताएं हैं.

किसी बैंक में अनुपालन कार्य में आम तौर पर निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:

- (ए) सांविधिक अनुपालन
- (बी) विनियामक अनुपालन
- (सी) आचार संहिता
- (डी) लेखांकन मानक
- (ई) आंतरिक अनुपालन

सांविधिक अनुपालन: एक बैंक को सांविधिक अनुपालन के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम आदि जैसे विभिन्न कानूनों में निहित सभी सांविधिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है.

विनियामक अनुपालन: विभिन्न कानूनों के अनुपालन के अतिरिक्त, एक बैंक को आरबीआई, सेबी, आईआरडीए इत्यादि जैसे विनियामकों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनियामक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। इसे विनियामक अनुपालन कहा जाएगा।

आचार संहिता: एक बैंक को आईबीए, बीसीएसबीआई, एफ़ईडीएआई/ए. फआईएमडीडीए, आदि जैसे संगठनों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर आचार संहिता बनानी होगी। बैंक इन आचार संहिताओं का पालन करेगा।

लेखांकन मानक: आईसीएआई द्वारा निर्धारित कुछ लेखांकन मानक बैंकों पर लागू होते हैं।

सूचीबद्धता करार: स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की इच्छुक प्रत्येक कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित एक करार पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, जिसे सूचीबद्धता करार कहा जाता है। किसी बैंक के अपनी शेयर पूंजी के साथ सार्वजनिक होने पर, बैंक को अपने शेयरों को एनएसई/बीएसई पर सूचीबद्ध करना होता है। इस प्रकार बैंक स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार की आवश्यकताओं का पालन करेगा। सूचीबद्ध इकाई शेयरधारकों को समय पर और पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है:


- (i) सामान्य बैठकों की तारीख, स्थान और एजेंडे के संबंध में पर्याप्त और समय पर जानकारी, साथ ही बैठक में चर्चा किए जाने वाले मुद्दों के बारे में पूर्ण और समय पर जानकारी।
- (ii) पूंजी संरचनाएं और व्यवस्थाएं जो कुछ शेयरधारकों को उनके इक्विटी स्वामित्व की तुलना में गैर आनुपातिक नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं।
- (iii) शेयरों की सभी शृंखलाओं और वर्गों से जुड़े अधिकार, जिनका खुलासा निवेशकों को शेयर हासिल करने से पहले किया जाएगा।

आंतरिक अनुपालन: एक बैंक को आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है। विनियामकों द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के उद्देश्य को पूरा करने का तरीका बैंकों में आंतरिक नियमों, जिन्हें परिपत्र, नीतियां कहा जाता है, द्वारा डिजाइन किया जाएगा।

अनुपालन जोखिम को कम करने के लिए बैंकों के पास बैंक में अनुपालन कार्य द्वारा विकसित अनुपालन जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम होना चाहिए।

अनुपालन जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम बैंक की विनियामक आवश्यकताओं के साथ-साथ

आंतरिक नीतियों के अनुपालन के जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए.



किसी बैंक की अनुपालन नीति का एक उद्देश्य आमतौर पर संगठन में एक सक्रिय अनुपालन जोखिम प्रबंधन संस्कृति स्थापित करना है.

अनुपालन जोखिम प्रबंधन संस्कृति को मजबूत करने के लिए, बैंक में विभिन्न गतिविधि योजनाओं/मॉड्यूल के साथ एक मजबूत अनुपालन कार्यक्रम होना चाहिए. इस दस्तावेज़ में अनुपालन जोखिम मूल्यांकन की विशेषता वाला एक मॉड्यूल विकसित करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समय पर और टिकाऊ तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए वर्टिकल को प्रेरक प्रोत्साहन प्रदान करने की कल्पना की गई है.

शुरुआत में किसी भी मॉड्यूल के सफल होने और निर्धारित उद्देश्यों के सापेक्ष मॉड्यूल के परिणामों का आकलन करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए. यह मॉड्यूल को उसके प्रदर्शन के आधार पर और मजबूत करने में मदद करेगा. उद्देश्यों का एक सेट इस प्रकार हो सकता है:

1. अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने के लिए एक टूल के रूप में कार्य करें.
2. अनुपालन में सुधार की गुंजाइश वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में हितधारकों को जानकारी प्रदान करें.
3. महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समय पर और टिकाऊ तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए हितधारकों को प्रेरक प्रोत्साहन प्रदान करें.
4. अनुपालन जोखिम प्रबंधन संस्कृति के स्तर का आकलन करने के लिए रेटिंग मॉडल विकसित करना.
5. अनुपालन परिप्रेक्ष्य से मापने योग्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना. (महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उन क्षेत्रों का उल्लेख होगा जो मौद्रिक हानि/नियामक प्रतिबंधों/प्रतिष्ठा हानि के संदर्भ में बैंक को प्रभावित कर सकते हैं)

जोखिम महत्वता:

जोखिम की महत्वता के लिए मानकों को उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, जिसमें महत्वपूर्ण जोखिम, टॉलरेंस स्तर और आईसीएएपी के रूप में अन्य फ्रेमवर्क से जुड़ाव शामिल है (आईसीएएपी का उपयोग मापदंडों की पहचान के लिए किया जा सकता है यदि भारांक की जांच करने की आवश्यकता है),

सुदृढ़ जोखिम पहचान और मूल्यांकन प्रक्रिया

- ✓ अनुपालन जोखिमों की व्यापक सूची
- ✓ वस्तुनिष्ठ अनुपालन जोखिम स्कोरकार्ड
- ✓ जोखिम माप पद्धति

इस मॉड्यूल का बैंक में कार्यान्वित अन्य सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस के साथ जुड़ाव होना चाहिए, जो मॉड्यूल के लिए इनपुट स्रोत के लिए स्वचालन की विशेषताओं को दर्शाता है.

ज्यादातर मामलों में, अन्य सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस के बाहर से इनपुट के लिए बहुत कम गुंजाइश होने पर, मॉड्यूल के इनपुट अन्य सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस से प्राप्त होंगे.

मॉड्यूल का उपयोग स्कोर मूल्यांकन के लिए समान मापदंडों वाले समान स्तर पर रखी गई विभिन्न इकाइयों की रैंकिंग के लिए किया जाएगा.

मॉड्यूल की आवश्यकताओं के विचार के लिए प्रमुख मापदंडों के उदाहरण, जिन्हें जोखिम स्कोरिंग/तुलना के परिप्रेक्ष्य से मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी, यहां दिए गए हैं:

- ✓ रिटर्न जमा करने की समयबद्धता
- ✓ ट्रेन्च 2, ट्रेन्च 3 से संबंधित प्रस्तुत उत्तरों की गुणवत्ता
- ✓ अनुपालन परीक्षण जाँच परिणामों से मूल्यांकन
- ✓ विनियामक कार्रवाई

संगठन विशिष्ट, इकाइयों के विभिन्न स्तर हो सकते हैं जिनके लिए संगठन संरचना का उल्लेख किया जा सकता है।

स्कोर दो प्रकार के होंगे, प्रारंभ में अलग-अलग स्तरों पर रैंकिंग निर्दिष्ट करना संभव होना चाहिए यानी निचले स्तर पर उपलब्ध इकाइयों का संदर्भ दिए बिना।

पृथक स्तर पर इकाइयों की तुलना के लिए निचले स्तरों पर इकाइयों के उपलब्ध अंकों से भी स्कोर निकाला जाएगा।

निचले स्तर उच्च ग्रैन्युलैरिटी को संदर्भित करेगा यानी निचले स्तर पर कई इकाइयाँ उच्च स्तर की इकाई से जुड़ी होंगी।

इकाइयों के जोखिम स्कोरिंग के अलावा, ऐसे कई विषय होंगे जिनके लिए अनुपालन उल्लंघन के जोखिम के संदर्भ में संभावना (आवृत्ति) और प्रभाव (गंभीरता) के संदर्भ में विभिन्न अनुपालन विषयों के संदर्भ में जोखिम स्कोरिंग करना संभव होना चाहिए।

इन अनुपालन विषयों में एक सहसंबंध/सहप्रसरण होगा, तदनुसार संभावना और प्रभाव के संदर्भ में विभाजित, समग्र संभावना पर पहुंचने के लिए भारांक दिए जाने चाहिए।

अनुपालन जोखिम से संबंधित विनियामक निरीक्षणों के साथ तालमेल बिठाने के लिए, रिपोर्ट, समयसीमा और अनुपालन के संदर्भ में विभिन्न मापदंडों की पहचान की जाएगी, विशेष रूप से निरीक्षण रिपोर्टों से संबंधित।

समग्र जोखिम स्कोरिंग से हितधारकों को व्यक्तिगत इकाई/व्यक्ति को समर्थन देते हुए अनुपालन जोखिम को कम करने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

स्कोरिंग भाग ग्राफिकल व्याख्या के साथ मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टि से व्यापक होना चाहिए।

मॉडल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में बैंक के साथ चर्चा में प्रबंधन के स्तर के संदर्भ में अलग-अलग स्तर होने चाहिए।

समेकन हेतु किसी विशेष विषय के भारांक को परिभाषित करते समय, मात्रात्मक तत्वों के संतुलन के साथ गुणात्मक विश्लेषण पर प्रमुख ध्यान देने के संदर्भ में इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए.

प्रक्रिया/सूत्र के विभिन्न घटकों को स्व-व्याख्यात्मक होना चाहिए और रिपोर्ट और मॉड्यूल के उपयोगकर्ताओं द्वारा आसान व्याख्या के लिए गुणात्मक विवरण देना चाहिए.

इकाइयों के मामले में समेकित स्कोर पर पहुंचने के लिए स्कोरिंग बॉटम-अप पद्धति का उपयोग कर सकती है.

तुलना के उद्देश्य से जोखिम स्कोरिंग में भाग लेने के लिए प्रतिभागी को पहचाने गए सामान्य न्यूनतम 5 विषयों/पैरामीटरों का अनुभव होना चाहिए. अन्यथा, भागीदार को न्यूनतम कारकों की दृष्टि से यदि बाहरी नहीं तो कम जोखिम वाला मान छोड़ दिया जाएगा.

तथापि वर्टिकल/इकाइयों को उनके द्वारा उठाए जा रहे जोखिम की तुलना के उद्देश्य से रैंक किया जाएगा.

प्रारंभ में अंतर्निहित जोखिम को बिना किसी परीक्षण जांच के परिभाषित किया जाएगा. उसके बाद परीक्षण जांच के आधार पर नियंत्रणों का मूल्यांकन करते हुए अवशिष्ट जोखिम की पहचान की जाएगी, प्रदर्शन के लिए एक अन्य मानदंड पहचान/प्राप्त शमन प्रतिशत के संदर्भ में हो सकता है.

व्यक्तिगत इकाइयों के लिए समग्र जोखिम स्कोर पहचाने गए कारकों/जोखिम के स्रोतों पर प्रभाव और संभावना के आधार पर आयोजित किया जाएगा. प्रभाव केवल 1 के रूप में लिया जा सकता है, विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी. यहां अनुपालन जोखिम का आकलन करते समय फोकस व्यवसाय के दायरे पर नहीं बल्कि विनियामक दिशानिर्देशों पर केंद्रित होगा.

प्रभाव 1 लिए जाने पर, संभावना अनुपालन जोखिम की ओर इशारा करेगी.

जोखिम मूल्यांकन में विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन पर जोर दिया जाएगा और चूंकि बैंक को सभी विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है, इसलिए अंतर्निहित जोखिम को उच्च जोखिम माना जाएगा.

एक बार परीक्षण जांच हो जाने के बाद अनुपालन के आधार पर अवशिष्ट जोखिम की गणना करने के लिए अन्य ब्रैकेट्स को कम जोखिम, मध्यम जोखिम और अन्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है.

भारांक की आवश्यकता नहीं हो सकती है क्योंकि प्रत्येक विनियामक प्रक्रिया को शुरू में उच्च जोखिम माना जाता है और अनुपालन के स्तर के आधार पर इसे और विभाजित किया

जाता है (गैर-अनुपालन का समान % विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग बकेट में आ सकता है और भारांक देने के मुद्दे को हल कर देगा)

विभिन्न मापदंडों के अवशिष्ट जोखिम को जोड़ते समय, अंतिम स्कोर पर पहुंचने के लिए विभिन्न मापदंडों के जोखिम स्तर का माध्य लिया जा सकता है।

किया गया जोखिम मूल्यांकन समग्र जोखिम नहीं दिखाएगा, क्योंकि कुछ कारक परीक्षण जांच में शामिल नहीं हुए होंगे / जोखिम मूल्यांकन का हिस्सा नहीं हुए होंगे।

इसका एक उद्देश्य जोखिम प्रबंधन के अनुसार समग्र जोखिम मूल्यांकन का आकलन करना होना चाहिए।

विनियामक अनुपालन जोखिम मूल्यांकन/अनुपालन जोखिम सुधार के लिए, विभिन्न मापदंडों पर आयोजित विभिन्न परीक्षण जांचों जैसे कि किश्त डेटा, आरएआर डेटा, इन दोनों का संयोजन, एमएएनसी और पहचाने गए अन्य उपयुक्त संयोजनों को मिलाकर पैरामीटर निर्धारित किए जाएंगे।

जोखिम रैंकिंग करते समय सामान्य मापदंडों के आधार पर वर्टिकल की तुलना करना संभव होना चाहिए क्योंकि मान लीजिए वर्टिकल में कारकों की सबसे कम संख्या एक है तो सिस्टम को इस एक वर्टिकल के आधार पर वर्टिकल की रैंकिंग करने में सक्षम होना चाहिए। मान लीजिए सामान्य पैरामीटर वाले वर्टिकल की संख्या का औसत दस है, तो सिस्टम को इन दस पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग करने में सक्षम होना चाहिए।

उदाहरण के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखते हुए एक सरल रूपरेखा तैयार की गई है:

अलग अलग वर्टिकल के लिए अनुपालन जोखिम स्कोरिंग के लिए पहचाने गए महत्वपूर्ण कारक

क्रमांक	महत्वपूर्ण क्षेत्र	समयसीमा/ प्रतिशत/ सटीकता	नियंत्रण
1	जोखिम शमन योजना (आरएमपी)	जैसा कि संबंधित आरएमपी बिंदु के लिए निर्धारित किया गया है	समय-समय पर प्रगति की निगरानी की जाती है और मासिक आधार पर इसे बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।
2	जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर)	रिपोर्ट की तारीख से 90 दिन	समय-समय पर प्रगति की निगरानी की जाती है और मासिक आधार पर इसे बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

क्रमांक	महत्वपूर्ण क्षेत्र	समयसीमा/ प्रतिशत/ सटीकता	नियंत्रण
3	गैर-अनुपालन के प्रमुख क्षेत्र (एमएएनसी)	रिपोर्ट की तारीख से 45 दिन	समय-समय पर प्रगति की निगरानी की जाती है और मासिक आधार पर इसे बोर्ड के समक्ष रखा जाता है.
4	ट्रांच 1, 1ए-1जी डेटा प्रस्तुत करना	प्रत्येक तिमाही के अगले महीने की 25 तारीख	डेटा आरबीएस पोर्टल में वर्टिकल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है
5	ट्रांच II और ट्रांच III डेटा प्रस्तुत करना	हर साल 31 मई	डेटा आरबीएस पोर्टल में वर्टिकल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है
6	आरबीआई प्रश्न	आरबीआई द्वारा यथा निर्धारित	अनुपालन पैकेज ट्रेकिंग
7	सीएमटी में स्थिति	विशेष तिमाही के लिए निर्धारित तिथि तक	सीएमटी
8	ट्रांच अंक उत्तर संशोधित	संशोधित अंकों की संख्या	आरबीएस पैकेज
9	आरएआर अंक उत्तर संशोधित	संशोधित अंकों की संख्या	आरबीएस पैकेज
10	अनुपालन परीक्षण जांच	विभिन्न मापदंडों पर की गई परीक्षण जांच	परीक्षण जांच रिपोर्ट
11	अनुपालन परीक्षण जांच के आधार पर उत्तरों की सटीकता	की गई परीक्षण जांच के उत्तर पर की गई परीक्षण जांच	आरबीएस पैकेज/आरबीआई प्रश्नों से उत्तर की अस्वीकृति रिपोर्ट
12	नियामक प्राधिकारियों द्वारा लगाया गया जुर्माना	लगाए गए जुर्माने की संख्या	बोर्ड/एसीबी सूचना नोट
13	रिटर्न जमा करना	समय पर जमा किए गए रिटर्न की संख्या	अनुपालन पैकेज/आरबीएस पैकेज

स्कोरिंग पद्धति

क्र. सं.	विवरण	मानवर्ध	अनुपालन हेतु डेटा मव -> (ए)	(ए)-> से अनुपालन किए गए डेटा मव (ए)-> (बी)	% अनुपालन (बी)* 100/(ए)	(ए)->(सी) में से डेटा मव संशोधित/अस्वीकृत	सटीकता% (एसी) *100/ ए	विलंब से प्राप्त डेटा मव -> (डी)	% समय पर उपलब्धि (ए-डी) *100/ए	प्रभाव	अंकन मानवर्ध	
											% उपलब्धि/उद्देश्य विश्लेषण	प्रदान किए गए अंक
1	जोखिम न्यूनिकरण योजना (आरएफपी) के तहत टिप्पणियों के अनुपालन की प्रस्तुति	क्या समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया है									हैं नहीं	10 0
2	जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर) के तहत टिप्पणियों का अनुपालन प्रस्तुत करना	क्या समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया है									हैं नहीं	10 0
3	रैर-अनुपालन के प्रमुख क्षेत्रों (एएएनसी) के तहत टिप्पणियों के अनुपालन की प्रस्तुति	क्या समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया है									हैं नहीं	10 0
4	ट्रांच 1, 1ए-1जी डेटा प्रस्तुत करना	क्या समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया है									हैं नहीं	10 0

क्र. सं.	विवरण	मानवंड	अनुपालन हेतु डेटा मव -> (ए)	(ए)-> से अनुपालन किए गए डेटा मव (ए)-> (बी)	% अनुपालन (बी)* 100/ए	(ए)->(सी) में से डेटा मव संशोधित/ अस्वीकृत	सटीकता% (एसी) *100/ ए	विलंब से प्राप्त डेटा मव ->(डी)	% समय पर उपलब्धि (ए-डी) *100/ए	प्रभाव	अंकन मानवंड	
											% उपलब्धि/ उद्देश्य विश्लेषण	प्रदान किए गए अंक
9	आरबीआई को प्रस्तुत करने से पहले उत्तर संशोधन आरएआर मव	उत्तर संशोधित आरएआर मवों का %									≤2	10
											>2&<10	5
											≥10	0
10	अनुपालन परीक्षण जांच	परीक्षण जांच विफल रही									0	10
											>0&≤10	5
											>10	0
11	अनुपालन परीक्षण जांच के आधार पर उत्तरों की सटीकता	एक तिमाही में आरबीएस पैकेज/ आरबीआई प्रश्नों से उत्तर अस्वीकृति रिपोर्ट (% में)									<5%	10
											>5 % &<10%	5
											>10%	0
12	नियामक प्राधिकारियों द्वारा लगाया गया जुर्माना	लगाए गए जुर्माने की संख्या									0	10
											>0	0
13	रिटर्न जमा करना	समय पर जमा किए गए रिटर्न %									100	10
											<100	0


विभिन्न हितधारकों के उपयोग के लिए अलग-अलग अनुकूलित रिपोर्ट तैयार की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए अनुपालन मूल्यांकन मापदंडों के साथ एक सरल डैशबोर्ड पर विचार किया जा रहा है।

अनुपालन स्कोर पैरामीटर (दिनांक (बेटा पांच वर्षों के लिए उपलब्ध होना चाहिए)	जगह	क्षेत्र	अंचल	विभाग	बैंक
	शाखावार स्कोर	क्षेत्र स्कोर क्षेत्र विशेष के तहत सभी शाखाओं के समग्र स्कोर से आकलन किया जाना चाहिए, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ विभिन्न शाखाओं में भारांक समान नहीं है	अंचल स्कोर, अंचल विशेष के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के समग्र स्कोर से आकलन किया जाना चाहिए, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में भारांक समान नहीं है	विभागवार स्कोर	बैंकों के सभी अंचल और विभागों के समग्र स्कोर से बैंक स्कोर का आकलन किया जाना चाहिए. विभागों में विदेशी शाखाएँ भी शामिल होंगी
अनुपालन निगरानी टूल	इस पैरामीटर के लिए शाखा स्कोर, शाखा स्कोर, शाखा स्कोरों का कुल स्कोर होगा, जो समग्र स्कोर में इस स्कोर के आधार पर किसी एल्गोरिदम पर आधारित होगा यथा अंकगणितीय औसत/अन्य	इस पैरामीटर के लिए क्षेत्र स्कोर, क्षेत्र में कर्मचारियों का कुल स्कोर होगा (क्षेत्र के तहत कर्मचारियों में शामिल होंगे), जो समग्र स्कोर में इस स्कोर के आधार पर किसी एल्गोरिदम पर आधारित होगा यथा अंकगणितीय औसत/अन्य	क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को एक ही आकार का लिया जा सकता है. इस धारणा के तहत, अंचल स्कोर क्षेत्रों का समग्र स्कोर होगा जो समग्र स्कोर में इस स्कोर के आधार पर किसी एल्गोरिदम पर आधारित होगा यथा अंकगणितीय औसत/अन्य	विभाग का स्कोर वर्तिकल में जॉब रोल के एमपी बिंदुओं के समेकन से निकाला जाएगा. यदि विभागीय कर्मचारियों के जॉब रोल में एमपी बिंदु शाखा/क्षेत्र/अंचल में कर्मचारियों की कार्य भूमिका में उपलब्ध हैं, तो समेकन में उन एमपी बिंदुओं पर भी विचार किया जाएगा	विभाग के स्कोर के उपयुक्त भारांक के साथ सभी क्षेत्रों के स्कोर को समेकित करके बैंक स्कोर का आकलन किया जाएगा.

अनुपालन स्कोर पैरामीटर (दिनांक (डेटा पांच वर्षों के लिए उपलब्ध होना चाहिए)	जगह	क्षेत्र	अंचल	विभाग	बैंक
श्रीम आधरित अनुपालन परीक्षण जांच		समेकन विषय विशेष के लिए जाँच की गई शाखाओं की संख्या के आधार पर होगा	समेकन भारांक क्षेका में परीक्षण की गई शाखाओं की संख्या के आधार पर होगा	शाखा के समान	समेकन प्रत्येक अंचल में परीक्षण की गई शाखाओं की संख्या के भारांक के साथ अंचल स्कोर का होगा
रिटर्न					
संप्रेषण					
अन्य पैरामीटर 1					
अन्य पैरामीटर 2					
अन्य पैरामीटर 3					
समीकित स्कोर	सभी मापदंडों के लिए समीकित स्कोर का आकलन स्थान अनुसार किया जाना चाहिए	सभी मापदंडों के लिए समीकित स्कोर का आकलन क्षेत्रवार किया जाना चाहिए, न कि आरओ विशेष के मापदंडों का होना चाहिए, न कि कुल शाखावार स्कोर के समेकन से, क्योंकि मापदंडों के आरओ वार समेकन और शाखा वार समेकन के लिए अलग-अलग भारांक लिए जा सकते हैं।	सभी मापदंडों के लिए समीकित स्कोर वार आकलन किया जाना चाहिए, समेकन क्षेत्र विशेष के मापदंडों का होना चाहिए, न कि समग्र क्षेत्रवार स्कोर के समेकन से, क्योंकि मापदंडों के अंचलवार समेकन और क्षेत्रवार समेकन के लिए अलग-अलग वेटेज जा सकते हैं।	सभी मापदंडों के लिए समीकित स्कोर का विभागवार आकलन किया जाना चाहिए	बैंक के लिए सभी मापदंडों के लिए समीकित स्कोर प्राप्त किया जाना चाहिए, समेकन मापदंडों का होना चाहिए, न कि समग्र क्षेत्रवार और विभागवार स्कोर के समेकन से, क्योंकि मापदंडों के बैंक समेकन, अंचलवार समेकन और विभागवार समेकन के लिए अलग-अलग भारांक लिए जा सकते हैं।

निगरानी योग्य कार्ययोजना

- राजदेव कुमार



1. परिचय

- 0.1 बैंकों में अनुपालन और अनुपालन कार्य पर बीसीबीएस (बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति) पेपर अनुपालन जोखिम को कानूनी अथवा नियामक प्रतिबंधों, अधिक वित्तीय हानि अथवा छवि खराब होने के जोखिम के रूप में परिभाषित करता है. संबंधित कानून, विनियम, नियम, संबंधित स्व-विनियामक संगठन मानक और इसकी बैंकिंग गतिविधियों पर लागू आचार संहिता के अनुपालन करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप बैंक को नुकसान हो सकता है.
- 0.2 आरबीआई, निर्धारित दिशानिर्देशों का बैंकों द्वारा पालन करने तथा अनुपालन सुनिश्चित पर काफी जोर दे रहा है.
- 0.3 परिचर्या पत्र से यह देखा जा सकता है कि रिज़र्व बैंक अपना पर्यवेक्षी ध्यान बैंकों पर केंद्रित करेगा जो प्रत्येक बैंक द्वारा स्वयं के साथ-साथ सिस्टम के लिए उत्पन्न जोखिम पर आधारित होगा. प्रत्येक बैंक का जोखिम प्रोफाइल पर्यवेक्षी कार्यक्रम का

निर्धारण करेगा जिसमें आवश्यकता अनुसार ऑफ-साइट निगरानी, लक्षित ऑन-साइट निरीक्षण और बैंकों के साथ संरचित बैठकें, कमीशन किए गए बाहरी ऑडिट, विशिष्ट पर्यवेक्षी निर्देश और प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से करीबी निगरानी के साथ नई नीति नोटिस शामिल होंगे।

- 0.4 जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) की शुरुआत से बैंकों को अपने संगठनात्मक ढांचे को आरबीएस की ओर अभिमुख करने और कुशल जोखिम प्रबंधन संरचना स्थापित करने, जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखापरीक्षा अपनाने, प्रबंधन सूचना प्रणाली को मजबूत करने और अनुपालन इकाइयों की स्थापना करने की आवश्यकता होगी। बैंकों को कार्यबल योजना, कर्मचारियों के चयन एवं तैनाती तथा जोखिम प्रबंधन और जोखिम-आधारित लेखा परीक्षा में उनके प्रशिक्षण जैसे मानव संसाधन विकास मुद्दों के समाधान की भी आवश्यकता होगी। यह स्पष्ट है कि परिवर्तन प्रबंधन आरबीएस में प्रमुख विषय है और बैंकों को कॉर्पोरेट अभिशासन में स्पष्ट रूप से परिभाषित मानकों, अच्छी तरह से प्रलेखित नीतियों और कुशल प्रथाओं को लागू करना चाहिए ताकि जिम्मेदारी और जवाबदेही को स्पष्ट रूप से तय किया जा सके जिससे वे आरबीएस की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसके अनुरूप अपने-आप को ढाल सके।
- 0.5 विशिष्ट क्षेत्रों के ज्यादातर मामले में ऑन-साइट निरीक्षण ही लागू होगा, जब तक कि बैंक-विशिष्ट पर्यवेक्षी कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण व्यापकता के साथ निरीक्षण की आवश्यकता न हो। व्यक्तिगत बैंकों द्वारा प्रस्तुत पर्यवेक्षी उद्देश्यों के लिए जोखिमों को कम करने हेतु निगरानी-योग्य कार्य बिंदु (एमएपी) अनुवर्ती कार्रवाई के लिए तैयार किया जाएगा। इस प्रकार परिवर्तनीय पर्यवेक्षी चक्र और निरीक्षण की परिवर्तनीय आवृत्ति आरबीएस के तहत पर्यवेक्षी प्रक्रिया की विशेषता होगी।
- 0.6 निगरानी योग्य कार्य बिंदु आरबीआई, नाबार्ड, एनएचबी, आईआरडीए, सेबी और अन्य विनियामक एजेंसियों के विनियामक और पर्यवेक्षी दिशानिर्देशों से तैयार/बनाए जाते हैं।

2. रूपरेखा की आवश्यकता

- 1.1 **एक ही स्थान पर विनियामक और सांविधिक दिशानिर्देशों की कार्रवाई की उपलब्धता** : एमएपी विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट विषय पर लागू कार्रवाई तक पहुंचने के लिए एक रेडी रेकनर के रूप में कार्य करेगा। क्षेत्र और प्रशासनिक कार्यालय विभिन्न मापदंडों पर अनुपालन स्तर निर्धारित करने में सक्षम होंगे।
- 1.2 **बैंक के अनुपालन जोखिम का मूल्यांकन और उसे कम करना**: तैयार एमएपी में की जाने वाली कार्रवाई के अनुपालन संदर्भित अनुपालन जोखिम मूल्यांकन जोखिमों को कम करने में सक्षम करेगा।

- 1.3 **अनुपालन परीक्षण जांच को सुविधाजनक बनाना** : परीक्षण जांच बिंदु एमएपी में तैयार किए गए लागू कार्रवाई से प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा, परीक्षण जांच बिंदुओं को थीम, ट्रेंच III, आरएमपी, आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। साथ ही, परीक्षण जांच की आवृत्ति को उपयुक्त रूप से परिभाषित किया जाएगा। परीक्षण जांच के परिणाम का उपयोग अनुपालन प्राप्तांक की गणना के लिए किया जाएगा।
- 1.4 **बैंक की अनुपालन संस्कृति में सुधार**: कार्रवाई-योग्य कार्यों की पहचान और दस्तावेजीकरण की समग्र प्रक्रिया अनुपालन के संबंधित हितधारकों को आसान पहुंच प्रदान करती है।

3. उद्देश्य

- 3.1 पर्यवेक्षी अनुवर्ती का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के दौरान पहचाने गए किसी भी महत्वपूर्ण जोखिम को ठीक करने या कम करने के लिए समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करे। कई मामलों में एमएपी में बैंकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में निर्देश शामिल होंगे। जिन उपचारात्मक कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार की जाएगी, वे जोखिम प्रोफाइलिंग के साथ-साथ पर्यवेक्षी प्रक्रिया में पहचाने गए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से स्पष्ट रूप से जुड़ी होंगी और इससे बैंक के सिस्टम और नियंत्रण वातावरण में सुधार होगा। बैंक के प्रमुख व्यक्तियों को प्रत्येक कार्य बिंदु के लिए जवाबदेह बनाना होगा। यदि एमएपी में निर्धारित कार्रवाइयों और समय सारिणी को पूरा नहीं किया जाता है, तो आरबीआई चूककर्ता बैंकों के लिए आगे के निर्देश जारी करने पर विचार करेगा और यहां तक कि प्रतिबंध और जुर्माना भी लगाएगा।
- 2.2 एमएपी की तैयारी/निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरबीआई के विनियामक और पर्यवेक्षी दिशानिर्देश पूरी तरह से बैंक में लागू किए जाएं, हालांकि आरबीआई द्वारा जारी किए गए ये विनियामक और पर्यवेक्षी दिशानिर्देश बैंक की नीति और दिशानिर्देशों में शामिल हैं और केंद्रीय कार्यालय से लेकर नियंत्रण कार्यालयों और शाखाओं तक, हर स्तर पर प्रसारित किए जाते हैं। लेकिन जब अनुपालन परीक्षण जांच की जाती है, तो हमें इन विनियामक और पर्यवेक्षी दिशानिर्देशों को जारी करने और लागू करने के बीच अंतर मिलता है।
- 2.3 विनियामक द्वारा बताए जाने से पहले अनुपालन जोखिम का आकलन और कमियां, यदि कोई हैं तो, उसे दूर किया जाना चाहिए।
- 2.4 क्षेत्र के विकास/विषय-विशेष विनियम का पालन किया जाना चाहिए।
- 2.5 अनुपालन निगरानी टूल के साथ निगरानी-योग्य कार्रवाई बिंदुओं का एकीकरण।

4. दायरा

- 3.1 अब अनुपालन परीक्षण का दायरा केवल आरबीआई निरीक्षण रिपोर्ट और ट्रेंच डेटा तक सीमित नहीं है। बल्कि, विस्तृत दायरे में बैंक पर लागू सभी विनियामक और पर्यवेक्षी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का व्यापक अनुपालन परीक्षण शामिल है, जिसके लिए एमएपी का निर्माण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह बैंक को एक ही स्थान पर सभी अनुपालन आवश्यकताओं की पूर्ण सुदृश्यता प्रदान करने की अनुमति देगा।
- 3.2 एमएपी से उत्पन्न होने वाले कार्य बिंदुओं को सीएमटी के माध्यम से व्यक्तिगत अनुपालन प्रस्तुति के लिए संबंधित जॉब रोलस के साथ मैप किया जाएगा।
- 3.3 एमएपी का उपयोग रिटर्न कैलेंडर तैयार करने के लिए किया जाएगा जिसमें स्वामित्व वाले विभाग के उल्लेख के साथ-साथ प्रत्येक रिटर्न की आवृत्ति परिभाषित किया जाएगा।
- 3.4 पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए जारी विनियामक दिशानिर्देशों के आधार पर विषयवार एमएपी को अद्यतन किया जाएगा।
- 3.5 बैंक द्वारा जारी संबंधित आंतरिक परिपत्रों के साथ एमएपी बिंदुओं का सामंजस्य सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3.6 सत्यापन हेतु कार्रवाई को संबंधित वर्टिकल के साथ मैप किया जाएगा।
- 3.7 अंचल कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय अनुपालन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर परीक्षण जांच की जानी चाहिए और एमएपी में उल्लिखित कार्रवाई बिंदुओं का उपयोग करके अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5. निगरानी योग्य कार्य-योजना संरचना


- 4.1 एमएपी का निर्माण मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की देखरेख में अनुपालन विभाग, केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीकृत की जाएगी।
- 4.2 एमएपी में आंतरिक/बाह्य नियंत्रण दस्तावेज़, स्वामित्व वाला विभाग, अनुपालन परीक्षण जांच बिंदु, जॉब रोल, रिटर्न सूची और रिटर्न टेम्पलेट, यदि कोई हो, तो उसके प्रासंगिक भाग का संदर्भ शामिल होगा।
- 4.3 बाह्य नियंत्रण दस्तावेज़, अनुपालन परीक्षण जांच बिंदु, जॉब रोल, रिटर्न सूची और रिटर्न टेम्पलेट में उल्लिखित अनुपालन कार्रवाई बिंदु, यदि कोई हो, तो अनुपालन विभाग द्वारा उसका अद्यतन किया जाएगा।

- 4.4 सत्यापन हेतु कार्रवाई को संबंधित वर्टिकल के साथ मैप किया जाएगा.
- 4.5 आंतरिक नियंत्रण दस्तावेज़ में उल्लिखित कार्रवाई की संबंधित मैपिंग संबंधित वर्टिकल द्वारा की जाएगी.
- 4.6 एमएपी के सत्यापन के लिए कार्य समूह का गठन किया गया है. इसमें अनुपालन विभाग, आरएम्डी-ऋण नीति के कार्यपालकों के साथ-साथ संबंधित वर्टिकल के नोडल अनुपालन चैंपियंस शामिल हैं. अनुपालन दृष्टिकोण से निर्णायक एमएपी को अंतिम रूप देने के लिए कार्य समूह के समक्ष रखा गया है. इसके पश्चात ये समूह आंतरिक और बाह्य नियंत्रण दस्तावेज़ के बीच अंतर का दस्तावेजीकरण करेंगे.
- 4.7 वर्टिकल के नोडल अनुपालन अधिकारी वर्टिकल प्रमुख द्वारा समय पर सत्यापन सुनिश्चित करेंगे. यह सत्यापन एमएपी में किसी मद के निर्माण और/या संशोधन पर किया जाएगा.
- 4.8 एक बार अंतिम रूप दिए जाने पर एमएपी, व्यक्तिगत स्तर की अनुपालन जांच सूची, थीम आधारित अनुपालन जांच सूची और रिटर्न के कैलेंडर के लिए इनपुट के रूप में कार्य करेगा.
- 4.9 परीक्षण जांच के समेकित उत्तरों के निष्कर्षों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा.
- 4.10 अनुपालन में यदि कोई कमी पाई जाती है, तो उसे दूर करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी.

6 निष्कर्ष

बैंक में आरबीआई के विनियामक और पर्यवेक्षी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन और बैंक की सुचारू और बेहतर कार्यप्रणाली और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यापक परिप्रेक्ष्य में आरबीआई/ भारत सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार व्यापक अनुपालन परीक्षण जांच तथा उनकी उचित निगरानी सुनिश्चित करने और आरबीआई द्वारा बताए गए अनियमितता/विसंगति के समाधान के लिए एमएपी का निर्माण अनुपालन विभाग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है.

एमएपी विकसित करने के लिए अपनाई जाने वाली सरल प्रक्रिया नीचे दी गई है:



बैंकों में पर्यावरण, सामाजिकता और अभिशासन

- श्रवण कुमार रेड्डी

1. पृष्ठभूमि:

2015 में, दुनिया भर की 190 से अधिक सरकारों ने सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडे को अपनाया, जिसका उद्देश्य परस्पर जुड़कर नवीनतम आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मामलों की एक विस्तृत शृंखला पर भविष्य की प्रगति का समर्थन करना था। इन उद्देश्यों का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन के खतरे को समाप्त करना तथा समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पोषण, शिक्षा एवं शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों में और अधिक बेहतर कार्य तक पहुंच हेतु वैश्विक प्रयासों को मजबूत करना है। इस एजेंडे में 17 संवहनीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) और 2030 तक हासिल किए जाने वाले संबंधित 169 लक्ष्य शामिल थे। एसडीजी को प्राप्त करने के लिए विशेष सामाजिक बदलावों की दरकार है और ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों को जुटाने पर निर्भर करेगा, वर्तमान में सभी देशों के लिए एसडीजी वित्तपोषण अंतर में प्रति वर्ष 2-3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि का अनुमान है।

अर्थव्यवस्थाएं और समाज तेजी से जैव विविधता के नुकसान, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी, आय असमानता, प्रवासन और अन्य पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं के पेचीदा और गंभीर परिणामों का सामना कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के विपरीत, दुनिया भर के विधिनिर्माता पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) कारकों पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली आर्थिक गतिविधियों को बदलने और अत्यधिक खराब परिणामों को कम करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी), यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी (ईबीए) जैसे सुस्थापित संगठन और साथ ही नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (एनजीएफएस) जैसे अपेक्षाकृत नए संगठन इस विषय-वस्तु पर निरंतर प्रकाशन कर रहे हैं। ऐसी

उम्मीद की जानी चाहिए कि स्थिरता के संदर्भ में नवीनतम नियम - जैसे सतत वित्त पर ईबीए कार्य योजना, क्रेडिट संस्थान और निवेश वित्त के लिए ईएसजी जोखिमों के प्रबंधन और पर्यवेक्षण पर ईबीए रिपोर्ट - आने वाले वर्षों में लागू होंगे.

10 मई, 2021 को, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नई स्थिरता-संबंधित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को लागू करने वाला एक परिपत्र जारी किया है. नए प्रकटीकरण को बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (बीआरएसआर) के प्रारूप में बनाया जाएगा, जो सेबी की मौजूदा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट (बीपीआर) और मौजूदा वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों तक स्थिरता रिपोर्टिंग लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

नया बीआरएसआर प्रारूप भारत सरकार के “जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश” (“एनजीआरबीसी”) के 9 सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों के लिए जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण को परिभाषित करना है. आरबीसी दिशानिर्देश व्यापार और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांतों, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों, पेरिस समझौते और आईएलओ कोर कन्वेंशन सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मानकों और करारों द्वारा संचालित होते हैं.

समाज में संवहनीयता का महत्व तेजी से बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता या कॉर्पोरेट कदाचार जैसे मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और इससे बाजार का माहौल तेजी से बदल रहा है. दुनिया भर में निवेशक टिकाऊ वित्तीय उत्पादों की मांग में काफी वृद्धि देख रहे हैं. संवहनीयता और कॉर्पोरेट आचरण वित्तीय संस्थानों की प्रतिष्ठा और व्यावसायिक सफलता को प्रभावित कर रहे हैं. इस प्रकार, संवहनीयता की ओर रुझान वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र में भारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है और बैंकों को ईएसजी कारकों के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है.

2. ईएसजी कारकों को संबोधित करने वाले अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क

दुनिया भर के संस्थान ईएसजी कारकों को परिभाषित करने वाले विभिन्न अंतरराष्ट्रीय ढांचे और मानकों पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि उनमें से कुछ अपनी स्वयं की परिभाषाओं का उपयोग करते हैं. निम्नलिखित प्रमुख मौजूदा ढाँचे वर्तमान में संस्थानों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं:

ए. ईएसजी कारकों को संबोधित करने वाले फ्रेमवर्क

- I. संयुक्त राष्ट्र संवहनीय विकास लक्ष्य (एसडीजी)
- II. जिम्मेदार निवेश के सिद्धांत (पीआरआई)
- III. जिम्मेदार बैंकिंग के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल (यूएनईपी एफआई) सिद्धांत
- IV. वैश्विक स्थिरता मानक बोर्ड वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई)
- V. इक्वेटर सिद्धांत
- VI. 'हितधारक पूंजीवाद को मापने' पर विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की रिपोर्ट
- VII. अंतरराष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद (आईआईआरसी) एकीकृत रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क
- VIII. अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन मानक (आईएफसी प्रदर्शन मानक)
- IX. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के लिए ओईसीडी उचित परिश्रम मार्गदर्शन
- X. ईएसजी से संबंधित जोखिमों के लिए उद्यम जोखिम प्रबंधन को लागू करने के लिए ट्रेडवे कमीशन (सीओएसओ) और संवहनीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद (डब्ल्यूबीसीएसडी) के प्रायोजक संगठनों की समिति का मार्गदर्शन
- XI. संवहनीयता लेखा मानक बोर्ड (एसएएसबी) मानक

बी. फ्रेमवर्क जो विशेष रूप से पर्यावरणीय कारकों को संबोधित करते हैं

- I. प्राकृतिक पूंजी प्रोटोकॉल + अनुपूरक (वित्त)
- II. जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण (टीसीएफडी) पर वित्तीय संवहनीयता बोर्ड कार्यबल की सिफारिशें
- III. जलवायु बांड पहल जलवायु बांड मानक
- IV. इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन ग्रीन बॉन्ड सिद्धांत
- V. वित्तीय उद्योग के लिए कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल ग्लोबल जीएचजी अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग मानक के लिए साझेदारी
- VI. जलवायु प्रकटीकरण परियोजना (सीडीपी), यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट

(यूएनजीसी), विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) और विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) विज्ञान-आधारित लक्ष्य पहल (एसबीटीआई)

सी. फ्रेमवर्क जो विशेष रूप से सामाजिक कारकों को संबोधित करते हैं

- I. व्यवसाय और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत
- II. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के आठ मूल सम्मेलन
- III. संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट

3. ईएसजी कारकों की परिभाषा और सामान्य विशेषताएं

ऐसा माना जाता है कि, **ई एस और जी कारक संवहनीयता** के मुख्य तीन स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ईएसजी कारकों की किसी एक भी परिभाषा की कमी उनकी उचित समझ और प्रबंधन को कठिन बनाती है. ईएसजी कारकों को संदर्भित करने वाले उपलब्ध **फ्रेमवर्क** के आधार पर, एक ईएसजी कारक एक या अधिक आंतरिक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जो संभावित रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं. इन विशेषताओं को निम्नलिखित चित्र में गैर-पदानुक्रमित क्रम में प्रस्तुत किया गया है:



वे कारक जिन्हें परंपरागत रूप से गैर-वित्तीय माना जाता है

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, पर्यावरणीय पदचिह्न, सामाजिक कल्याण, गरीबी, समान अधिकार और नैतिकता जैसी विशेषताओं को दर्शाते हुए, इन कारकों के अलावा जिन्हें पारंपरिक रूप से वित्तीय माना जाता है, जैसे लाभ, पूंजी और लागत.

प्रभाव के बारे में अनिश्चितता

इन कारकों के प्रभावों के बारे में काफी अनिश्चितता है, क्योंकि ये प्रभाव किसी भी समय (लघु, मध्यम और/या दीर्घकालिक) हो सकते हैं और बहुत अलग-अलग समयावधि में प्रभाव पैदा कर सकते हैं.

नकारात्मक आर्थिक बाह्यताएँ : कुछ ईएसजी कारक, जैसे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, प्रदूषण, समग्र रूप से समाज कल्याण और गरीबी तथा जनता के बड़े वर्ग के लिए विशेष चिंता का विषय हैं. हालाँकि वे निजी गतिविधियों के योग के प्रभाव को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन उन्हें वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया जा सकता है, जिसका तात्पर्य है कि उन गतिविधियों की लागत तीसरे पक्ष या बड़े पैमाने पर समाज द्वारा वहन की जाती है और बाजार तंत्र द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जाता है. उदाहरण के लिए, किसी इकाई द्वारा उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की सामूहिक लागत पर विचार करना. जलवायु-संबंधी बाह्यताओं को पर्याप्त रूप से दर्शाने वाले कार्बन मूल्य निर्धारण के अभाव में, वित्तीय बाजार कीमतों में संबंधित जोखिम को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करना आसान नहीं है.

मूल्य शृंखला से उत्पन्न होने वाले पैटर्न एक इकाई की गतिविधियों के प्रभावों और उसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मूल्य शृंखलाओं के भीतर विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत को संदर्भित करते हैं. इन गतिविधियों के संदर्भ में, एक इकाई को अप्रत्यक्ष रूप से, उसके देनदारों और लेनदारों के माध्यम से, विभिन्न ईएसजी कारकों का सामना करना पड़ सकता है.

सार्वजनिक नीतियों में बदलाव के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता : पेरिस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता और एसडीजी के अधीन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने स्थापित लक्ष्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दूरदर्शी प्रयास करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जो सार्वजनिक नीतियों और नियामक ढांचे में बड़े बदलाव का संकेत देते हैं. विशेष रूप से, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के प्रभावों को कम करने के प्रयासों से महत्वपूर्ण नियामक बदलाव हो सकते हैं और व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन हो सकते हैं जिनका अनुमान लगा पाना मुश्किल है.

ईएसजी कारकों की सामान्य परिभाषा इस प्रकार है:


‘ईएसजी कारक पर्यावरणीय, सामाजिक या अभिशासन संबंधी वे मामले हैं जो किसी इकाई, संग्रभु या व्यक्ति के वित्तीय प्रदर्शन या शोधनक्षमता पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं.’

जैसा कि परिभाषा में कहा गया है, ईएसजी कारकों का नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव हो सकता है. इस दृष्टिकोण से, अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से संबंधित

वित्तीय या गैर-वित्तीय संस्थाओं के लिए अवसरों का मूल्यांकन करते समय ईएसजी कारकों का भी उपयोग किया जा सकता है। यह संस्थानों के लिए ईएसजी कारकों के प्रति **व्यापक**, **दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टिकोण** अपनाने की आवश्यकता के अनुरूप है।

बैंक/एफआई ईएसजी कारकों से प्रभावित हो सकते हैं या उन पर प्रभाव डाल सकते हैं। यद्यपि प्रासंगिक और संभावित प्रभाव संस्थान की अपनी पूरी तरह से नियंत्रित गतिविधियों और संबंधित प्रबंधन व्यवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं, तथापि उन पर इसके मौजूदा जोखिम प्रबंधन और आंतरिक शासन ढांचे में विचार किए जाने की उम्मीद है।

बैंक/वित्तीय संस्थान अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों (बाहरी परिप्रेक्ष्य) के माध्यम से ईएसजी कारकों से प्रभावित हो सकते हैं, उदाहरण के लिए ऊर्जा-गहन व्यवसाय मॉडल वाले प्रतिपक्ष को ऋण प्रदान करना जो कि बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों के कार्यान्वयन से प्रभावित होता है। पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ अर्थव्यवस्था (जिस स्थिति में प्रतिपक्ष ईएसजी कारकों - बाहरी परिप्रेक्ष्य से प्रभावित होता है) के लिए, जो बदले में प्रतिपक्ष के जोखिम प्रोफाइल पर प्रभाव डाल सकती है और इस प्रकार संस्थान की तुलन पत्र (बैलेंस शीट) पर प्रभाव डाल सकती है। वैकल्पिक रूप से, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली व्यावसायिक गतिविधियों वाले प्रतिपक्ष को ऋण प्रदान करके (जिस स्थिति में प्रतिपक्ष का ईएसजी कारकों पर प्रभाव पड़ता है - अंदर-बाहर परिप्रेक्ष्य), जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिपक्ष के जोखिम प्रोफाइल और इसी तरह तुलन पत्र (बैलेंस शीट) को भी प्रभावित कर सकता है।



जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से, संस्थानों पर उनके समकक्षों और निवेशित परिपत्तियों के माध्यम से ईएसजी कारकों के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये संस्थान की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित हैं और इसके वित्तीय प्रदर्शन और शोधक्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

4. सामान्य ईएसजी कारक, संकेतक और मेट्रिक्स

संस्थानों के लिए ईएसजी कारकों की प्रासंगिकता न केवल उनकी व्यावसायिक गतिविधियों (उदाहरण के लिए, संपत्ति का प्रकार, क्षेत्र, आकार, भौगोलिक स्थिति और देनदारियां) पर निर्भर करती है, बल्कि उनके प्रशासन और उन्हें प्रबंधित करने की रणनीति पर भी निर्भर करती है। इस संबंध में, **पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ अर्थव्यवस्था** में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नीतिगत बदलावों से संस्थान अलग-अलग स्तर तक प्रभावित हो सकते हैं।

विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क और पहलों के आधार पर, निम्नलिखित तालिका ईएसजी कारकों, संकेतकों और उनके मेट्रिक्स की एक गैर-विस्तृत सूची प्रस्तुत करती है:

ईएसजी कारक		सूचक
पर्यावरण	उत्सर्जन	कुल जीएचजी उत्सर्जन
		वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन
		जल प्रदूषकों का उत्सर्जन
		गैर कार्बनिक प्रदूषकों का उत्सर्जन
		कार्बन पदचिह्न
		जीवाश्म ईंधन क्षेत्र
		जीवाश्म ईंधन के उपयोग और उत्पादन पर कटौती संबंधी नीतियां या पहल।
		पेरिस समझौते के लक्ष्यों का अनुपालन
		उत्सर्जन में कटौती की नीतियां या पहल
		ऊर्जा दक्षता
ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग		
पानी के उपयोग	पानी की खपत की वृद्धि	
अपशिष्ट उत्पादन	हानिकारक अपशिष्ट का उत्पादन	
	पुनः प्रयोज्यता/पुनर्चक्रणशीलता	
जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र	निम्न में मौजूदगी/परिचालन	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ मृदा क्षरण से प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र ■ भौगोलिक क्षेत्रों और उद्योगों में जो विशेष रूप से जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्रिय सेवाओं पर निर्भर हैं 	

ईएसजी कारक		सूचक
		<ul style="list-style-type: none"> ■ संरक्षित क्षेत्रों में या संरक्षित क्षेत्रों के बाहर उच्च जैव विविधता मूल्य वाले क्षेत्रों में ■ राष्ट्रीय संरक्षण सूची प्रजातियों को प्रभावित करना
	पर्यावरणीय जोखिम	प्रभावित होने की संभावना वाले क्षेत्र में उपस्थिति/संचालन <ul style="list-style-type: none"> ■ गर्म तरंगें ■ पानी की कमी ■ बाढ़ ■ तटीय कटाव ■ जंगल की आग
सामाजिक	समुदाय/समाज	स्थानीय समुदायों/नेटवर्कों के साथ संबंध
		उत्पादों और सेवाओं का सामाजिक प्रभाव
	कर्मचारी संबंध / श्रम मानक	संघ की स्वतंत्रता और संगठित होने का अधिकार
		जबरन मजदूरी कराना
		न्यूनतम आयु एवं बाल श्रम
		समान प्रतिनिधित्व
		समान पारिश्रमिक
		भेदभाव
		मानव पूंजी प्रबंधन और कर्मचारी संबंध (प्रशिक्षण और विकास के अवसर)
		कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा
ग्राहक संबंध	ग्राहक सुरक्षा और उत्पाद जिम्मेदारी	
	व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और गोपनीयता	
	ईएसजी कारकों पर जानकारी प्राप्त करने का ग्राहकों का अधिकार	
	ग्राहक संबंधों में गुणवत्ता और नवीनता	
मानव अधिकार	मानवाधिकार परियोजनाओं में योगदान	
गरीबी/अकाल	गरीबी उन्मूलन में योगदान	

ईएसजी कारक		सूचक
शासन	नैतिक प्रतिपूर्ति	आचरण/आचरण ढाँचे की सत्यनिष्ठा
		मूल्य और नैतिकता
		घूसखोरी और भ्रष्टाचार
		जवाबदेही/कानून का शासन
	रणनीति और जोखिम प्रबंधन	रणनीति कार्यान्वयन, परिचालन निष्पादन और निगरानी
		आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रक्रियाएं
	समवेशिता	भेदभाव
	पारदर्शिता	सूचना नियमों और मानकों के प्रकटीकरण का पालन

5. पर्यावरणीय जोखिम

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट के अन्य रूपों, पर्यावरणीय कारकों के नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित हो सकते हैं या उनका कारण बन सकते हैं. (जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ताजे पानी की कमी, भूमि प्रदूषण, जैव विविधता का क्षय और वनों की कटाई) इसे दो तरीकों से मूर्त रूप दिया जा सकता है, जो उनकी संभावित दोहरी भौतिकता को दर्शाता है यानी संभावित रूप से अंदर-बाहर और बाहर.

पर्यावरणीय जोखिम का वह प्रकार जिस पर सबसे अधिक व्यापक रूप से शोध और मान्यता दी गई है वह **जलवायु संबंधी जोखिम है**. जलवायु संबंधी जोखिम संस्थानों के प्रतिपक्षों के संपर्क में आने से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम हैं जो संभावित रूप से जलवायु परिवर्तन में योगदान दे सकते हैं या उससे प्रभावित हो सकते हैं. यह मौसम की घटनाओं के कारण होने वाली शारीरिक क्षति या CO₂ (कार्बन डाय ऑक्साइड) पर कराधान के अधीन कार्बन-सघन क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिपक्ष के परिसंपत्ति मूल्य में गिरावट का रूप ले सकता है.

इसलिए, **‘पर्यावरणीय जोखिमों को उसके प्रतिपक्षों या निवेशित परिसंपत्तियों पर पर्यावरणीय कारकों के वर्तमान या संभावित प्रभावों से उत्पन्न संस्थान पर किसी भी नकारात्मक वित्तीय प्रभाव के जोखिम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है**.

पर्यावरणीय कारक विभिन्न प्रकार के जोखिम चालकों के माध्यम से नकारात्मक वित्तीय प्रभावों को जन्म दे सकते हैं जिन्हें **प्राकृतिक जोखिम और संक्रमण जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है**.

ए. प्राकृतिक जोखिम

प्राकृतिक जोखिम घटकों को मुख्य रूप से जलवायु जोखिम के संबंध में परिभाषित किया गया है। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन के अलावा अन्य पर्यावरणीय जोखिम भी हैं जिनके लिए प्राकृतिक जोखिम भी प्रासंगिक हैं, जैसे जल की कमी, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण के रूप में पर्यावरणीय गिरावट।

तुलन पत्र (बैलेंस शीट) पर प्राकृतिक जोखिम के माध्यम से पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव:



इस उदाहरण में, जलवायु परिवर्तन से प्रेरित जैव विविधता की हानि, एक संस्था के प्रतिपक्ष के जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित करती है, जिससे जैव विविधता की कमी और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र की उचित कार्यप्रणाली के कारण समय के साथ कृषि भूमि खराब हो जाती है, जिससे अंततः कृषि गतिविधियों और खाद्य उत्पादन में कमी आती है। प्रतिपक्ष की लाभप्रदता पर इसके प्रभाव के माध्यम से प्राकृतिक प्रभाव संस्थान की बैलेंस शीट पर प्रेषित होता है, जिससे इसका क्रेडिट जोखिम बढ़ जाता है।

प्राकृतिक जोखिम भी व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, जब बाढ़ व्यक्तियों की संपत्तियों और संप्रभुता को प्रभावित करती है, जब कोई पर्यावरणीय खतरा किसी देश के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करता है, जिससे सार्वजनिक खर्च बढ़ जाता है। वे संपार्श्विक के मूल्य को भी कम कर सकते हैं जो पर्यावरणीय खतरों या जलवायु परिवर्तन से संबंधित मौसम की घटनाओं से प्रभावित होता है।

जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, परिभाषा को इस प्रकार कहा जा सकता है **“प्राकृतिक जोखिम संस्थान पर उसके प्रतिपक्षों या निवेशित संपत्तियों पर पर्यावरणीय कारकों के प्राकृतिक प्रभावों के वर्तमान या संभावित प्रभावों से उत्पन्न होने वाले किसी भी नकारात्मक वित्तीय प्रभाव के जोखिम हैं”**।

तीव्र भौतिक प्रभाव, जो घटनाओं से उत्पन्न होते हैं, विशेष रूप से जलवायु और मौसम से संबंधित घटनाएं जैसे तूफान, बाढ़, आग या हीटवेव या अन्य पर्यावरणीय खतरे जो उत्पादन सुविधाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मूल्य शृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं; और

दीर्घकालिक भौतिक प्रभाव, जो जलवायु और मौसम के पैटर्न में प्रगतिशील बदलाव या पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के क्रमिक नुकसान से उत्पन्न होते हैं, जैसे तापमान परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, पानी की उपलब्धता में कमी, जैव विविधता की हानि और भूमि और मिट्टी की उत्पादकता में परिवर्तन.

बी. संक्रमण जोखिम

संक्रमण जोखिम पर्यावरणीय जोखिमों के जोखिम चालकों की अन्य मुख्य श्रेणी हैं। हालाँकि विभिन्न स्रोतों में परिभाषाएँ अलग-अलग होती हैं, **संक्रमण जोखिम आम तौर पर पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ अर्थव्यवस्था में समायोजन की प्रक्रिया के समय और गति से संबंधित अनिश्चितता को दर्शाते हैं**। यह प्रक्रिया तीन कारकों से प्रभावित हो सकती है: नीति, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता प्राथमिकताएँ:

- **जलवायु और पर्यावरण संबंधी नीतिगत परिवर्तन**, उदाहरण के लिए, ऊर्जा दक्षता आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप, कार्बन-मूल्य निर्धारण तंत्र जो जीवाश्म ईंधन की कीमत बढ़ाते हैं, या पर्यावरणीय संसाधनों के स्थायी उपयोग को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ;
- **तकनीकी परिवर्तन**, उदाहरण के लिए, मौजूदा प्रौद्योगिकियों को अप्रचलित या गैर प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं, जिससे उनकी क्षमता प्रभावित होती है और वैकल्पिक उत्पादों के सापेक्ष मूल्य निर्धारण पर असर पड़ सकता है। इस तरह के तकनीकी परिवर्तन परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन को गति दे सकते हैं।
- **व्यवहार में परिवर्तन**, उदाहरण के लिए, यदि उपभोक्ताओं और निवेशकों की पसंद उन उत्पादों और सेवाओं की ओर अंतरित हो जाती है जो अधिक टिकाऊ हैं; या जब किसी प्रतिपक्ष की जलवायु और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की नकारात्मक छवि हो तो ग्राहकों, कर्मचारियों, व्यापार भागीदारों और निवेशकों को आकर्षित करना और उनसे जुड़े रहना और अधिक कठिन हो जाता है।

निम्नलिखित आंकड़े दर्शाते हैं कि कैसे पर्यावरणीय कारक संक्रमण जोखिम कारकों को जन्म दे सकते हैं और कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से विनियामक हस्तक्षेप कर खर्चों में वृद्धि या व्यापार मॉडल को पुनः बनाकर संस्थानों के प्रतिपक्षी या परिसंपत्ति प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, उन्हें नई नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप क्रेडिट या बाजार जोखिम पर इसके प्रभाव के कारण संस्थान की बैलेंस शीट और राजस्व पर असर पड़ेगा।



सी. प्राकृतिक और संक्रमण जोखिमों का परस्पर प्रभाव

प्राकृतिक और संक्रमण जोखिम एक-दूसरे के साथ निकटता से जुड़े रहते हैं। ग्रीनहाउस गैसों का लगातार उत्सर्जन और अस्थिर आर्थिक प्रणालियों की निरंतरता प्राकृतिक जोखिमों के दो कारक हैं, जो मुख्य रूप से पर्यावरणीय खतरों और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की संभावना को बढ़ा रहे हैं। संस्थानों के लिए, इसका मतलब यह हो सकता है कि वे उन प्रतिपक्षों के संपर्क में हैं जो जलवायु शमन नीतियों की शुरुआत के कारण दिवालिया हो जाते हैं और साथ ही बाढ़ की घटना के दौरान जिनकी संपार्श्विक के रूप में रखी गई संपत्ति खराब हो जाती है।

6. सामाजिक जोखिम

ये लोगों और समुदायों के हित, अधिकारों, और कल्याण से संबंधित सामाजिक कारक हैं और इसमें समानता, स्वास्थ्य, समावेशिता, श्रम संबंध, कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मानव पूंजी और समुदाय जैसे कारक शामिल हैं। संस्थानों और उनके प्रतिपक्षों की व्यावसायिक रणनीतियों और परिचालन ढांचे में इन कारकों पर गहनता से विचार किया जा रहा है।

निवेशक, परिसंपत्ति प्रबंधक या रेटिंग एजेंसियां आम तौर पर मानव अधिकारों के उल्लंघन, कर्मचारियों के साथ संबंध, श्रम प्रणालियों, ग्राहक बातचीत और गरीबी जैसे सामाजिक मानदंडों का उल्लेख करते हैं, जिन्हें वे अपने ईएसजी-विश्लेषण के 9एस“ भाग के रूप में मानते हैं। इन मानदंडों का विश्लेषण इस प्रश्न का उत्तर है **कि विश्लेषण के तहत कंपनी अपने परिचालन में कार्यबल और उन समुदायों और समाजों के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन कैसे करती है।**

सामाजिक जोखिमों के विभिन्न कारकों की पहचान की जा सकती है। प्रथमदृष्ट्या, वे **पर्यावरणीय जोखिमों से संबंधित हो सकते हैं।** निरंतर पर्यावरणीय गिरावट के फलस्वरूप सामाजिक जोखिम बढ़ जाते हैं। जैसे, जब जलवायु से संबंधित प्राकृतिक परिवर्तन या पानी की कमी किसी भौगोलिक क्षेत्र (वंचित भागों) और (पहले से ही वंचित) आबादी को प्रभावित करती है तो पर्यावरणीय गिरावट सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में प्रवासन, सामाजिक और राजनीतिक अशांति को बढ़ा सकती है, जिससे संभवतया दुनिया भर में अधिक विनाशकारी परिणाम और परिवर्तन हो सकते हैं।

सामाजिक जोखिमों का दूसरा कारक **अधिक समावेशी और न्यायोचित समाज की दिशा में सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी नीतियों को लागू करना और बाजार के रुख को बदलना है** उदाहरण के लिए, श्रम अधिकार - जो बुनियादी मूल्यों की एक विस्तृत शृंखला से संबंधित हैं, इनकी गारंटी सभी व्यक्तियों के लिए की जानी चाहिए, इसमें काम के घंटे, न्यूनतम वेतन और कार्यस्थल में स्वास्थ्य और सुरक्षा शामिल है - यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है जो संस्थानों, प्रतिपक्षों को प्रभावित कर सकता है. जो प्रतिपक्ष श्रम अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं, वे उन सामाजिक परिवर्तनों से प्रभावित हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ माहौल. प्रतिपक्ष जो श्रम अधिकारों (या अन्य सामाजिक मानकों) के निचले मानक को लागू करते हैं या खराब श्रम अधिकारों और सुरक्षा वाले देश में काम करने वाले आपूर्तिकर्ताओं पर आधारित होकर व्यवसाय संचालित करते हैं या उन पर निर्भर हैं तो उन्हें भविष्य में अनुपालन की बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ सकता है और उनकी वित्तीय स्थिति पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है.


अंततः, 2030 के लिए एसडीजी द्वारा निर्धारित कार्यबल विविधता के अलावा, समान वेतन या समान प्रतिनिधित्व की मांग करने वाले सामाजिक आंदोलनों के परिणामस्वरूप कई नीतिगत कार्रवाइयों की गई हैं.

सामाजिक प्रयोजनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आने वाले वर्षों में अतिरिक्त नीतिगत निर्णय लिए जाने की उम्मीद है. ऐसे नीतिगत निर्णय उन कंपनियों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं जो उन्हें अपनाने के लिए तैयार या इच्छुक नहीं हैं. इन कंपनियों को लक्षित कर शिकायतों की जा सकती हैं और ये मुकदमों, बाज़ार दबाव और/या प्रतिष्ठा संबंधी हानि से प्रभावित हो सकती हैं.

इस प्रकार सामाजिक जोखिम **पर्यावरणीय जोखिमों, सामाजिक नीति में बदलाव और सामाजिक कारकों के संबंध में बाजार के रुख में बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं.** पर्यावरणीय जोखिमों के विपरीत, सामाजिक जोखिमों के कारकों को प्राकृतिक और संक्रमण जोखिमों के रूप में वर्गीकृत करना वैचारिक रूप से आसान नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि सामाजिक जोखिम उन जोखिमों से प्रभावित नहीं होते हैं जिन्हें प्राकृतिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि, पर्यावरणीय मुद्दों की तुलना में, सामाजिक मानदंडों, प्राथमिकताओं और नीतियों के विकास की भविष्यवाणी करना अधिक कठिन है और इसे 9संक्रमण“ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है.

निम्नलिखित आंकड़े दर्शाते हैं कि सामाजिक कारकों का प्रतिपक्ष उल्लंघन कैसे स्वयं के लिए कानूनी और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम पैदा कर सकता है और ऐसे

जोखिम, बदले में, इन प्रतिपक्षकारों की व्यावसायिक गतिविधियों को वित्तपोषित करने वाले संस्थानों के तुलन पत्र को कैसे प्रभावित कर सकते हैं. इस उदाहरण में, श्रम अधिकारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के सामाजिक कारक संस्थानों के लिए प्रतिपक्ष ऋण जोखिम पैदा कर सकते हैं. बाद के चरण में, यदि अपने प्रतिपक्षों के माध्यम से इन गतिविधियों के वित्तपोषण में शामिल संस्थान आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन्हें खुद की प्रतिष्ठा को नुकसान होने का जोखिम उठाना पड़ सकता है, उदाहरण के लिए, यदि ऐसे उल्लंघनों के प्रति संवेदनशील ग्राहक संस्थानों को बदलने का निर्णय लेते हैं.



7. शासन जोखिम

शासन कारक **शासन प्रणालियों को कवर करते हैं**, जिसमें **कार्यपालक नेतृत्व, कार्यपालक वेतन, लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण, कर से बचाव, बोर्ड की स्वतंत्रता, शेरधारक अधिकार, भ्रष्टाचार और रिश्तखोरी**, और **इसमें कंपनियों या संस्थाएं अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं में पर्यावरण और सामाजिक कारकों को शामिल करती हैं**. ईएसजी के प्रयोजन के लिए, शासन कारकों को शासन मामलों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी इकाई/संप्रभु/व्यक्ति के वित्तीय प्रदर्शन या सॉल्वेंसी पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं.

विशेष रूप से शासन कारकों पर किसी सार्वभौमिक ढांचे की पहचान नहीं की गई है जिसका उपयोग वर्तमान में बाजार द्वारा किया जा रहा है. इसके बजाय, शासन कारक अक्सर राष्ट्रीय विधानों का हिस्सा होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट प्रशासन कोड. कई न्यायालयों ने **“संवहनीय कॉर्पोरेट प्रशासन”** शुरू किया है, जिसका उद्देश्य कंपनी कानूनों और कॉर्पोरेट प्रशासन पर नियामक ढांचे में सुधार करना है, जिससे कंपनियों को अल्पकालिक लाभ के स्थान पर दीर्घकालिक टिकाऊ मूल्य सृजन पर ध्यान केंद्रित करने और स्थिरता से संबंधित मामलों के बेहतर ढंग से संचालन और मूल्य शृंखलाएं प्रबंधित करने में सक्षम बनाया जा सके.

सामाजिक जोखिमों की तरह, शासन जोखिमों के कारकों को प्राकृतिक और संक्रमण जोखिमों के रूप में वर्गीकृत करना वैचारिक रूप से समीचीन नहीं प्रतीत

होता है, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक जोखिम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और यह देखते हुए कि कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे या कोड के विकास को “संक्रमण” जोखिम के रूप में नहीं माना जा सकता है। तथापि, शासन जोखिम विभिन्न प्रकार के जोखिम कारकों द्वारा संचालित हो सकते हैं, जैसे कि **पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों का अपर्याप्त प्रबंधन**, साथ ही **कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे या कोड का अनुपालन न करना**।

उदाहरण के लिए, किसी कंपनी में खराब आचार संहिता या एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई की कमी से उसके वित्तीय और गैर-वित्तीय संसाधनों में बाधा आ सकती है, जिससे उसके प्रदर्शन और रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, यदि खराब आचार संहिता सार्वजनिक हो जाती है, तो ग्राहक और निवेशक कंपनी पर विश्वास खो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से जुर्माना और कानूनी शुल्क लग सकता है और लंबी अवधि में व्यवसाय संचालित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे प्रतिपक्ष की लाभप्रदता पर प्रभाव के कारण संस्था का तुलन पत्र प्रभावित हो सकता है और परिणामस्वरूप क्रेडिट जोखिम बढ़ सकता है।

किसी दिए गए प्रतिपक्ष द्वारा पर्यावरण और सामाजिक विचारों को शामिल करने को सुनिश्चित करने में शासन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तनों के संभावित प्रभाव और संबंधित प्राकृतिक और संक्रमण जोखिमों की पहचान को सुशासन के संकेत के रूप में समझा जाता है। इसके विपरीत, किसी प्रतिपक्ष की रणनीतिक योजना में इन संभावित प्रभावों को अनदेखा करने से अतिरिक्त शासन जोखिम पैदा हो सकते हैं।

8. ईएसजी कारकों की सामान्य विशेषताएं

ये सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन जोखिम प्रबंधन के विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के अनुरूप, हमारा ध्यान नकारात्मक प्रभावों पर अधिक होना चाहिए। नकारात्मक पक्ष पर, ईएसजी कारक क्रेडिट, बाजार, परिचालन, तरलता और फंडिंग जोखिमों जैसे वित्तीय जोखिम श्रेणियों के माध्यम से संस्थानों के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, जो मुख्य रूप से किसी संस्थान के अपने प्रतिपक्षों और निवेशित संपत्तियों के संपर्क से प्रभावित होते हैं।

विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से, संस्थानों के लिए ईएसजी जोखिमों को उनके प्रतिपक्षों या निवेशित संपत्तियों के माध्यम से ईएसजी कारकों के नकारात्मक भौतिककरण


के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संस्थान अपने प्रतिपक्षों और निवेशित परिसंपत्तियों के माध्यम से (बाहर-अंदर परिप्रेक्ष्य) ईएसजी जोखिमों से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ये (बाहर-अंदर परिप्रेक्ष्य) से प्रभावित हो सकते हैं या (अंदर-बाहर परिप्रेक्ष्य) ईएसजी कारकों पर प्रभाव डाल सकते हैं।

ईएसजी जोखिमों का मूल्यांकन करते समय दोनों दृष्टिकोणों पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन नकारात्मक केवल इस हद तक कि इसके संबंधित प्रभाव बाहरी-अंदर के परिप्रेक्ष्य से प्रभावों को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि उस स्थिति में उनका प्रतिपक्ष या निवेशित संपत्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, एक प्रतिपक्ष की पर्यावरणीय रूप से हानिकारक व्यावसायिक गतिविधियाँ (पर्यावरणीय कारकों पर नकारात्मक अंदर-बाहर प्रभाव) इसे पर्यावरणीय क्षरण (पर्यावरणीय कारकों के नकारात्मक बाहरी-अंदर प्रभाव) को लक्षित करने वाली संक्रमण नीतियों के कार्यान्वयन के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती हैं। **बाहर-अंदर** और **अंदर-बाहर** अवधारणाओं को जानने के लिए एक उपयोगी संकल्पना और कैसे पहले वाली अवधारणा दूसरी को प्रभावित कर सकती है, यह “दोहरी भौतिकता” है, जिसमें शामिल हैं:

ए. वित्तीय महत्त्व (बाहर-अंदर), जो किसी कंपनी की संपूर्ण मूल्य शृंखला (अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों) में आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों पर ईएसजी कारकों के प्रभाव से उत्पन्न हो सकती है, वो ऐसी गतिविधियों के मूल्य (रिटर्न) को प्रभावित करती है;

बी. पर्यावरणीय और सामाजिक महत्त्व (अंदर-बाहर), जो ईएसजी कारकों पर कंपनी की आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों के प्रभाव से उत्पन्न हो सकती है, वो तब वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है जब यह प्रभाव कंपनी की गतिविधियों के मूल्य (रिटर्न) को प्रभावित करता है।

ईएसजी कारक विभिन्न प्रकार के जोखिम कारकों के माध्यम से नकारात्मक वित्तीय प्रभाव डाल सकते हैं। जोखिम चालकों द्वारा अपने प्रतिपक्षों और निवेशित परिसंपत्तियों के माध्यम से संस्थानों को प्रभावित करने की जानकारी देने वाली कारण संबंधी शृंखलाएँ, ट्रांसमिशन चैनल कहलाते हैं। ईएसजी जोखिम चालक, उनके ट्रांसमिशन चैनलों का सारांश और ये वित्तीय जोखिम श्रेणियों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं:



9. ईएसजी जोखिमों की पहचान करने में चुनौतियाँ

संस्थानों की प्रबंधन प्रक्रियाओं और उनके पर्यवेक्षण में ईएसजी जोखिमों के एकीकरण के सामने कई चुनौतियाँ हैं। निम्नलिखित मुख्य रूप से आने वाली चुनौतियाँ हैं:

अनिश्चितता का स्तर: नीतियों और संबंधित नियामक हस्तक्षेपों का समय और प्रभाव, जिनके विशिष्ट कार्यान्वयन की जिम्मेदारी काफी हद तक नीति निर्माताओं, नियामकों और पर्यवेक्षकों की है, प्राकृतिक जोखिमों का समय और प्रभाव के अनुसार इनकी भविष्यवाणी कर पाना मुश्किल है।

अपर्याप्त डेटा: प्रासंगिक, तुलनात्मक, विश्वसनीय और उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा की कमी, एक बड़ी चुनौती है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रदर्शन पर ईएसजी जोखिमों के संभावित प्रभावों की समझ को सीमित करती है। यद्यपि बड़े कॉरपोरेट्स के लिए ईएसजी डेटा तेजी से उपलब्ध हो जाता है, तथापि एसएमई, स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों और विकासशील या उभरते बाजारों की कंपनियों और उनके समकक्षों के लिए इस तरह का डेटा जुटा पाना काफी मुश्किल है। इसके अलावा, उपलब्ध ईएसजी डेटा

को प्रतिपक्ष के वित्तीय प्रदर्शन की अपेक्षाओं के अनुरूप बना पाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

कई न्यायक्षेत्रों में, प्राधिकारों के पास **कॉर्पोरेट स्थिरता रिपोर्टिंग के लिए सुझाव हैं**। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की ओर से, **ईएसजी जोखिमों पर प्रकटीकरणों हेतु ईबीए के आगामी कार्यान्वयन तकनीकी मानकों** से ईएसजी जोखिम संबंधी प्रकटीकरणों के मानकीकरण में मदद मिलेगी।

प्रणालीगत बाधाएं: अधिकांश जोखिम प्रबंधन मॉडल वर्तमान या भविष्य के जोखिमों का अनुमान लगाने के लिए ऐतिहासिक डेटा (यानी ऐतिहासिक अनुभव) के उपयोग पर आधारित हैं। ईएसजी कारक अक्सर इन आंकड़ों में परिलक्षित नहीं होते हैं।

‘पारंपरिक’ प्रबंधन उपकरणों और ईएसजी जोखिमों के उद्भव के बीच के समयावधि में मेल न होना: विशेष रूप से, पर्यावरणीय कारकों का पूर्ण प्रभाव अक्सर दशकों में विकसित होता है। उदाहरण के तौर पर, कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था में परिवर्तन अगले 30 वर्षों में धीरे-धीरे होने वाला है। इसके विपरीत, संस्थानों और जोखिम प्रबंधन ढांचे की रणनीतिक नियोजन सीमाएं पारंपरिक रूप से बहुत सीमित हैं, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर शोयरधारक दबाव या व्यापक आर्थिक कारकों को दर्शाती हैं।

गैर-रैखिकता: अधिकांश ईएसजी जोखिम, विशेष रूप से पर्यावरणीय जोखिमों से संबंधित, स्वरूप में गैर-रैखिक हैं। प्राकृतिक और संक्रमण दोनों जोखिम जटिल शृंखला प्रतिक्रियाएं और कैस्केड प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप अप्रत्याशित पर्यावरणीय, भू-राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता उत्पन्न हो सकती हैं।

बैंकों/वित्तीय संस्थानों पर ईएसजी जोखिमों का बहु-बिंदु प्रभाव यह देखते हुए कि ईएसजी जोखिम विभिन्न वित्तीय जोखिम श्रेणियों को प्रभावित कर सकते हैं, वे संस्थानों की वित्तीय स्थिति को कई तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए,

- जिन क्षेत्रों में कुछ आर्थिक गतिविधियाँ (जैसे कृषि, निर्माण) संचालित होती हैं, उनकी प्राकृतिक गिरावट से ऋण संबंधी हानि हो सकती है, यदि कोई संस्थान ऋण या बांड के माध्यम से जोखिम वित्तीय साधनों के रूप में उन गतिविधियों के संपर्क में आता है।
- सामान्य तौर पर अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्था और कार्बन-तटस्थ अर्थव्यवस्था की ओर जरूरी बदलाव और राजनीतिक सहमति भी मौजूदा व्यापार मॉडल को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

- क्रेडिट और बाजार घाटे का पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार, किसी संस्थान की विवेकपूर्ण दृढ़ता पर प्रभाव पड़ता है।
- इसके अलावा, जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ईएसजी जोखिमों को शामिल करती हैं, तो कमजोर कॉरपोरेट्स की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत प्रभावित एक्सपोजर का जोखिम भार अधिक हो सकता है।
- इसके अलावा, जब ईएसजी जोखिम संपार्श्विक के मूल्यांकन को खराब करता है, तो यह एलजीडी को बढ़ा सकता है।
- ईएसजी जोखिम भी पूंजी के बहिर्वाह का कारण बन सकते हैं, उदाहरण के लिए, प्राकृतिक आपदा के बाद।
- पूंजी और फंडिंग की लागत के संबंध में, निवेशकों और जमाकर्ताओं द्वारा ईएसजी कारकों के नकारात्मक प्रभावों की उपेक्षा करने वाले संस्थानों के खिलाफ भेदभाव बढ़ने की संभावना है।

इसलिए प्रभावों का मूल्यांकन प्रत्येक वित्तीय जोखिम श्रेणी के तत्वों के साथ-साथ इन श्रेणियों में भी किया जाना चाहिए।

10. जलवायु जोखिम प्रबंधन पर तीसरे वार्षिक वैश्विक सर्वेक्षण के निष्कर्ष

सर्वेक्षण के संक्षिप्त परिणाम इस प्रकार हैं:

इस वर्ष के सर्वेक्षण में भाग लेने वाली फर्मों की संख्या 71 (2020) से बढ़कर 78 हो गई, जिसमें **47 बैंक**; 20 परिसंपत्ति प्रबंधक; और 11 अन्य कंपनियाँ (बीमाकर्ता, वित्तीय बाज़ार अवसंरचना) शामिल हैं। ये कंपनियाँ दुनिया के सभी क्षेत्रों में जलवायु संबंधी जोखिमों का संचालन और आकलन करती हैं।

पिछले दो वर्षों में 91% कंपनियों में जलवायु जोखिम स्टाफिंग स्तर में वृद्धि हुई है, और लगभग 90% कंपनियों को अगले दो वर्षों में स्तर बढ़ने की उम्मीद है। जलवायु जोखिम टीमों के प्रमुख आधे से अधिक फर्मों में सीधे सी-सूट सदस्य को रिपोर्ट करते हैं, जो **इस जोखिम पर उच्च संगठनात्मक फोकस का संकेत देता है।**

जलवायु जोखिम पर पर्यवेक्षी गतिविधि में तेजी आई है। लगभग 80% कंपनियों की रिपोर्ट है कि उनके नियामकों ने जलवायु जोखिम प्रबंधन को उम्मीद के अनुरूप प्रकाशित किया है, और 50% से अधिक ने जलवायु जोखिम दबाव परीक्षणों की घोषणा की है। कई नियामक अन्य पर्यावरणीय जोखिमों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे जैव विविधता हानि या प्रदूषण।

कई कंपनियों (91%, पिछले वर्ष 84% से अधिक) ने **जलवायु संबंधी अवसरों की पहचान की है**। कंपनियां पिछले साल के सर्वेक्षण की तुलना में जलवायु-संबंधित जोखिम और अवसरों दोनों से अपनी रणनीतियों के लिए प्रभावी होने की उम्मीद कर रही हैं, अल्पावधि में अपेक्षित प्रभावों में विशेष रूप से स्पष्ट वृद्धि हुई है।

उत्पाद नवोन्मेष के बड़े हिस्से और कम कंपनियां उत्पादों की मांग में कमी को एक बड़ी चुनौती मानती हैं।

परिदृश्य विश्लेषण का उपयोग बढ़ रहा है यह और निरंतर प्रचलन में आ रहा है। लगभग 70% कंपनियां इसका उपयोग कर रही हैं, बढ़ती संख्या जोखिम मूल्यांकन के नियमित हिस्से के रूप में परिदृश्यों को नियोजित कर रही है और अधिकाधिक कंपनियां अपने मूल दबाव परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे/प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही हैं। परिदृश्य विश्लेषण का उपयोग करने वाली आधी से अधिक कंपनियों ने मूल्यांकन किया है और कार्य किया है लेकिन सबसे अधिक और सबसे कम विकसित कंपनियों के बीच एक बड़ा अंतर बना हुआ है। एक चौथाई कंपनियां अपने जलवायु जोखिम को बिल्कुल भी नहीं माप रही हैं, जबकि इतना ही प्रतिशत सभी मेट्रिक्स, लक्ष्यों और सीमाओं का उपयोग कर रहा है।

प्रतिपक्षों के जलवायु जोखिम का आकलन करने के लिए मात्रात्मक विश्लेषण के अधिक प्रयोग की ओर बदलाव आया है। इस वर्ष कम कंपनियां विशुद्ध रूप से गुणात्मक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग कर रही हैं।

प्राकृतिक जोखिम या पोर्टफोलियो संरक्षण की तुलना में अधिक कंपनियों में **संक्रमण जोखिम एक उच्च प्राथमिकता है** आधे से अधिक कंपनियों के बोर्ड ने इसके बारे में कागजात देखे हैं।

कंपनियां कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना कर रही हैं - अधिकांश कंपनियों के लिए विश्वसनीय मॉडल की उपलब्धता सबसे बड़ी चिंता का विषय है, इसके बाद नियामक अनिश्चितता है। अच्छी गुणवत्ता वाले मॉडल के बिना, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लगभग सभी फर्मों (94%) का मानना है कि जलवायु जोखिमों को बाजार की कीमतों में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है।

कंपनियां अल्पावधि में अपनी जलवायु जोखिम रणनीतियों के लचीलेपन को लेकर बहुत आश्वस्त हैं, लेकिन लंबी अवधि में नहीं। 77% कंपनियां सोचती हैं कि उनकी रणनीति अगले 1 से 5 वर्षों के लिए लचीली हैं, लेकिन जैसे-जैसे हम 15 साल और उससे आगे की ओर देखते हैं, यह यकीन धुंधला हो जाता है (22% तक गिर जाता है) हालाँकि, पिछले वर्ष के सर्वेक्षण से दीर्घकालिक तौर पर उम्मीद वास्तव में बढ़ी है।

11. निष्कर्ष:

बैंकों/वित्तीय संस्थानों में ईएसजी कारकों को समझना और शामिल करना लंबे समय तक वैकल्पिक रूप से नहीं रहेगा. स्तरीय विशेषज्ञता और प्राथमिक रूप से पहल करना टिकाऊ वित्त और टिकाऊ निवेश में प्रतिस्पर्धी लाभ की कुंजी हो सकती हैं.

वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता और जलवायु जोखिम उभरते हुए विषय हैं. ये बैंकों/वित्तीय संस्थानों के लिए अवसर और जोखिम दोनों लेकर आया है. विनियामक/पर्यवेक्षक ईएसजी कारकों के सुचारु एकीकरण के लिए व्यवसाय रणनीति, व्यवसाय प्रक्रियाएं, आंतरिक प्रशासन (व्यावसायिक वर्टिकल, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन, स्वतंत्र लेखापरीक्षा), नीतियां, क्रेडिट रेटिंग/आकलन, प्रकटीकरण ढांचा, डेटा प्रबंधन और बैंक की जोखिम संस्कृति जटिलताओं/मुद्दों इत्यादि के समाधान के लिए प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के मुख्य चरण में हैं.



साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी अनुपालन

- तपन कीर्तिकुमार बिलखिया

साइबर सुरक्षा के अंतर्गत एथिकल हैकर्स की एक बड़ी टीम होती है, जो आपका डेटा चोरी होने, डेटा डिलीट होने या आपके किसी भी डिवाइस को नुकसान होने से बचाते हैं, इसे इनफार्मेशन सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ का मुख्य काम होता है इंटरनेट पर साइबर हमलों को रोकना और सिस्टम डेटा को सुरक्षित रखना। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के अनुसार सॉफ्टवेयर बनाने वाली कम्पनी को भी साइबर सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटलीकरण के तहत फ्रंट-एंड और बैक-एंड दोनों ऑपरेशन अब डिजिटल हो गए हैं। इस बढ़ती हुई तकनीक के साथ, साइबर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और हमलावर सक्रिय रूप से बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियों के संवेदनशील डेटा पर दुर्भावनापूर्ण साइबर हमलों के लिए अपने पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं। इस नए डिजिटल कार्यबल ने अधिकांश बैंकिंग क्षेत्रों को ऑनलाइन जाने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल है। परिणामस्वरूप गोपनीयता के मुद्दे, फिशिंग हमलों, रैनसमवेयर खतरों बढ़ रहे हैं। चूंकि बैंकिंग क्षेत्र ऑनलाइन बैंकिंग पर निर्भर है, मोबाइल और वेब सेवाओं दोनों में कमजोर सुरक्षा प्रणाली होती है, जिसके कारण साइबर सुरक्षा खतरे अधिक प्रमुख होते जा रहे हैं। अधिकतर साइबर अपराधी ग्राहक और कर्मचारी जानकारी विवरण प्राप्त करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को लक्षित करना पसंद करते हैं और उनका उपयोग बैंक डेटा और धन चोरी करने के लिए करते हैं।

सुरक्षा और सूचना सुरक्षा शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। चूंकि वे दोनों कंप्यूटर सिस्टम को खतरों और सूचना उल्लंघनों से सुरक्षित करते हैं और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। अक्सर साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा इतनी बारीकी से जुड़ी हुई हैं कि वे समानार्थी लग सकते हैं और दुर्भाग्य से, उनका समानार्थक रूप से उपयोग किया जाता है। अगर हम डेटा सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो यह दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ताओं और खतरों से डेटा सुरक्षित करने के बारे में है। अब एक और सवाल यह है कि डेटा और सूचना में क्या अंतर है? तो एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि “हर एक डेटा सूचना नहीं हो सकता”। डेटा को सूचना कहा जा सकता है यदि किसी संदर्भ और अर्थ में

इसकी व्याख्या की जा सकती है. उदाहरण के लिए “100798” डेटा है और अगर हम जानते हैं कि यह किसी व्यक्ति की जन्म तिथि है तो यह जानकारी है क्योंकि इसका कुछ अर्थ है. तो सूचना का अर्थ है डेटा जिसका कुछ अर्थ है.

साइबर सुरक्षा के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं:

नेटवर्क सुरक्षा

आवेदन सुरक्षा

क्लाउड सुरक्षा

नाजुक आधारभूत संरचना

सूचना सुरक्षा के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं:

प्रक्रियात्मक नियंत्रण

अभिगम नियंत्रण

तकनीकी नियंत्रण

अनुपालन नियंत्रण

बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं. डिजिटल इंडिया ने कैशलेस लेनदेन, डिजिटल मनी के उपयोग में वृद्धि की है. इस संदर्भ में, डेटा और गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी सुरक्षा उपाय करना महत्वपूर्ण है. बैंकिंग क्षेत्र में डेटा उल्लंघन एक गंभीर समस्या है. एक कमजोर साइबर सुरक्षा प्रणाली अपने ग्राहक आधार को साइबर सुरक्षा खतरों से ग्रस्त कर सकती है. जब किसी बैंक के डेटा का उल्लंघन होता है, तो इस डेटा उल्लंघन से उबरने में समय लगता है और तनावपूर्ण हो सकता है. इसलिए बैंकिंग सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाना बहुत जरूरी है. मान लीजिए कि आपने अपना कार्ड खो दिया है, जिसके खिलाफ शिकायत दी गई है और कार्ड रद्द कर दी गई है, फिर भी आपका डेटा संवेदनशील है और बहुत सारी जानकारी प्रकट कर सकता है जो आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं और बहुत नुकसान पहुंचा सकती है. भारत में कई बड़े साइबर हमले हुए हैं. विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्र और भौगोलिक स्थान साइबर अपराधियों के लिए अपनी साइबर हमले तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए काफी अवसर प्रदान करते हैं. हाल के कुछ **साइबर सुरक्षा के खतरे** इस प्रकार हैं:

1. पुणे में कॉसमॉस बैंक साइबर हमला:

2018 में भारत में एक साइबर हमला कॉसमॉस बैंक में हुआ जब हैकर्स ने रु 94.42 करोड़ का नुकसान करवाया. हैकर्स ने बैंक के एटीएम सर्वर को हैक कर कार्ड के सारे विवरण ले लिए और सूचना मिलते ही तुरंत रकम निकाल ली.

2. एटीएम सिस्टम हैक हो गया:

केनरा बैंक के एटीएम सर्वर को 2018 के मध्य में लक्षित किया गया था. सूचना के अनुसार, हमलावरों ने 300 से ज्यादा यूजर्स के एटीएम विवरण हैक किए और विभिन्न बैंक खातों से 20 लाख रुपए का सफाया कर दिया. हैकर्स ने स्टिकमिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके जानकारी चुराई और 20 लाख रुपए तक की रकम चुरा ली.

3. यूआईडीएआई का आधार सॉफ्टवेयर हैक हो गया:

1.1 बिलियन भारतीय आधार कार्ड का विवरण लीक हो गया था और यह 2018 में हुए बड़े पैमाने पर डेटा उल्लंघनों में से एक है. यूआईडीएआई ने इस डेटा उल्लंघन के बारे में आधिकारिक अधिसूचना जारी की और उल्लेख किया कि भारत सरकार की लगभग 210 वेबसाइटों को हैक कर लिया गया था. आधार सॉफ्टवेयर हैक किया गया. इस डेटा उल्लंघन में आधार, पैन, बैंक खाता आईएफएससी कोड, और उपयोगकर्ताओं की अन्य व्यक्तिगत जानकारी और अज्ञात विक्रेता रुपये के लिए आधार जानकारी बेच रहे थे. इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड का प्रिंटआउट मात्र 300 रुपये में प्राप्त कर सकता है.

4. सिम स्वैप घोटाला:

नवी मुंबई के दो हैकरों ने धोखे से सिम कार्ड की जानकारी हासिल की और अगस्त 2018 में बैंक खातों से 4 करोड़ रुपये अवैध रूप से ट्रांसफर किया. उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए लेनदेन किया.

अगर साइबर खतरों के प्रकार की बात करें तो **साइबर खतरों के प्रकार** कुछ इस तरह से है.

1. **धोखाधड़ी रोधी उपायों का बायपास:** ऑनलाइन ट्रांजिशन में वृद्धि के साथ, अपराधी धोखाधड़ी रोधी सुरक्षा उपायों को हराने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, वे असली फिंगरप्रिंट को किसी और के पीसी से चुराते हैं और इनका दुरुपयोग करते हैं.
2. **एटीएम मैलवेयर:** यह मैलवेयर एटीएम को कैश आउट करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है.
3. **खाता-केंद्रित धोखाधड़ी:** यह धोखाधड़ी के सामान्य प्रकारों में से एक है, यह धोखाधड़ी मुख्य रूप से खाता संख्या, पासवर्ड, ओटीपी, आदि जैसे संवेदनशील विवरणों को चुराने और हैक करने पर केंद्रित है.

4. **फ़िशिंग:** इस धोखाधड़ी में एक लिंक साझा किया जाता है, जिससे मैलवेयर की स्थापना होती है जो सिस्टम को फ्रीज कर देती है। फ़िशिंग का उपयोग अक्सर उपयोगकर्ता का डेटा चोरी करने के लिए किया जाता है, जिसमें लॉगिन क्रिडेंशियल आदि शामिल हैं।
5. **पहचान की चोरी:** जब कोई डेटा उल्लंघन होता है, तो ग्राहकों के डेटा को साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग करने के लिए बेच दिया जाता है ताकि क्रेडिट जानकारी प्राप्त करने के लिए उनकी सहमति के बिना पैसे उधार लेने और खरीद उल्लंघन करने के लिए उपयोग किया जा सके।
6. **कर्मचारियों से खतरा:** नाखुश या असंतुष्ट कर्मचारी कंपनी की नीतियों का उल्लंघन करके और संगठनों के लिए सुरक्षा खतरे पैदा करके बड़े पैमाने पर जोखिम में योगदान करते हैं।
7. **रैनसमवेयर:** ये रैनसमवेयर हमले मुख्य रूप से छोटे बैंकों को प्रभावित करेंगे क्योंकि उनके पास आईटी संसाधनों, पुरानी सुरक्षा तकनीक और साइबर सुरक्षा पर प्रोटोकॉल की कमी है। इस रैनसमवेयर से बचाव के लिए, बैंकों को अपने पूरे नेटवर्क में सुरक्षा परतों को अपनाना चाहिए जो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हमलों को रोकने में एक बाधा के रूप में कार्य करने में मदद करता है।

बैंक में साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी अनुपालन के **खतरों को कम करने** के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, जो कुछ इस तरह से हैं

- **क्लाउड सुरक्षा का आकलन करें:** अपने क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर की अक्सर समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आधुनिक है। अपनी क्लाउड सुरक्षा की वर्तमान स्थिति, सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुपालन मानकों का आकलन करें। क्लाउड प्लेटफॉर्म और इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने के लिए मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **क्लाउड सुरक्षा की निगरानी करें:** खतरे का पता लगाने और संभावित खतरों से सुरक्षा के लिए कोई भी समस्या उत्पन्न होने से पहले एक भेद्यता प्रबंधन उपकरण का उपयोग किया जा सकता है।
- **सख्त पहुंच प्रबंधन नीतियां स्थापित करें:** अंशकालिक श्रमिकों, ठेकेदारों आदि तक पहुंच प्रदान करने के बजाय, उन कर्मचारियों तक अपनी पहुंच को प्रतिबंधित करें, जिन्हें वास्तव में इस जानकारी की आवश्यकता है। उन कर्मचारियों को अनुमति प्रदान करके, जिन्हें इसकी आवश्यकता है, सुरक्षा के लिए सख्त पहुंच प्रबंधन नीतियां स्थापित होती हैं।

- **कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाना:** बैंकों को साइबर हमलों से निपटने हेतु अपने कर्मचारियों को तैयार करने के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाने की आवश्यकता है।
- **आपातकाल पुनर्प्राप्ति योजना:** डेटा की सुरक्षा के लिए एक वैकल्पिक योजना होने से, व्यवधान के बाद डाउनटाइम को कम करने और डेटा हानि से बचने में सहायक होती है। यह तभी लागू किया जा सकता है जब नियमित रूप से डेटा का बैकअप लिया जाता है।
- **डेटा एन्क्रिप्ट करना:** क्रिप्टोग्राफी डेटा को एन्क्रिप्ट करने के तरीकों में से एक है और यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील डिजिटल संपत्ति हमेशा सुरक्षित रहे।
- **साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण:** साइबर सुरक्षा पेशेवरों के लिए डेटा सुरक्षा के सभी पहलुओं को कवर करके और उन्हें अद्यतन रखते हुए अपनी साइबर-जागरूकता की प्रासंगिक जानकारी और परीक्षणों में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण आवश्यक है।

आरबीआई और सरकार साइबर हमलों से लड़ने के लिए सक्रिय कदम उठा रही हैं। क्रिप्टोकॉर्सेसी और ब्लॉकचेन जैसी नई प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियां भी विकसित हो रही हैं। ये पद्धतियां धीरे-धीरे नुकसान की भरपाई के बजाय वास्तविक समय में उभरते हमलों का पता लगाने के इरादे से डिजाइन आर्किटेक्चर के एक हिस्से के रूप में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता को बढ़ाती हैं। आज के समय में भारत के हर कोने में इंटरनेट की पहुँच है। जितनी ज्यादा कंप्यूटर और फ़ोन पर निर्भरता बढ़ेगी, साइबर क्राइम उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। इससे साइबर एक्सपर्ट की मांग भी बढ़ेगी।



ग्राहक सेवा में अनुपालन

- डॉ. विजय कुमार पाण्डेय

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्राहक सेवाओं की चर्चा हर क्षेत्र में होने लगी है. किसी भी सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिए ग्राहक सेवा का महत्व काफी बढ़ गया है. ग्राहक सेवा किसी सामान/उत्पाद को खरीदने के बाद उसके उपयोग करने या उससे जुड़ी किसी भी परेशानी हेतु सहायता करने अथवा उस उत्पाद को सकारात्मकता के साथ ग्राहकों के बीच सुलभ बनाने एवं ग्राहकों के संतुष्ट होने तक उसे सेवा प्रदान करने को ही कहा जाता है. इसमें कोई भी व्यक्ति जो उस सामान को खरीदना चाहता है या खरीद चुका होता है, वह इस सेवा का उपयोग कर सामान से जुड़ी कोई शंका या उससे जुड़ी समस्या बता कर सहायता प्राप्त कर सकता है. इसके अलावा इसमें वे संगठन भी आते हैं, जो अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं या ग्राहक द्वारा उत्पाद की प्रतिक्रिया लेते हैं. यह भी सेवा क्षेत्र में आता है.

यहां हम आपको इतिहास की पृष्ठभूमि में ले जाना चाहेंगे तथा विशालकाय डायनासोर के बारे में चर्चा करना चाहेंगे. यह विशालकाय जीव आज दुनिया से लुप्त हो गया है. कहा जाता है कि जो “सर्वावाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट” के सिद्धान्त के अनुसार बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा न पाए तो उसका बचे रह पाना कठिन ही नहीं वरन् असंभव हो जाता है. वहीं कॉकरोच अपनी लघु काया के बावजूद अपनी इच्छाशक्ति को बलवती करते हुए अपने अस्तित्व को कायम रखे हुए है. अतएव परिवर्तनशील संसार के हर मर्म को समझना होगा. परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के चक्र में अपने आप को ढालना होगा. बैंक के संबंध में भी यही संदर्भ लागू होता है. परिवर्तनशील बैंकिंग संदर्भ में जो इसकी जड़ें हैं वह है ग्राहक सेवा. जो ग्राहक पूरी तरह बैंकिंग सेवा से संतुष्ट है वही बैंक की जड़ हैं. अतः हमें अपनी संस्था की ग्राहक सेवाओं को दुरुस्त रखते हुए संतुष्ट ग्राहकों का एक बहुत बड़ा समूह बनाना होगा ताकि बैंक से बड़ी संख्या में ग्राहक जुड़कर लाभप्रदता को निरंतर गति प्रदान करते रहें.

बदलते बैंकिंग परिदृश्य में किसी भी बैंक की लाभप्रदता उसकी ग्राहक सेवाओं पर ही निर्भर करती है. यह स्टाफ सदस्यों का ग्राहकों के प्रति रवैया, व्यवहार तथा समयानुसार शिकायत निस्तारण के लिए काफी महत्वपूर्ण है. यदि कोई भी बैंक अपनी छवि को उत्कृष्ट बनाना चाहता है तो वह उसकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवाओं पर ही निर्भर करता है. वर्तमान में यदि देखें तो ग्राहकों की अपेक्षाएं असीमित तथा अनंत हैं. ऐसी परिस्थिति में उनके अनुरूप अपने

को ढालना सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के आने से प्रतिस्पर्धा और भी अधिक हो गई है। अतः बैंकों के लिए ग्राहक सेवा केवल औपचारिकता नहीं होते हुए अब अनिवार्य विषय बन गया है। ग्राहकों को प्रसन्न रखना अब बैंकों की जिम्मेदारी भी हो गई है।

प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री “टैडलेविट” ने ठीक ही कहा है कि किसी भी कारोबार को बनाए रखने के लिए नए ग्राहकों को पाना तथा पुराने ग्राहकों को बनाए रखना आवश्यक है। ग्राहक तो बस एक बिंदु है जिसके आस-पास पूरी बैंकिंग सेवाएं घूमती रहती है। आज जिन ग्राहक सेवाओं को उत्कृष्ट माना जा रहा है कल वह पुरानी हो जाती है तथा ग्राहक नए मापदंड के अनुसार उच्चतर ग्राहक सेवाओं की अपेक्षा करने लगते हैं। अतः बैंकों का यह प्रयास होना चाहिए कि वे सर्वे एवं शोध के आधार पर ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझें एवं तदनुसार नीतियां बनाकर अपनी ग्राहक सेवा को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास करें।

हम देखते हैं कि जब ग्राहक बैंक के पास सेवा लेने के लिए पहुंचता है तो उसके बदले में वह बैंक को सेवा प्रभार, कमीशन, विनिमय तथा ब्याज दर देता है जिसके आधार पर बैंक की लाभप्रदता स्थापित होती है। ग्राहक सेवा का अर्थ यह भी होता है कि हम ग्राहकों के साथ कैसे पेश आते हैं तथा ग्राहकों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होता है। यह बहुत ही संवेदनशील विषय है जो बैंकों की साख को प्रभावित करता है। शाखा में संतुष्ट ग्राहक ही बैंक की पूंजी होते हैं तथा वह बिना किसी व्यय के विज्ञापन होते हैं जो बैंकों की साख को व्यापकता से बाजार में गतिशील करते हैं।

आज उपभोक्ता अधिक ज्ञानवान तथा जानकार हैं। वह अपने अधिकार को समझते हैं तथा अपने द्वारा व्यय किए जाने वाले सेवा प्रभार के बदले उत्कृष्ट सेवा की उम्मीद भी रखते हैं। वह बैंकिंग के नवीन उत्पादों की जानकारी रखता है और त्वरित सेवा, उत्कृष्ट सेवा, व्यक्तिगत ध्यान तथा वैयक्तिक उत्पादों की अपेक्षा रखता है। अतः बैंकों को इस पैरामीटर को समझते हुए अपने उत्पादों तथा ग्राहक सेवाओं में गुणात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ताकि वह अपने ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान कर सके।

ऐसा देखा जा रहा है कि ग्राहक सेवा हेतु महत्वपूर्ण गुण तीन “पी” से परिभाषित होते हैं। वह है व्यावसायिकता, धैर्य और “लोगों को पहले” रखा जाना। तथापि ग्राहक सेवा विभिन्न ग्राहकों में भिन्न होती है परंतु यदि उक्त सूत्र को ध्यान में रखा जाए तो ग्राहक सेवाओं को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। बेहतर ग्राहक सेवा से ग्राहक के संस्था के प्रति लगाव एवं जुड़ाव बढ़ता है और स्टाफ सदस्यों का काम आसान होता है। यह बदले में व्यवसाय विकास में मदद करती है। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करके संगठन ग्राहक आधार बढ़ा सकते हैं, और बनाए रख पाएंगे, अधिग्रहण लागतों की पूर्ति कर सकते हैं, और ब्रांड के प्रति ग्राहकों के विश्वास को बढ़ावा दे सकते हैं। ग्राहकों को किसी भी कंपनी/संस्था से कुछ अपेक्षाएं होती हैं

जोकि वह समयानुसार प्राप्त करना चाहते हैं. उन अपेक्षाओं का विश्लेषण निम्नानुसार है:

1. ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार

जब कोई ग्राहक किसी कंपनी/ब्रांड के उत्पाद के बारे में बातचीत करते हैं, तो उनके पास आमतौर पर एक प्रश्न होता है जिसका वे उत्तर चाहते हैं या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं.कोई ग्राहक संतुष्ट या निराश होता है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक सेवा प्रतिनिधि/कंपनी कितनी जल्दी और अच्छी तरह से उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं. एक सकारात्मक अनुभव के परिणामस्वरूप ही ग्राहक संतुष्ट हो पाते हैं.दूसरी ओर, एक निम्न-गुणवत्ता वाली ग्राहक सेवा के अनुभव से ग्राहक कंपनी के उत्पाद से दूर होने लगते हैं.

ख. एक विवाद विहिन अनुभव

ग्राहक चाहते हैं कि उनके सामने आने वाली समस्याओं को शीघ्रता से हल किया जाए. अधिकांश ग्राहकों के लिए संकल्प सहित उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्राप्त करना प्राथमिकता होती है. साधारणतया ग्राहक सेवा प्रदाता कंपनियों के स्टाफ सदस्यों से बात करना चाहते हैं जो उनकी समस्याओं को समझे तथा उसका हल बताए. प्रत्येक ग्राहक एक विवाद विहिन समाधान प्राप्त करना चाहते हैं जिसके कारण उनका उत्पाद प्रदाता कंपनी से जुड़ाव बना रहे.

ग. उत्कृष्ट ग्राहक सेवाओं के परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि

जब कोई सेवा प्रदाता शानदार ग्राहक सेवा प्रदान करते हैं अथवा ग्राहकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सेवा प्रदाता कंपनी एवं ग्राहकों के बीच प्रगाढ़ विश्वास स्थापित हुआ है.

यदि ग्राहक सेवा एजेंटों के माध्यम से दी जा रही है तो एजेंटों की समस्याओं को तेजी से हल करने का तरीका देना महत्वपूर्ण है क्योंकि कई ग्राहक एजेंट भारी वर्कलोड की शिकायत करते हैं.चाहे वह उपभोक्ता जानकारी का डेटाबेस बनाए रखना हो या समस्याओं का निवारण करना हो, ग्राहक सेवा पेशेवरों को लगता है कि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है और ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है.

एक महान ग्राहक सेवा अनुभव अचानक नहीं होता है.इसके लिए सही वातावरण, कौशल और उपकरणों की आवश्यकता होती है.

ग्राहक द्वारा सामना की गई समस्या को समझने की कोशिश में एजेंट अक्सर काफी समय लगा देते हैं.यहां तक कि जब वे समस्या का पता लगा सकते हैं, तब भी ग्राहक को अगले चरण के बारे में बताना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.ग्राहक सेवा सॉफ्टवेयर जैसे ग्राहकों को

सह-ब्राउज़र के माध्यम से अपने खातों को साझा करने देता है, जिससे एजेंट के लिए ग्राहकों की समस्याओं को हल करना आसान और तेज़ हो जाता है।

ग्राहक सेवाओं के अनुपालन के संबंध में विभिन्न संस्थानों तथा विनियामक संस्थाओं द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है जिसके आधार पर विभिन्न संस्थाएं/सेवा प्रदाता यह वचन देते हैं कि उनके द्वारा ग्राहकों को उच्च दर्जे की ग्राहक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बैंकिंग सेवाओं के क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुपालन हेतु निर्देश जारी किए जाते हैं तथा उसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाता है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर श्री एस.एस. मूंदड़ा, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक भी रह चुके हैं, का आलेख “बैंकों में ग्राहक सेवा : मानक ऊंचे करने का समय” के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था में ग्राहक सेवाओं को उच्च दर्जे का बनाने हेतु लेख प्रस्तुत किया गया था। सदस्य बैंकों द्वारा इन संहिताओं के अनुपालन की निगरानी करना बी.सी.एस. बी.आई. के अनिवार्य कार्यों में से एक है और इसे पूरा करने के लिए बी.सी.एस.बी.आई. के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा कुछ प्रतिनिधि शाखाओं का दौरा किया जाता है। इस प्रकार बी.सी.एस.बी.आई. इन बैंकों की मदद उन परिपाटियों के अनुपालन पर स्वतंत्र समीक्षा और फीडबैक देकर करता है, जो परिपाटियां बैंकों ने स्वयं के लिए निर्धारित की हैं। सन् 2013 से ही बी.सी.एस.बी.आई. द्वारा शाखाओं के दौरों और ग्राहकों के फीडबैक से मिले इनपुट के आधार पर संहिता अनुपालन के संबंध में बैंकों की रेटिंग की जाती रही है। इस रेटिंग में इन संहिताओं के खास प्रावधानों को लागू करने के स्तर को बताया जाता है, जो बैंकों में ग्राहक के साथ प्रथम सम्पर्क स्थल पर होता है। अब इन रेटिंग को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का मंतव्य है ताकि पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके एवं जनता को जागरूक किया जा सके तथा सदस्य बैंकों के बीच ग्राहक सेवा के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने हेतु स्पर्धा की भावना पैदा की जा सके।

ग्राहक सेवा के लिए न्यूनतम मानकों की रूपरेखा तय कर देने के बावजूद यह पाया गया है कि बैंकिंगलोकपाल कार्यालयों (बी.ओ.) में प्राप्त हो रही शिकायतों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। सन् 1995 में बैंकिंग लोकपाल की स्थापना के बाद से देखें तो विगत वर्षों में ऐसा देखने को मिला है कि बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या कई गुणा बढ़ गई है।

ग्राहक सेवाओं से यह भी तात्पर्य है कि जिन वस्तुओं/सेवाओं का किसी संस्था/कंपनी द्वारा विक्रय किया जाता है वे गुणवत्तापूर्ण हैं तथा समयानुसार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित खामियों को रेखांकित किया जा सकता है।

1. यदि किसी उत्पाद में कोई खराबी होती है, तो कंपनी उसके पैसे वापस कर देती है या वस्तु को स्थानापन्न कर दिया जाता है जिससे वह अगली बार भी वहाँ से उत्पाद खरीदे।

2. हमेशा सकारात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है।
3. ग्राहकों के लिए हमेशा उचित वस्तु का चयन किया जाता है।

ग्राहक संरक्षण और ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु नीति-निरूपण के क्षेत्र में वर्तमान परिदृश्य में तीन अहम गतिविधियों का आगाज हुआ है -

- क. प्रौद्योगिकी को अपनाने से बढ़ती हुई चुनौतियाँ और वास्तविकताएँ;
- ख. वित्तीय समावेशन प्रयासों के कारण औपचारिक बैंकिंग संरचना में नए ग्राहकों का आगमन
- ग. भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों जैसी नवीन संस्थाओं का प्रादुर्भाव.

इन परिस्थितियों में ऐसी संरचना तैयार करना अपरिहार्य है ताकि ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके तथा अपने प्रयासों से बेहतर ग्राहक सेवाओं का मापदंड स्थापित कर उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सके.

वर्ष 2005 में गूका एवं रेगो द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार यह स्पष्ट परिभाषित किया गया है कि संतुष्ट ग्राहक ही संस्थानों के उत्पादों का क्रय करके संस्थान को लाभप्रदता प्रदान करने में मदद करते हैं. इस शोध के अनुसार ग्राहक संतुष्टि का सीधा असर उसके लाभ अर्जन एवं साख पर पड़ता है. ग्राहकों को प्राप्त उत्कृष्ट ग्राहक सेवा ग्राहकों को उनके नए उत्पादों को क्रय करने हेतु प्रेरित करती है तथा संस्थान की लाभप्रदता को प्रभावित करती है.

एल. राइज एवं जैक ट्राउट ने अपनी पुस्तक “मार्केटिंग वारफेयर” में लिखा है कि “किसी भी संस्थान को कभी भी शीशे से बने महलो में रहते हुए रणनीति नहीं बनानी चाहिए.” वही रणनीति कारगर होती है जो बाजारों में ग्राहकों के निकट रहकर बनाई जाती है. आज किसी भी संस्था की सफलता का रहस्य है - ग्राहकों के निकट रहकर उनकी पसंद को समझना एवं जानना तथा उसी के अनुसार उन्हें ग्राहक सेवाएं प्रदान करना एवं संतुष्ट करना.

समस्त ग्राहक सेवा प्रदाता कंपनियां/संस्थाएं अपने ग्राहकों के लिए समय-समय पर ग्राहक अधिकार नीतियों के आलोक में अपनी ग्राहक सेवाएं नीति भी जारी करते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान करना है. वर्तमान वित्तीय समावेशन के दौर में ग्राहक सेवा इसका एक अभिन्न पहलू हो गया है. ग्राहकों की सुरक्षा बेहतर करने वाले देश विभिन्न ग्राहक अधिकार नीति जारी कर उनके अधिकारों को आवश्यक बनाने हेतु पहल करते हैं.

किसी भी संस्था को अधिक से अधिक समय तक जमीन से जुड़े रहने के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने ग्राहकों की समस्याओं को समझें तथा उनकी शिकायतों का तुरंत निस्तारण सुनिश्चित करें. इससे न केवल संस्थान लाभान्वित होगा बल्कि उसके पास संतुष्ट ग्राहकों की संख्या भी अधिक से अधिक होगी. ग्राहकों को संतुष्ट रखने के लिए हमें हर कदम पर आवश्यक प्रयास करने चाहिए तथा ग्राहकों के लिए बनाए गए मापदंड का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए. जो ग्राहक किसी कारण से असंतुष्ट हों तो उन्हें संतुष्ट कर, उनकी शिकायतों का निस्तारण कर हमें उन्हें जोड़े रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए. इसके लिए ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों पर गौर करते हुए उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए. शिकायत दूर करने के पश्चात उन्हें एक धन्यवाद पत्र भी जारी किया जाना चाहिए ताकि उनका बैंक पर विश्वास बना रहे.

ग्राहकों के साथ भावनात्मक रिश्ता भी होना आवश्यक है. इसके लिए उन्हें समय-समय पर शुभकामनाएं भेजना चाहिए तथा समय पर ऋण चुकाने वाले ग्राहकों को बैठक के दौरान प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. इस तरह से अपनेपन के भाव से यदि ग्राहक सेवाएं प्रदान की जाए तो बैंक की छवि भी सकारात्मक होगी तथा यह ग्राहकों में ठोस आधार बनाने में भी सफल होगी. अतः ग्राहक सेवाओं के ससमय अनुपालन से न केवल संस्था की छवि निखरेगी बल्कि संस्था के साख में भी दृढ़ता आएगी. तो क्यों न ग्राहक सेवाओं का सुदृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अपने मातृ संगठन के लिए आधार तैयार किया जाए.



राजकोष एवं विदेशी विनियमन में अनुपालन

- प्रेमा पाल

किसी राज्य के पास मौजूद सम्पूर्ण आर्थिक संसाधन ही राजकोष कहलाता है। अधिकांश देशों में जो विभाग इन संसाधनों का प्रबन्धन करता है, उसे भी ट्रेजरी कहा जाता है। यह प्रायः वित्त मंत्रालय से जुड़ा होता है। परंपरागत रूप से, ट्रेजरी का कार्य धन प्रबंधन तक सीमित था परंतु दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी शेष बनाए रखने, संचालन में उत्पन्न अधिशेष धन की तैनाती और नकदी प्रवाह में सामयिक अंतरालों को पाटने के लिए धन की सोर्सिंग करना भी इसकी कार्य सूची में शामिल होते गए।

बैंक के संदर्भ में ट्रेजरी आरक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी जिम्मेदार है, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद रिज़र्व अनुपात (सीआरआर) के अनुसार न्यूनतम नकद शेष राशि और अनुमोदित प्रतिभूतियों में धन का निवेश संवैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के तहत आवश्यक सीमा तक बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है। इस प्रकार ट्रेजरी का कार्य अनिवार्य रूप से तरलता प्रबंधन और संगठनात्मक दृष्टिकोण से माना जाता है। तरलता प्रबंधन ट्रेजरी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तथापि, पिछले एक दशक में आर्थिक सुधारों और बाजारों के पतन के कारण, ट्रेजरी के दायरे में काफी विस्तार हुआ है और ट्रेजरी तब से एक लाभ केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें स्वयं की ट्रेडिंग और निवेश गतिविधि शामिल है।

जब कोई व्यापारिक उद्यम अन्य देशों से वस्तुओं का आयात करता है, उन्हें अपने उत्पाद निर्यात करता है अथवा विदेशों में निवेश करता है तो वह विदेशी मुद्रा का लेन देन करता है। विदेशी विनियमन का अर्थ है विदेशी मुद्रा तथा इसमें किसी विदेशी मुद्रा में संदेय जमा राशियां, ड्राफ्ट हंडिया, यात्री चैक, ऋणपत्र विनियमन हंडियां इत्यादि शामिल हैं, जो भारतीय मुद्रा में व्यक्त या आहरित हो किन्तु किसी विदेशी मुद्रा में देय हो; यथा ड्राफ्ट, यात्री चैक, ऋण पत्र या विनियमन हंडियां जो भारत से बाहर बैंकों, संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा आहरित हो किन्तु भारतीय मुद्रा में देय हों।

भारत में सभी लेन देन, जिनमें विदेशी मुद्रा शामिल हैं, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 द्वारा विनियमित किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का मुख्य

उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग करना है। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा देश के बाहर तथा भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा व्यापार के संचालन के कुछ पहलुओं को नियंत्रित करना भी है।

आर्थिक सुधारों तथा उदारीकृत परिदृश्य में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसका नाम है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999.

वर्ष 1999 में, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का नाम बदल कर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) रखा गया।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम सितंबर 1973 में अधिनियमित किया गया था और यह 1 जनवरी 1974 से लागू हुआ था। इसे विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अधिनियम 1993 द्वारा संशोधित किया गया था और बाद में वर्ष 2000 में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम भारतवर्ष के समस्त नागरिकों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य विदेशी भुगतान को विनियमित करने, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों में लेनदेन को विनियमित करने और राष्ट्र के लिए विदेशी मुद्रा संरक्षण करना है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- ✓ भारतीय रिज़र्व बैंक किसी व्यक्ति/कंपनी को विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
- ✓ भारतीय रिज़र्व बैंक डीलरों को विदेशी मुद्राओं का लेन-देन करने के लिए अधिकृत कर सकता है, समीक्षा के अधीन और आरबीआई को गैर-अनुपालन के मामले में प्राधिकरण को रद्द करने की शक्ति दी गई है।
- ✓ भारतीय रिज़र्व बैंक उन व्यक्तियों को मनी चेंजर के रूप में अधिकृत करेगा जो किसी राष्ट्र की मुद्रा को अपने देश की मुद्रा में “आरबीआई द्वारा निर्धारित” दरों पर परिवर्तित करेंगे।
- ✓ “अधिकृत डीलर” के अलावा कोई भी व्यक्ति विदेशी मुद्रा के किसी भी लेनदेन में प्रवेश नहीं करेगा।
- ✓ जिस भी उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, उसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना है। यदि उसे लगता है कि वह उस विशेष उद्देश्य की मुद्रा का उपयोग नहीं कर सकता है, तो वह इसे 30 दिनों के भीतर अधिकृत डीलर को बेच सकेगा।

- ✓ भारत में कोई भी व्यक्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना, भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को भुगतान नहीं करेगा और भारत के बाहर के किसी व्यक्ति से कोई भुगतान प्राप्त नहीं करेगा.
- ✓ कोई भी व्यक्ति विनियम के किसी भी बिल को जारी नहीं करेगा जिसमें भारत के बाहर भुगतान प्राप्त करने का अधिकार बनाया गया है.
- ✓ कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति के खाते में कोई क्रेडिट नहीं करेगा.
- ✓ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति भारत से विदेशी मुद्रा नहीं भेजेगा.
- ✓ एक व्यक्ति जिसे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का अधिकार है, उसे विदेशी मुद्राकी प्राप्ति में देरी नहीं करनी होगी.

संक्षेप में, फेरा में “कुछ भी और सब कुछ” जो विदेशी मुद्रा से संबंधित है, को विनियमित किया गया था. विशेषज्ञों ने इसे “कठोर अधिनियम” कहा, जिसने भारतीय उद्योगों के विकास और आधुनिकीकरण में बाधा उत्पन्न की. फेरा के विपरीत फेमा का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, जबकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का महत्वपूर्ण पहलू दुरुपयोग से बचाना है.

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था और इसमें विदेशी मुद्रा लेनदेन पर नियम थे. चूंकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बाधाएं पैदा कर रहे थे, इसलिए इस अधिनियम को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की सख्त नीतियों को 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम पारित करके बदल दिया गया था. तथापि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के कुछ प्रावधान 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी मौजूद हैं.

इस लेख के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के बीच प्रमुख अंतरों पर चर्चा करेंगे, जो विदेशी मुद्रा लेनदेन पर नियम और प्रतिबंध लगाते हैं.

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम क्या है

1973 का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम उन कानूनों से संबंधित है जो भारत में विदेशी मुद्रा और निवेश के प्रबंधन के लिए तैयार किए गए थे. स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगीकरण में जबरदस्त वृद्धि हुई और इससे विदेशी निवेश में वृद्धि हुई. इसे प्रबंधित करने के लिए, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था.

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं -

- विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों में लेनदेन को विनियमित करना
- मुद्राओं और सर्राफाओं के आयात और निर्यात को विनियमित करना
- विदेशी नागरिकों के रोजगार को विनियमित करना
- देश के अनिवासियों द्वारा भारत में अचल संपत्तियों के अधिग्रहण और धारण को विनियमित करना
- अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा को प्रभावित करने वाले लेनदेन को विनियमित करना

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम क्या है?

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम से बदलने का प्रस्ताव वर्ष 1997-98 के बजट में प्रस्तुत किया गया था और यह दिनांक 1 जून, 2001 को लागू हुआ। भारत में विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित नियमों और विनियमों को सरल बनाया गया था और देश में बेहतर विदेशी नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत उदारीकरण किया गया। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं -

- ✓ भारत के बाहर स्थित किसी भी विदेशी प्रतिभूतियों या अचल संपत्ति को रखने या स्थानांतरित करने के लिए देश के निवासियों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी। इसी तरह, एक व्यक्ति जो भारत से बाहर रहता है, वह भारत में रहने के दौरान उसके स्वामित्व वाले शेयरों, प्रतिभूतियों और संपत्तियों को धारित करने का भी अधिकार रख सकता है।
- ✓ एनआरआई खातों के सापेक्ष ओवरड्राफ्ट की सीमा 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई।

बैंकों को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने और ग्राहकों, निवेशकों तथा विनियामकों का विश्वास जीतने के लिए एक अच्छी अनुपालन संस्कृति को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। खराब आचरण और भरोसा टूटने से होने वाली हानि से बचने के लिए बैंकों में ऐसी संस्कृति का होना महत्वपूर्ण है।

राजकोष एवं विदेशी विनिमयन हेतु सर्वोत्कृष्ट अनुपालन संस्कृति कई प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं :

- ❖ संगठन और व्यक्तिगत स्तर पर जोखिम को घटाने में
- ❖ प्रतिष्ठा जोखिम कम करने में
- ❖ नौकरी करते समय कर्मचारियों में झिझक को कम कर उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने में

- ❖ प्रतिभा को आकर्षित करने और उन्हें संगठन में बनाए रखने में तथा कर्मचारियों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने व पारदर्शिता बढ़ाने में जिससे बेहतर निर्णय लेने की क्षमता आ सके
- ❖ विनियामकों और अन्य हितधारकों के साथ संबंध बेहतर बनाने में
- ❖ निवेशकों के बीच हैसियत बढ़ाने में

विदेशी विनिमयन के अन्तर्गत वे सभी संस्थाएं जो विदेशी भुगतान करती हैं और वह दर जिस पर विदेशी भुगतान किए जाते हैं, सम्मिलित होती हैं।

विदेशी विनिमयन के संबंध में विचार करने से पहले 'विनिमयन' शब्द का अर्थ जान लेना आवश्यक है। विनिमयन का साधारण अर्थ यह है कि किसी एक वस्तु के बदले आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ प्राप्त करना। वस्तुओं के क्रय विक्रय अथवा अदल बदल को भी विनिमयन कहते हैं। विदेशी विनिमयन में भिन्न देशों के लेनदेन का पारस्परिक विनिमयन होता है। इसमें विनिमयन की दर के विवेचन के अतिरिक्त उस सब लेनदेन का विवेचन भी शामिल है जिसके द्वारा एक देश अन्य देशों का देनदार और लेनदार बन जाता है। विदेशी विनिमयन में इस बात पर भी विचार किया जाता है कि उस लेन देन का किस प्रकार भुगतान किया जाता है और उसकी विषमता का विनिमयन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

हमें यह विचार करना है कि कोई देश अन्य देश का किन कारणों से देनदार और लेनदार हो जाता है। जितनी वस्तुएँ बाहर से किसी देश में आती हैं उतना वह देश अन्य देशों का देनदार हो जाता है और जितनी वस्तुएँ वह बाहर अन्य देशों को भेजता है उतनी राशि का वह लेनदार हो जाता है। विदेशी जहाजों पर माल का आयात होने से जहाजों के भाड़े के लिए भी वह अन्य देशों का देनदार हो जाता है। इसी प्रकार अपने जहाज पर माल बाहर भेजने के कारण वह अन्य देशों का लेनदार भी हो जाता है। देश की सरकार या व्यक्ति यदि अन्य देश के ऋणपत्र एवं शेयर आदि खरीदता है तो देश अन्य देशों का लेनदार हो जाता है। इसके अतिरिक्त विदेशियों से कर्ज लेने के समय भी अन्य देशों का देनदार हो जाता है। देश में कार्य करने वाले विदेशियों की बचत और मुनाफे के कारण भी देश अन्य देशों का देनदार हो जाता है। जब देश किसी कारण से अन्य देशों को विशेष "कर" देने के लिए बाध्य होता है तो वह इस रकम के लिए अन्य देश का देनदार हो जाता है।

विदेशी विनिमयन का क्षेत्र जिस प्रकार विकसित हो रहा है, ऐसे में अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए जुमाने और दंड का भय पर्याप्त नहीं है। लेकिन जिस वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में नियंत्रण के अंतर्निहित उपाय मौजूद होते हैं, उसमें अनुपालन दैनिक क्रियाकलाप का हिस्सा बन जाता है जिससे संगठन की दक्षता बढ़ जाती है। इसके अलावा, एक सक्षम अभिशासन में अनुपालन, निष्ठा, विश्वास और कानून के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों के विकास

के लिए अनुकूल वातावरण बनता है और ये उस संस्था की कार्य संस्कृति का अंग बन जाते हैं. इसका परिणाम यह होता है कि बैंक अपने पूरे संगठन को जिम्मेदारी के साथ काम करने हेतु सशक्त बना पाता है और निरंतर विकसित होते विनियमन और कारोबारी चुनौतियों से पार पाने के लिए आवश्यक लचीलापन भी संगठन में बना रहता है.

वित्तीय संस्था में यदि ग्राहक की संतुष्टि चाहिए, तो हमें अनुपालन की संस्कृति को अपनाना होगा क्योंकि ग्राहक संतुष्टि ही इक्विटी पर प्रतिलाभ का मार्ग प्रशस्त करती है.



अनुपालन परीक्षण का महत्व

- ज्योति रंजन निधि

अनुपालन क्या है

सामान्य तौर पर, अनुपालन का अर्थ है नियम के अनुरूप होना, जैसे कि दिशा-निर्देश, नीति, मानक कानून, या समझौता. अनुपालन आदेश या कानूनों के अनुसार/अनुरूप कार्य करना है. यह आमतौर पर लिखित नियमों और विनियमों या मौखिक आदेशों के संदर्भ में उपयोग किया जाता है.

अनुपालन को पारंपरिक रूप से प्रतिरोध सिद्धांत के संदर्भ में समझाया गया है, जिसके अनुसार किसी व्यवहार को दंडित करने से गलत करने वाले और दूसरों द्वारा उल्लंघन दोनों में कमी आएगी.

हमारे बैंकिंग क्षेत्र में भी हर काम करने की निश्चित नियमावली बनी हुई है. बैंक और उससे जुड़े सभी लोग इस नियमावली और दिशानिर्देशों का पालन करें, यही अनुपालन है.

इसके लिए सभी संस्थाओं, निगमों, संगठनों, अपने बैंकिंग क्षेत्र में भी एक अनुपालन नीति बनाई हुई होती है जो उस संस्था की सर्वोत्तम क्षमता के अनुरूप कार्य करने में मदद करने के लिए रचित होती है. ये आचरण और प्रदर्शन के लिखित मानक हैं जो प्रत्येक कर्मचारी को संगठन के भीतर उनकी भूमिका और उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों को समझने में मदद करते हैं.

अनुपालन निगरानी का अर्थ

अनुपालन निगरानी एक सतत प्रक्रिया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी मैनुअल में सभी नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं. इसका उद्देश्य किसी संगठन के संचालन या कार्य में अनुपालन जोखिम के मुद्दों का पता लगाना है.

अनुपालन परीक्षण

अनुपालन परीक्षण को अनुरूपता परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है, यह एक गैर-कार्यात्मक परीक्षण तकनीक है जो यह सत्यापित करने के लिए की जाती है कि विकसित प्रणाली संगठन के निर्धारित मानकों को पूरा करती है या नहीं. अनुपालन परीक्षण या

अनुरूपता परीक्षण, एक नीति, एक नियम, या एक विनियम के पालन के लिए लेखा परीक्षा है। ऑडिटिंग में अनुपालन परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम नियामक जोखिम से संबंधित नियंत्रणों का परीक्षण करने के लिए करते हैं। अनुपालन परीक्षण अक्सर प्रथम प्रकार का परीक्षण होता है जिसे हम नियंत्रण वातावरण का आकलन करते समय करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम आईटी अनुपालन परीक्षण कर रहे हैं, तो हम उपयोगकर्ता एक्सेस प्रोविजनिंग और डी-प्रोविजनिंग नियंत्रणों में अनुरूपता परीक्षण के साथ शुरुआत कर सकते हैं। यदि परीक्षण से पता चलता है कि सिस्टम अनुपालन में है, तो हम एक्सेस समीक्षा जैसे द्वितीयक नियंत्रणों के परीक्षण में कम समय व्यतीत करेंगे। अनुपालन परीक्षण यह सुनिश्चित करने का एक अभिन्न अंग है कि आपके संगठन की अनुपालन प्रबंधन प्रणाली अपेक्षित रूप से कार्य कर रही है। विनियमित वातावरण में काम करने वाली कंपनियों में एक सीएमएस होने की उम्मीद की जाती है और सीएमएस के प्रभावी होने के लिए आपके संगठन को प्रभावित करने वाली नियामक आवश्यकताओं के सापेक्ष परीक्षण किया जाना चाहिए। सभी अनुपालन परीक्षण अनुपालन प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा हैं।

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, कभी-कभी हर संगठन में नियामकों और अनुपालन विशेषज्ञों का एक बोर्ड स्थापित किया जाता है। यह बोर्ड जांच करता है कि विकास दल संगठन के मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं।

टीमें यह जांचने के लिए विश्लेषण करती हैं कि मानकों को ठीक से लागू किया गया है कि नहीं। नियामक बोर्ड मानकों में सुधार के लिए एक साथ काम भी करता है, जो बदले में बेहतर गुणवत्ता की ओर ले जाएगा।

अनुपालन परीक्षण किसी स्वतंत्र/ तीसरे पक्ष की कंपनी द्वारा भी किया जा सकता है जो इस प्रकार के परीक्षण और सेवा में माहिर हैं।

अनुपालन परीक्षण के उद्देश्य

अनुपालन परीक्षण के उद्देश्यों में शामिल हैं:

- (i) यह निर्धारित करना कि विकास और रखरखाव प्रक्रिया निर्धारित कार्यप्रणाली को पूरा करती है।
- (ii) अनुपालन परीक्षण सुनिश्चित करता है कि विकास के प्रत्येक चरण के डिलिवरेबल्स मानकों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं या नहीं।
- (iii) पूर्णता और तार्किकता की जाँच के लिए परियोजना के दस्तावेज़ीकरण का मूल्यांकन करने के लिए।

यह केवल प्रबंधन की कॉल है कि वो अनुपालन परीक्षण कब और कैसे करें. यदि वे चाहते हैं, तो उन्हें कार्यप्रणाली के अनुपालन की डिग्री को मान्य करने और उल्लंघनकर्ताओं की पहचान करने के लिए पर्याप्त परीक्षण लागू करने होंगे. लेकिन यह संभव हो सकता है कि अनुपालन की कमी कार्यप्रणाली को न समझने के कारण हो या उन्हें गलत समझा गया हो.

प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीमों को मानकों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली की उचित और स्पष्ट समझ हो. जरूरत पड़ने पर वे टीम के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं.

यह संभव हो सकता है कि मानकों को ठीक से प्रकाशित नहीं किया गया हो या हो सकता है कि मानक ही खराब गुणवत्ता के हों. ऐसे में या तो इसे सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए या फिर कोई नई पद्धति अपनानी चाहिए.

अनुपालन परीक्षण मूल रूप से निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है. विकास जीवनचक्र के प्रत्येक चरण के लिए मानकों और प्रक्रियाओं का एक सेट विकसित और प्रलेखित किया जाता है. प्रत्येक चरण के डिलिवरेबल्स को मानकों के साथ तुलना करने और अंतराल का पता लगाने की आवश्यकता है. इन मानकों को प्रबंधन द्वारा अच्छी तरह से समझा और प्रलेखित किया जाना चाहिए.

निरीक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद, प्रत्येक चरण के लेखक को गैर-अनुपालन वाले क्षेत्रों की एक सूची दी जानी चाहिए जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है. कार्रवाई मर्दों पर काम करने के बाद निरीक्षण प्रक्रिया फिर से की जानी चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर-अनुरूपता आइटम मान्य और बंद हैं.

अनुपालन परीक्षण के महत्व

अनुपालन जोखिम के प्रबंधन और सीएमएस के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी अनुपालन परीक्षण कार्यक्रम को लागू करना महत्वपूर्ण है. जब आप अनुपालन परीक्षण कर रहे हों, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप किसी नियम, विनियम, या कानून के विरुद्ध परीक्षण कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भी खोज तकनीकी रूप से कानून का उल्लंघन है. आवश्यकताओं के उल्लंघन की पहचान करना (जैसे, नियामक या आंतरिक नीति) और मूल कारण को समय पर ठीक करना आपके संगठन के अनुपालन जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है. तदर्थ तरीके से अनुपालन परीक्षण करने से नियामक जांच में वृद्धि हो सकती है क्योंकि आपका संगठन इस बात का सबूत नहीं दे पाएगा कि उनके पास पूरी तरह से काम करने वाला अनुपालन परीक्षण कार्यक्रम है.

आपका अनुपालन परीक्षण - चाहे वह आपका आंतरिक ऑडिट कर रहा हो या अनुपालन विभाग - आपके अनुपालन कार्य के हिस्से के रूप में एक प्रभावी अनुपालन परीक्षण

प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कुछ निश्चित कदम आवश्यक हैं। जैसे कि

- (i) आवश्यक पुस्तकालय बनाएँ
- (ii) अनुपालन जोखिम मूल्यांकन करें
- (iii) अनुपालन परीक्षण पद्धति विकसित करें
- (iv) परीक्षण अनुसूची बनाएँ
- (v) परीक्षण करें
- (vi) मुद्दे प्रबंधन प्रक्रिया
- (vii) उपचार की पुष्टि करें
- (viii) मॉनिटर स्थिरता

अनुपालन परीक्षणों को लापरवाही के मुद्दों का पता लगाने और सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बेहतर और सिद्ध गुणवत्ता एक और कारण है कि हमें उत्पादों के अनुपालन परीक्षण पर जोर देना चाहिए। अनुपालन परीक्षण के अलावा, समय-समय पर ऑडिट करना भी महत्वपूर्ण है।

ऐसे कई कारण हैं जिनके लिए संगठनों द्वारा अपने उत्पादों और सेवाओं का अनुपालन-परीक्षण महत्वपूर्ण होता है। आइए उन्हें नीचे देखें।

सुरक्षा

आपके द्वारा बाजार में जारी किए जाने वाले उत्पादों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अनुपालन परीक्षण के बिना, संगठन अपने उत्पाद में कुछ कमजोरियों को पकड़ या खोज नहीं सकते हैं। अनुपालन परीक्षण के साथ, खानापूर्ति, लापरवाही और सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण उत्पन्न होने वाले खतरों से बचा जा सकता है।

गुणवत्ता

अनुपालन के लिए परीक्षण उत्पादों और सेवाओं की प्रभावशीलता, दक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। नियमित ऑडिट सुनिश्चित करते हैं कि प्रदर्शन संतोषजनक है।

वैधता

जब परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो किसी उत्पाद या सेवा को बाजार में जारी करना कानून के खिलाफ होगा, इससे पहले कि यह प्रदर्शित हो कि यह कुछ आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ग्राहकों की संतुष्टि और विश्वास

अनुपालन परीक्षण सुनिश्चित करता है कि कंपनियां अपनी प्रतिष्ठा, ग्राहक विश्वास और संतुष्टि बनाए रखें।

अनुरूपता

समान मानकों का पालन करना सुनिश्चित करता है कि बाजार में उत्पाद संगत हैं और अन्य मानक उत्पादों के अनुपालन में हैं।

बैंकिंग क्षेत्र में अनुपालन परीक्षण का महत्व

अन्य संस्था व संगठनों की तरह बैंकिंग प्रणाली में भी अनुपालन परीक्षण का विशेष महत्व है। जैसे कि बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को विनियमों, नियमों और मानकों तथा किसी भी आगे के घटनाक्रम से अवगत कराने, अनुपालन संबंधी किसी भी मुद्दे पर स्पष्टीकरण प्रदान करना, अनुपालन जोखिम का आकलन करना (वर्ष में कम से कम एक बार) और अनुपालन मूल्यांकन के लिए जोखिम-उन्मुख गतिविधि योजना विकसित करना।

अनुपालन कार्य बैंक को उसके अनुपालन जोखिम के प्रबंधन में मदद करता है, जिसे कानूनी या नियामक प्रतिबंधों के जोखिम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वित्तीय नुकसान या प्रतिष्ठा नुकसान, एक बैंक को सभी लागू कानूनों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप भुगतान पड़ सकता है।

किसी भी बैंक में, अनुपालन विभाग वह निकाय होता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है कि संस्था पूरी तरह से अनुपालन करती रहे। इसका लक्ष्य परिभाषित किया गया है और यह सुनिश्चित करना है कि बैंक विनियमन के भीतर कार्य करता है, इस प्रकार उद्योग में इसकी अखंडता और प्रतिष्ठा को बनाए रखता है।

अनुपालन विभाग को आमतौर पर यह कार्य सौंपा जाता है:

- (i) बैंक को डेटा चोरी से बचाएं
- (ii) सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने से बचाव
- (iii) टैक्स चोरी रोकें
- (iv) मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) को रोकें
- (v) जोखिम क्षेत्रों की पहचान करें और उनका विश्लेषण करें
- (vi) उन गतिविधियों से दूर रहें जो बैंक की नीति के अंतर्गत नहीं हैं

बैंकों के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने और ग्राहकों, निवेशकों और नियामकों का विश्वास जीतने के लिए एक अच्छी अनुपालन संस्कृति का प्रदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है। बैंकों के लिए खराब आचरण और विश्वास की हानि से बचने के लिए ऐसी संस्कृति महत्वपूर्ण है। खासतौर पर भारतवर्ष में बैंकिंग प्रणाली लोगों के बीच लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली संस्था है। अतएव इसमें, इसकी कार्यप्रणाली में लोगों का विश्वास होना, भरोसा होना अत्यंत आवश्यक है।

एक अच्छी अनुपालन संस्कृति से बैंकों को कई तरह से लाभ हो सकता है। जिसमें शामिल हैं:

- i) संगठनात्मक और व्यक्तिगत जोखिम में कमी
- ii) प्रतिष्ठा की जोखिम में कमी
- iii) अपना काम करते समय कर्मचारियों में कम झिझक और अधिक आत्मविश्वास
- iv) प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद करता है और कर्मचारियों का जुड़ाव सुनिश्चित करता है।
- v) बेहतर पारदर्शिता जो बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है
- vi) नियामकों और अन्य हितधारकों के साथ बेहतर संबंध और
- vii) निवेशकों के बीच मूल्यांकन में वृद्धि

बैंकों द्वारा किए गए एक तनाव परीक्षण सर्वेक्षण में यह देखा गया कि अनुपालन के कुछ व्यावसायिक लाभ हो सकते हैं। दबाव परीक्षण कार्यक्रम से गुजरने वाले एक तिहाई से अधिक बैंकों ने संकेत दिया कि दबाव परीक्षण सिद्धांतों का अनुपालन करने के शीर्ष लाभ पूंजी नियोजन के संबंध में सोच समझकर निर्णय लेना और संगठन के जोखिमों के बारे में एक दूरदेशी दृष्टिकोण को बनाए रखना है।

अंततः हम यह कह सकते हैं कि बैंक का व्यापार, रोजमर्रे का संवाद, कामकाज स्थानीय व आम लोगों से ही है। अतएव बैंकों को अपनी विश्वसनीयता आम जनमानस, समाज, जनता के बीच बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस विश्वसनीयता के आधार पर ही बाजार में लोग और व्यापारी बैंक से जुड़ते हैं, उसमें निवेश करते हैं और बैंक को अपने इक्विटी पे अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। एक पुख्ता व ठोस अनुपालन प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि हम ये विश्वसनीयता को बरकरार रखने में हर वक्त सक्षम रह सकें।



बैंकिंग के महत्वपूर्ण कानून एवं अधिनियम

- ए के विनोद

बैंकिंग क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. समय की मांग के अनुसार इसमें सुधार लाने तथा इसे और बेहतर बनाने के लिए कई अधिनियम बनाए गए. भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय उत्थान में बैंकिंग क्षेत्र अधिनियम की प्रमुख भूमिका है.

परक्राम्य लिखत (एनआई) अधिनियम, 1881

परक्राम्य लिखत अधिनियम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया (ब्रिटिश) द्वारा पेश किया गया था एवं इसे परक्राम्य लिखतों से संबंधित कानूनों को परिभाषित करने के लिए 9 दिसंबर, 1881 को अधिनियमित किया गया था. इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है और अंतिम संशोधन 2002 में किया गया था. इस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, “परक्राम्य लिखत का अर्थ है प्रोनोट, विनिमय का बिल या चेक जो या तो आदेश करने वाले को या वाहक को देय हो.” परक्राम्य लिखत में अंतर्देशीय लिखत, विदेशी लिखत और बैंक ड्राफ्ट शामिल किए जा सकते हैं.

परक्राम्य लिखतों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है, जिसे सम्यक अनुक्रम में धारक के रूप में जाना जाता है. स्थानांतरण पर, जिसे लिखत का परक्रामण भी कहा जाता है, धारक को लिखत पर पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त होता है. उन्हें सुपुर्दगी या पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है. उदाहरण प्रोनोट, विनिमय पत्र, चेक, ड्राफ्ट, जमा प्रमाणपत्र.

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934

भारिबैं अधिनियम, 1934 एक विधायी अधिनियम है जिसके तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना की गई थी. भारत में बैंकिंग फर्मों की निगरानी के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए इसे कंपनी अधिनियम के साथ 1936 में संशोधित किया गया था. यह अधिनियम अनुसूचित बैंकों को भी परिभाषित करता है.

इस अधिनियम की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- धारा 17 उस तरीके को परिभाषित करती है जिससे भारिबैं कारोबार संचालित कर सकता है.
- धारा 18 बैंकों को दिए जाने वाले आपातकालीन ऋण को परिभाषित करती है.
- धारा 21 में कहा गया है कि भारिबैं को केंद्र सरकार के लिए बैंकिंग मामलों का संचालन करना चाहिए और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करना चाहिए.
- धारा 22 में कहा गया है कि भारत में करेंसी नोट जारी करने का विशेष अधिकार केवल भारिबैं के पास है.
- धारा 24 में कहा गया है कि एक नोट का अधिकतम मूल्य ₹ 10,000 हो सकता है.
- धारा 26 भारतीय बैंक नोटों के कानूनी निविदा चरित्र का वर्णन करती है.
- धारा 28 भारिबैं को क्षतिग्रस्त और अपूर्ण नोटों के विनिमय के संबंध में नियम बनाने की अनुमति देती है.
- धारा 31 में कहा गया है कि भारत में केवल भारिबैं या केंद्र सरकार ही मांग पर देय प्रोनोट जारी और स्वीकार कर सकती है.
- धारा 42(1) में कहा गया है कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक को भारिबैं के पास औसत दैनिक शेष बनाए रखना होगा.

बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949

यह अधिनियम भारत में सभी बैंकिंग फर्मों का विनियमन करता है अर्थात् यह एक ढांचा प्रदान करता है जिसके माध्यम से भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग की निगरानी और विनियमन किया जाता है.

इस अधिनियम की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी एवं सहकारी भूमि बंधक बैंक इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं.
- यह अधिनियम भारिबैं को नए बैंक लाइसेंस जारी करने की शक्ति देता है; इसमें शेयरधारिता और शेयरधारकों के मतदान अधिकारों पर नियम भी दिए गए हैं.
- यह आरबीआई को बोर्डों की नियुक्ति की निगरानी करने और बैंकों के संचालन को विनियमित करने की भी अनुमति देता है.

- सार्वजनिक हित और बैंकिंग नीति पर यह भारिबैं द्वारा किए जाने वाले ऑडिट के लिए अनुदेश, नियंत्रण अधिस्थगन, विलय और परिसमापन जारी करने के निर्देश भी देता है.
- 1965 के संशोधन के तहत सहकारी बैंकों को इस अधिनियम में शामिल किया गया.

नए अपडेट: बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 लोकसभा में पेश किया गया जो व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाकर, पूंजी तक पहुंच को सक्षम करके, प्रशासन में सुधार और भारिबैं के माध्यम से सुदृढ़ बैंकिंग सुनिश्चित करके सहकारी बैंकों को मजबूत करेगा. यह पीएमसी घोटाले की पृष्ठभूमि में आया है. इसका उद्देश्य सहकारी बैंकों में भारिबैं के बैंकिंग विनियमन दिशानिर्देशों को लागू करना है, जबकि प्रशासनिक निर्गम को अभी भी सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा निर्देशित किया जाएगा. यह बेहतर प्रबंधन और उचित विनियमन के माध्यम से सहकारी बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र के विकास के बराबर लाएगा.

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961

इस अधिनियम के तहत जमाराशियों का बीमा और ऋण सुविधाओं की गारंटी प्रदान करने के लिए भारिबैं की एक अनुषंगी संस्था **निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)** की स्थापना 15 जुलाई 1978 को की गई थी. डीआईसीजीसी ₹ 5,00,000 की सीमा तक बचत जमाराशियों, सावधि जमाराशियों, चालू जमाराशियों और आवर्ती जमाराशियों का बीमा करता है. इस अधिनियम के अनुसार, सभी नए वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्रदान किए जाते ही वे अपना पंजीकरण करा लें.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) अधिनियम, 1976

सहकारी ऋण संरचना का एक वैकल्पिक चैनल बनाने और ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त संस्थागत ऋण सुनिश्चित करने के लिए **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी**. इस अधिनियम की संस्तुति एम. नरसिंहम ने की थी. वे संयुक्त रूप से भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के स्वामित्व में हैं, जिनकी निर्गत पूंजी क्रमशः 50 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 35 प्रतिशत के अनुपात में साझा की जाती है.

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992

इस अधिनियम के तहत, **भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) को 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियाँ दी गईं**. यह अधिनियम भारत में प्रतिभूति बाजार के विनियमन और विकास के लिए अधिनियमित किया गया था.

सेबी की गतिविधियों का दायरा काफी व्यापक है। इसे प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रतिभूति बाजारों के संबंध में नियम, विनियम, दिशानिर्देश और निर्देश आदि बनाने का अधिकार है। प्रतिभूति बाजारों में काम करने वाले मध्यस्थ और कुछ वित्तीय संस्थान भी सेबी के निर्देशों और मानदंडों के अधीन हैं। सेबी के पास निम्नलिखित शाखाओं को विनियमित करने की शक्ति है:

- निक्षेपागार, प्रतिभागी और संरक्षक
- डिबेंचर न्यासी और न्यास विलेख
- भेदिया व्यापार, एफआईआई के मर्चेन्ट बैंकर और म्यूचुअल फंड
- पोर्टफोलियो प्रबंधक, निवेश सलाहकार, पूंजी निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट
- शेयर दलाल, सब-ब्रोकर, हामीदार, निर्गम और जोखिम पूंजी निधि के बैंकर और
- शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण.

यह निवेशक सुरक्षा, निर्गम के मूल्य निर्धारण, बोनस और अधिमानी निर्गम और अन्य वित्तीय उपकरणों के लिए जानकारी के प्रकटीकरण और परिचालन पारदर्शिता हेतु दिशानिर्देश भी जारी करता है।

सेबी की प्रस्तावना के अनुसार, भारतीय सुरक्षा और विनियम बोर्ड का एक प्रमुख कार्य प्रतिभूति बाजार के विकास और विनियमन को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।

सेबी निम्नलिखित तीन समूहों की जरूरतों के लिए भी जिम्मेदार है जो प्रतिभूति बाजार का गठन करते हैं:

- प्रतिभूतियों के जारीकर्ता
- निवेशकों
- बाजार मध्यस्थ

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 जिसे फेमा के नाम से जाना जाता है, देश में होने वाले सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन का अधिकृत संदर्भ है। दूसरे शब्दों में, यह नियमों का एक समूह है जो भारतीय रिजर्व बैंक को नियम पारित करने का अधिकार देता है और भारत सरकार को भारत की विदेश व्यापार नीति के अनुरूप विदेशी मुद्रा से संबंधित नियम पारित करने में सक्षम बनाता है।

- इसे बाह्य व्यापार को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- इसने **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) का स्थान ले लिया**, जो भारत सरकार की उदारीकरण-समर्थक नीतियों के साथ असंगत हो गया था।
- इस अधिनियम ने एक नई विदेशी मुद्रा प्रबंधन व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया जो विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के उभरते ढांचे के अनुरूप था।

एसएआरएफ़ईएसआई (सरफेसी) (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन) अधिनियम -2002

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 एक ऐसा कानून है जो वित्तीय संस्थानों को कई तरीकों से आस्तियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह अधिनियम अनर्जक आस्तियों की वसूली के लिए तीन तरीकों को मान्य ठहराता है। वे इस प्रकार हैं:

1. प्रतिभूतिकरण;
2. आस्तियों पुनर्रचना; और
3. न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूति का प्रवर्तन.

सरफेसी अधिनियम, 2002 असुरक्षित ऋण, ₹ 100,000 से कम के ऋण या ऐसे ऋण पर लागू नहीं होता है जहां शेष ऋण मूल मूलधन राशि के 20% से कम है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

यह अधिनियम धन शोधन को रोकने के साथ-साथ धन शोधन से प्राप्त आस्तियों को जब्त करने का प्रावधान प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम को 2005, 2009 और 2012 में संशोधित किया गया था। **इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**

- धन शोधन के लिए दंड
- दागी संपत्ति की कुर्की की शक्तियाँ
- अधिनिर्णायक प्राधिकारी
- परस्पर संबद्ध लेनदेन में पूर्वानुमान
- विशेष अदालत और एफआईयू - आईएनडी (वित्तीय खुफिया इकाई - भारत)

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 सरकारी प्रतिभूति बाजार में विभिन्न सुधार लाने और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के प्रबंधन के लिए भारत की संसद का कानून है। इसने सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 को प्रतिस्थापित कर दिया।

बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006

बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए बैंक ग्राहकों के लिए एक किफ़ायती मंच है। इसे आरबीआई ने द्वारा बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ प्रकार की बैंकिंग सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने और उन शिकायतों के निपटान की सुविधा के लिए लागू किया गया था। इसे भारिबैं द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत पेश किया गया था।

बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आने वाले संस्थान

- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक,
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और
- अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक (यूसीबी)
- कुछ एनबीएफसी

शुल्क: बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है

भारिबैं के भारत में 22 लोकपाल कार्यालय हैं।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967

- यह अधिनियम अन्य बातों के अलावा, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष प्रक्रियाएँ देता है। इसका उद्देश्य भारत में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप वाले संघों की प्रभावी रोकथाम करना है। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप से तात्पर्य किसी व्यक्ति या संघ द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के इरादे से की गई किसी भी कार्रवाई से है।
- **आतंकवाद कौन कर सकता है:** अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित या अभिहित कर सकती है यदि वह: (i) आतंकवादी कृत्य करता है या उसमें भाग लेता है, (ii) आतंकवाद के लिए तैयारी करता है, (iii)

आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या (iv) अन्य किसी तरीके से आतंकवाद में शामिल है। विधेयक सरकार को इसी आधार पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार भी देता है।

- यूएपीए में मृत्युदंड और आजीवन कारावास उच्चतम दंड है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जिसके माध्यम से यदि केंद्र किसी गतिविधि को गैरकानूनी मानता है तो वह आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसे ऐसा घोषित कर सकता है।
- यूएपीए के तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं। अपराधियों पर उसी तरीके से आरोप लगाए जाएंगे चाहे वह कृत्य भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो।
- **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) द्वारा संपत्ति जब्ती के लिए मंजूरी:** अधिनियम के अनुसार, एक जाँच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। विधेयक में कहा गया है कि यदि जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) के किसी अधिकारी द्वारा की जाती है, तो ऐसी संपत्ति को जब्त करने के लिए एनआईए के महानिदेशक की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
- **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जाँच:** अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मामलों की जाँच उप अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। विधेयक अतिरिक्त रूप से एनआईए के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को मामलों की जाँच करने का अधिकार देता है।
- **संधियों की अनुसूची में अंतर्वेशन: अधिनियम** आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करता है, जिसमें अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी संधि के दायरे में किए गए कृत्यों को शामिल किया गया है। अनुसूची में नौ संधियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें आतंकवादी बम विस्फोटों के दमन के लिए कन्वेंशन (1997) और बंधक बनाने के खिलाफ कन्वेंशन (1979) शामिल हैं। विधेयक इस सूची में एक और संधि जोड़ता है, जिसका नाम है, परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (2005)।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

1986 में लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता शिकायतों पर आसान और त्वरित मुआवजा देता है। यह उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं में अपर्याप्तता और खामियों के खिलाफ बोलने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है और प्रोत्साहित करता है। यदि व्यापारी

और निर्माता कोई अवैध व्यापार करते हैं तो यह अधिनियम एक उपभोक्ता के रूप में उनके अधिकारों की रक्षा करता है। इस मंच की प्राथमिक प्रेरणा दोनों पक्षों को सहायता प्रदान करना और लंबे मुकदमों को खत्म करना है।

यह संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा छूट प्राप्त वस्तुओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक, निजी या सहकारी क्षेत्रों की सभी वस्तुओं और सेवाओं को कवर करता है। यह अधिनियम उपभोक्ता को एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और फोरम संबंधित आपूर्तिकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करता है तथा उपभोक्ता को हुई परेशानी के लिए मुआवजा दिया जाता है।

उपभोक्ता अधिकार और उत्तरदायित्व:

उपभोक्ता के अधिकार

- **सुरक्षा का अधिकार**-खरीदने से पहले उपभोक्ता सामान की गुणवत्ता और गारंटी पर जोर दे सकता है। उन्हें आदर्श रूप से आईएसआई या एगमार्क जैसे प्रमाणित उत्पाद खरीदना चाहिए।
- **चुनने का अधिकार**-उपभोक्ता को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से चुनने का अधिकार होना चाहिए।
- **सूचित होने का अधिकार** - खरीदारों को उत्पाद के सभी आवश्यक विवरणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए और उन्हें खरीदारी का निर्णय बदलने का अधिकार होना चाहिए।
- **उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार**- उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और शोषण से बचना चाहिए। अज्ञानता उन पर भारी पड़ सकती है।
- **सुने जाने का अधिकार**-इसका यह मतलब है कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उपभोक्ता को उचित मंच पर अपनी शिकायतें व्यक्त करने का अवसर मिले।
- **मुआवज़ा माँगने का अधिकार**-यह परिभाषित करता है कि उपभोक्ता को अनुचित और अमानवीय प्रथाओं या उपभोक्ता के शोषण के खिलाफ निवारण माँगने का अधिकार है।

उपभोक्ता की जिम्मेदारियां

- **जागरूक रहने की जिम्मेदारी** - उपभोक्ता को खरीदारी से पहले उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित होने उनकी और गुणवत्ता के प्रति सचेत रहना होगा।

- **स्वतंत्र रूप से सोचने की जिम्मेदारी** - उपभोक्ता को इस बात की अच्छी समझ होनी चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए और उनकी ज़रूरतें क्या हैं लिहाज़ा स्वतंत्र विकल्प चुन सकें.
- **बोलने की जिम्मेदारी**- खरीदार को निडर होकर अपनी शिकायतें बतानी चाहिए और व्यापारियों को बताना चाहिए कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं.
- **शिकायत करने की जिम्मेदारी**- यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह वस्तुओं या सेवाओं के प्रति अपने असंतोष के बारे में ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से शिकायत दर्ज कराए.
- **एक नैतिक उपभोक्ता होने की जिम्मेदारी**- उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए और खुद को किसी भ्रामक व्यवहार में शामिल नहीं करना चाहिए.

निष्कर्ष:

बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं. वे अर्थव्यवस्था को चलाने और बाजारों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं. वे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करते हैं. कानून और अधिनियम बैंकिंग उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वे बैंकों को कानूनी और नियामक सीमाओं के भीतर काम करने, ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं. इन कानूनों और कृत्यों के बिना, बैंक न केवल संभावित कानूनी परिणामों के अधीन होंगे, बल्कि वे ग्राहकों और हितधारकों के विश्वास को खोने का जोखिम भी उठाएंगे. बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे न केवल मौजूदा नियमों का पालन करें, बल्कि नए कानूनों और कृत्यों से भी अपडेट रहें जो उनके संचालन को प्रभावित कर सकते हैं. बैंकों के लिए नैतिक आचरण, जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है ताकि वे अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सकें और आज के गतिशील वित्तीय परिदृश्य में कामयाब हो सकें.



दिनांक 08.01.2024 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, राजकोट का निरीक्षण



दिनांक 08.01.2024 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, राजकोट के निरीक्षण के समापन पर राजभाषा समिति के माननीय सदस्यों से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक, साथ हैं श्री हृषीकेश मिश्रा, महाप्रबंधक (ज्ञानार्जन एवं विकास), श्री विठ्ठल बनशंकर (अंचल प्रमुख), गांधीनगर, श्री अम्बरीष कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक (मा.सं.), श्री संजीव कुमार, क्षेत्र प्रमुख, राजकोट, श्री सर्वेश कुमार मिश्र, सहायक निदेशक (राजभाषा), वित्तीय सेवाएं विभाग, श्री रामजीत सिंह, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) तथा श्री रिछपाल, सहायक प्रबंधक (राजभाषा)



संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्य यूनिन बैंक ऑफ इंडिया की राजभाषा प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए.



संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, राजकोट की छमाही गृह-पत्रिका "यूनिन आधार" के सितंबर - 2023 अंक का विमोचन किया गया.